माला, खंड 24, अंक 14

सोमवार, 11 दिसम्बर, 2006
20 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 30 Oct 2007

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय - सूची

चतुर्दश माला, खंड 24 नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)

अंक 14, सोमवार, 11 दिसम्बर, 2006/20 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
नामीबिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 262	5-6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 263 से 281	7-34
अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 से 2726 और 2728 से 2745	34-287
सभा पटल पर रखे गए पत्र	289-297
राज्य सभा से संदेश	297-298
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
नौवां प्रतिवेदन	298
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	298
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	301
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	302-306
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	307-308
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	307-310

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 11 दिसम्बर, 2006/20 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव उस सदस्य का नाम पुकारें जिन्होंने शपथ लेनी है।

महासचिव : श्री के. चन्द्रशेखर राव, करीमगंज, आंध्र प्रदेश

श्री के. चन्द्रशेखर राव (करीमनगर)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। बहुत सम्माननीय अतिथि यहां बैठे हैं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

नामीबिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम, मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए अपने सम्मानित अतिथियों, महामहिम डा. थियो–बेन गुरीराब, नामीबिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली के स्पीकर और वहां के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

यह शिष्टमंडल रविवार, 20 दिसम्बर, 2006 को भारत पहुंचा है। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से नामीबिया गणराज्य के प्रेजीडेंट, संसद, सरकार और उस देश की मित्र जनता के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

उनका स्वागत है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको क्वैश्चन आवर को सस्पेंड करने का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, मैं प्रश्न काल के बाद आपको मामला उठाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, क्वैश्चन आवर क्यों सस्पेंड करें, उसके बारे में मुझे कुछ कहने का अधिकार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, मैं आपसे कोई अनुरोध कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमने क्वैश्चन आवर को सस्पेंड करने का नोटिस इसलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने परसों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में जो इस प्रकार का भाषण दिया कि मुसलमानों को पहला अधिकार होना चाहिए, सब प्रकार के *...(व्यवधान)* आपत्तिजनक हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आपके खड़े होने से ज्यादा गड़बड़ होती है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं?

[हिन्दी]

आप लोग बैठ जाइये।

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) : हमने नोटिस दिया। प्लेन को हाइजैक ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 262

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, मैं आपको 12 बजे बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 262

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गरिमा के साथ सभा चलने दीजिए। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। प्रश्न संख्या 262

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इन्हें उस बारे में स्टेटमैंट देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमैंट होगी और सब कुछ होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्न काल शुरू करता हूं। प्रश्न संख्या 262

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा है कि आपको बारह बजे बोलने के लिए समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या – श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव – उपस्थित नहीं

श्री सुनिल कुमार महतो

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 12 बजे बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक भी शब्द कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनिल कुमार महतो, प्रश्न संख्या 262

[हिन्दी]

भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई

+

***262. श्री सुनिल कुमार महतो :**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत निर्माण योजना के अंतर्गत काफी बड़े भू-क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना को किन पैरामीटरों में कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) इससे आरम्भ में किन क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है तथा इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत निर्माण में (i) निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, (ii) लघु सिंचाई स्कीमों, (iii) वृहद और मध्यम परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) और (iv) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार के माध्यम से एक करोड़ हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन की योजना है। ब्यौरे संलग्न अनुबंध I में दिए गए हैं।

सिंचाई क्षमता के सृजन संबंधी परियोजनाएं/स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार शुरू की जाती है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अनुदानों के वास्ते आबंटन बढ़ा दिया है।

अनुबंध

भारत निर्माण का सिंचाई घटक

क्रम सं.	क्रियाकलाप	सिंचाई क्षमता (मि. हेक्टेयर में)	
I	**वृहद और मध्यम सिंचाई**		
	• निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करना	4.2	
	• वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, नवीकरण	1.0	
	और आधुनिकीकरण का योग	5.2	
	वृहद और मध्यम सिंचाई		
II)	**लघु सिंचाई**		
	• सतही जल	1.0	
	• भूजल	2.8	
	• जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और	1.0	
	पुनरूद्धार/लघु सिंचाई स्कीमों का ईआरएम		
	लघु सिंचाई का योग		4.8
	कुल योग		10.0

श्री सुनिल कुमार महतो : अध्यक्ष महोदय, देश के किसानों को अभी भी प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यदि वर्षा होती है तो किसानों की खेती होती है और वर्षा नहीं होती तो उनकी फसल खराब हो जाती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके सामने यह मांग रखी थी कि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य अत्यंत आपत्तिजनक है। ...*(व्यवधान)* उनको माफी मांगनी चाहिए। ... *(व्यवधान)* उनको अपने शब्द विदड्रा करने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री के साथ हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.31 बजे

(इस समय श्रीमती किरण माहेश्वरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

***263. श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन पर अलग-अलग रूप से कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थाओं द्वारा किए गए अनुसंधान की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में 541 कृषि केन्द्र (के.वी.के.), 42 कृषि विश्वविद्यालय और 95 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इन पर खर्च किया गया कुल व्यय निम्न प्रकार से है :

(रु. करोड़ में)

2003-04	2004-05	2005-06
1478.62	1628.65	1843.19

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास अपने विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों/स्कीमों के निर्धारण/मूल्यांकन करने का एक स्व-निर्मित मेकैनिज्म है। मुख्यालय स्तर पर, आठ विषय-वस्तु प्रभाग हैं जो संस्थानों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में शुरू किए गए अनुसंधान की गुणवत्ता का निर्धारण और मॉनीटर करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, आठ क्षेत्रीय समितियां हैं, जिनमें राज्य सरकार के पदाधिकारी, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान शामिल हैं, जो कृषि अनुसंधान के स्तर की समीक्षा करती हैं तथा उस क्षेत्र विशेष की स्थान विशिष्ट समस्याओं पर सिफारिशें करती हैं। संस्थान स्तर पर, कर्मचारी अनुसंधान परिषद, संस्थान प्रबंध समिति (समतुल्य विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले संस्थानों के लिए संस्थान प्रबंध बोर्ड) हैं। प्रत्येक संस्थान के पास एक अनुसंधान सलाहकार समिति होती है, जिसका गठन अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्यों के रूप में बाह्य उत्कृष्ट विशेषज्ञों में से किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक संस्थान की पांच वर्ष की अवधि के बाद अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्यों के रूप में बाह्य उत्कृष्ट विशेषज्ञों में से गठित एक पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यू.आर.टी.) द्वारा समीक्षा की जाती है जो अनुसंधान कार्यक्रमों/स्कीमों का पूर्णतया मूल्यांकन करता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का आधुनिकीकरण

***264. श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन के लिए किसी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) इसके कार्य पर कितना खर्च आएगा तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके फलस्वरूप विस्थापित कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित योजना क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) जी, हां। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दोनों इस्पात उत्पादक कंपनियां अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) महत्वाकंक्षी आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाएं शुरू कर रही हैं। 37,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का आधुनिकीकरण और अपने वार्षिक उत्पादन के तप्त धातु के 14.6 मिलियन टन (2005–06) के वर्तमान स्तर को वर्ष 2010 तक 22.9 मिलियन टन करने का प्रस्ताव है। क्षमता संवर्धन के अलावा ग्रोथ प्लान में पुरानी प्रौद्योगिकियों को कम करना, ऊर्जा की बचत, उत्पाद मिश्र को बेहतर बनाना, प्रदूषण नियंत्रण, प्रमुख आदानों की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए खानों और कोयला खदानों का विकास करना, ग्राहक केंद्रित प्रक्रमण शुरू करना और अधिक उत्पादन में मदद हेतु संयंत्र में उपयुक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करना भी शामिल है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) का 8692 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर तप्त धातु की 3.4 मिलियन टन वार्षिक की मौजूदा क्षमता को वर्ष 2009 तक बढ़ाकर 6.5 मिलियन टन वार्षिक करने का प्रस्ताव है।

इन कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के लिए निधियों की व्यवस्था सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों तथा आवश्यकतानुसार बाजार ऋणों से की जाएगी।

(घ) सेल अथवा आरआईएनएल में आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के विस्थापन की परिकल्पना नहीं की गई है। आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिए नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए मौजूदा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी पुनः तैनाती करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

धान का उत्पादन

***265. श्री गणेश सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में धान का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में धान के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में धान का उत्पादन निम्नवत था : 2003–04 के दौरान 132.80 मिलियन टन, 2004–05 के दौरान 124.70 मिलियन टन और 2005–06 के दौरान के 136.56 मिलियन टन।

(ख) 15.09.2006 को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ 2006–07 के लिए धान के उत्पादन का आंकलन 113.61 मिलियन टन है जो कि खरीफ 2005–2006 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के 117.06 मिलियन टन से 3.45 मिलियन टन कम है।

(ग) उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण क्षेत्र आच्छादन का कम होना है जो कि खरीफ 2005–06 (चौथे अग्रिम अनुमान) के लिए 39.24 मिलियन हैक्टेयर की तुलना में खरीफ 2006–07 (पहले अग्रिम अनुमान) के लिए 38.08 मिलियन हैक्टेयर है।

(घ) देश में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कृषि के वृहत्त प्रबंधन मोड के अन्तर्गत एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी–चावल)" कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार और राज्यों के बीच 90 : 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी पर विशेष रूप से बीजों के उत्पादन व वितरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए 700 से ज्यादा अधिक उपज देने वाली किस्में और 28 हाइब्रिड्स विकसित की हैं। तकनीक के हस्तांतरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की सहायता पर किसानों के खेतों पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किए जाते हैं। मूल्य सहायता प्रक्रिया के तहत धान उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य की गारन्टी भी प्रदान की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विज्ञापन

***266. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के विभिन्न विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) द्वारा विज्ञापन देने संबंधी नीति क्या है;

(ख) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रसार भारती की उपेक्षा कर अपने विज्ञापन निजी टेलीविजन चैनलों को देने के समाचार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारती को विज्ञापन देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नीति के अनुसार, विज्ञान एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में सभी विज्ञापनों को जारी करने के लिए एक नोडल एजेंसी है।

(ख) और (ग) अभी तक, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम ने नई नीति के अन्तर्गत प्रसार भारती सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने के लिए डी.ए.वी.पी. से संपर्क नहीं किया है।

तथापि, दूरदर्शन को सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नई विज्ञापन नीति में की गयी व्यवस्था के अनुसार, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों के सभी विज्ञापनों को डी.ए.वी.पी. के माध्यम से जारी करने की जरूरत पर समय-समय पर बल दिया जा रहा है।

दूरदर्शन ने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच दूरदर्शन का विपणन-कार्य करने के लिए अलग से एक विकास संचार प्रभाग की स्थापना की है।

विवरण

दूरदर्शन के माध्यम से विज्ञापन देने वाले मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

मंत्रालय	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (10 विभाग)	प्रौढ़ शिक्षा	पी.सी.आर.ए.
महिला एवं बाल विकास	प्रारंभिक शिक्षा	ओ.एन.जी.सी.
उपभोक्ता मामले	दिल्ली सचिवालय	ड्रग कंट्रोल एंड फार्मस्यूटिकल्स
वित्त	जन्म एवं मृत्यु	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड
जनजातीय मामले	वैयक्तिक, पी जी और पेंशन	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
गृह	कंपनी कार्य	एकीकृत ग्रामीण विकास एजेंसी (आई.आर.डी.ए.)
पर्यावरण एवं वन	भारतीय मानक ब्यूरो	
ग्रामीण विकास	आयकर निदेशालय	
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड	
पेट्रोलियम	सीमा-शुल्क एवं उत्पाद कर	
पंचायती राज	पशुपालन	
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		

कृषकों हेतु भारतीय व्यापार संगठन

***267. श्री राकेश सिंह :**

श्री सेंगरा सुरेन्द्रम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश आयातित खाद्यान्नों पर निर्भर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय व्यापार संगठन (आईटीओ) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित भारतीय व्यापार संगठन (आईटीओ) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी नहीं। देश में वर्ष 2004–05 और 2005–06 में क्रमशः 188.38 मिलियन मी. टन तथा 191.17 मिलियन मी. टन की खाद्यान्नों की आवश्यकता की तुलना में वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 में खाद्यान्नों का उत्पादन क्रमशः 198.36 मिलियन मी. टन और 208.3 मिलियन मी. टन हुआ था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने सिफारिश की है कि एक भारतीय व्यापार संगठन (आइटीओ) की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग की इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

घटता वन क्षेत्र

***268. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष एक वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछला सर्वेक्षण कब किया गया था और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत कानूनी और वित्तीय उपाय देश में वन क्षेत्र के घटते जाने की प्रवृत्ति को रोक पाने में असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी हां। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ एस आई) द्विवार्षिक आधार पर वन स्थिति रिपोर्ट (एस एफ आर) प्रकाशित करता है।

(ख) वन आवरण का पिछला मूल्यांकन 2003 में किया गया था जो वर्ष 2002 के सुदूर संवेदी उपग्रह डाटा पर आधारित है। वन स्थिति रिपोर्ट, 2003 के अनुसार देश का वन आवरण 678,333 वर्ग किलोमीटर है और यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 20.64 प्रतिशत है। इसमें अत्यधिक सघन वन (वी डी एफ) 51,285 वर्ग किलोमीटर (1.56%) सामान्य रूप से सघन वन (एम डी एफ) 339,279 वर्ग किलोमीटर (10.32%) और खुला वन क्षेत्र 287,769 वर्ग किलोमीटर (8.76%) है। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में से मध्य प्रदेश का 76,429 वर्ग किलोमीटर वन आवरण के साथ अधिकतम वन आवरण है, इसके बाद अरूणाचल प्रदेश (68,019 वर्ग किलोमीटर) और छत्तीसगढ़ (55,998 वर्ग किलोमीटर) है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। गत तीन मूल्यांकनों में देश के वनावरण में बढ़ोत्तरी का रूझान दिखाई दिया है। वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित गत तीन द्विवार्षिक मूल्यांकनों के अनुसार देश के वनावरण का आंकड़ा निम्नानुसार है :

(वर्ग कि.मी. में क्षेत्र)

1999	2001	2003
637,293	675,538	678,333

तथापि, सरकार ने देश में वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वन विकास अभिकरणों की स्थापना, संयुक्त वन प्रबंधन (जे एफ एम) के माध्यम से लोगों की सहभागिता प्राप्त करना, अवक्रमित वनों के पुनरूद्भव, वनों की सुरक्षा और संरक्षण और देश में वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) स्कीम का क्रियान्वयन जैसे कई कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन

***269. डा. राजेश मिश्रा :**
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेईमान विनिर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों की बढ़ती हुई संख्या पर रोक लगाने हेतु एक राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो गुमराह करने वाले ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का एक प्रस्ताव है जो अन्य बातों के साथ–साथ बेईमान विनिर्माताओं द्वारा जारी उपभोक्ताओं के एक वर्ग को प्रभावित करने वाले भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों पर भी निर्णय देगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मैंग्रोव का संरक्षण

***270. श्री एस. अजय कुमार :**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मैंग्रोव वनों का राज्य-वार और स्थान-वार क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या सरकार मैंग्रोव वनों को संरक्षण प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मैंग्रोव के संरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) उपग्रह चित्र के निर्वचन द्वारा दो वर्ष में एक बार किए जाने वाले वन आच्छादन आकलन के भाग के रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण कच्छ वनस्पति का आकलन करता है। परिणामों को "वन स्थिति रिपोर्ट" में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2003 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कच्छ वनस्पति का कुल क्षेत्र लगभग 4,461 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ वनस्पति क्षेत्र का राज्य-वार और स्थल-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :-

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र और जिला	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	
	पूर्वी गोदावरी	188
	गुंटुर	47
	कृष्णा	93
	प्रकाशम	1
	कुल	329
2.	गोवा	
	उत्तरी गोवा	7
	दक्षिणी गोवा	3
	कुल	10
3.	गुजरात	
	अहमदाबाद	2
	भरूच	33
	भावनगर	16
	जाम नगर	141
	कच्छ	749
	नवसारी	1
	पोरबंदर	1
	राजकोट	2
	सूरत	13
	वलसाड़	2
	कुल	960
4.	कर्नाटक	
	कन्नड उत्तर	2
	उडुपी	1
	कुल	3
5.	केरल	
	एरनाकुलम	1
	कन्नुर	7
	कुल	8
6.	महाराष्ट्र	
	मुम्बई शहर	1
	मुम्बई सबरब	31
	रायगढ़	38
	रत्नगिरी	14
	सिंधदुर्ग	2
	थाणे	30
	कुल	116
7.	उड़ीसा	
	बालेश्वर	4
	भद्रक	20
	जगतसिंहपुर	3

1	2	3
	केन्द्र पाडा	180
	कुल	207
8.	तमिलनाडु	
	चिदम्बरनार	2
	केड्डालोर	7
	नागापट्टनम	17
	रामनाथपुरम	1
	तेंजावुर	8
	कुल	35
9.	पश्चिम बंगाल	
	मिदिनीपुर	9
	24 परगना उत्तर	28
	24 परगना दक्षिण	2083
	कुल	2120
10.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	
	अंडमान	644
	निकोबार	27
	कुल	671
11.	दमन एवं दीव	
	दीव	1
	कुल	1
12.	पाण्डिचेरी	
	यानम	1
	कुल	1
	कुल योग	4461

(ख) और (ग) जी, हां। कच्छ वनस्पति का संरक्षण विभिन्न विनियामक उपायों जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986), उक्त अधिनियम के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (1991), भारतीय वन अधिनियम (1927) और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के माध्यम से किया जाता है। कच्छ वनस्पति का संरक्षण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय लगाई गई शर्तों के अनुपालन की मानीटरिंग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उद्योगों और अन्य अस्तित्वों द्वारा उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों को लागू करके किया जाता है।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न तटीय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त 22 प्रस्तावों में से 15 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और उन्हें सहायता जारी की गई। यह बताना संभव नहीं है कि शेष प्रस्तावों को कितने समय में अनुमोदित कर दिया जाएगा क्योंकि यह प्रस्तावों में निर्धारित प्रपत्रों को पूरा करने, बजट संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

घटिया किस्म के गेंहू का आवंटन

***271. श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्यान्न आधारित कल्याण योजनाओं के अंतर्गत वितरण के लिए घटिया किस्म के गेहूं का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों से इसके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली औश्र खाद्यान्न आधारित अन्य कल्याण स्कीमों के अधीन वितरण करने के लिए केवल उचित औसत किस्म का गेहूं जारी किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने के लिए खराब गुणवत्ता के गेहूं के आवंटन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, देश में 4.86 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क में कुछ मामलों/स्थानों में शिकायतों की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तब इन्हें उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों को भेज दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी किए जाएं, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टॉक का उठान करने से पूर्व इसका निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।

(ख) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की जांच करने के लिए कम से कम निरीक्षक के रैंक का अधिकारी नियुक्त किया जाए।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टॉक जारी करने के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से खाद्यान्नों के नमूने लिए और सील किए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इनका प्रदर्शन उचित दर दुकानों के काऊंटरों पर किया जा सके।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारी उचित दर दुकानों की औचक जांच करते हैं।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों की संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानीटरिंग करने के लिए विभाग के क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने दौरे के भण्डारण डिपुओं तथा उचित दर दुकानों का दौरा भी करते हैं ताकि जारी किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशियों का उपयोग

***272. श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्रीमती नीता पटैरिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित धनराशियों पर निगरानी रखने तथा उन पर नियंत्रण करने हेतु एक समिति अथवा कोई अन्य तंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशियों का समुचित उपयोग किस प्रकार से सुनिश्चित करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) योजना की मानीटरिंग के लिए एक नई समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए योजना से संबंधित प्रचालन दिशानिर्देशों में सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की स्टीयरिंग कमेटी तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति के बारे में पहले से ही व्यवस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के लिए पहली किश्त राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की गहन जांच करने के पश्चात जारी की जाती है। योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए दूसरी व आगामी किश्तें राज्यों की ओर से आवधिक प्रगति रिपोर्ट व उपयोग प्रमाण-पत्र तथा अपेक्षित दस्तावेजों सहित उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाती है। एफ डी ए के लेखों की लेखा परीक्षा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा वार्षिक रूप से की जाती है।

ई.पी.एफ. के अंतर्गत औद्योगिक कामगार

***273. श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने प्रतिशत औद्योगिक कामगार कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं;

(ख) सभी कामगारों को श्रम कानूनों के अंतर्गत पूरा लाभ सुनिश्चित कराने हेतु उपलब्ध सरकारी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) कार्यालय के कुछ बेईमान तत्वों द्वारा कामगारों का कथित रूप से शोषण करने संबंधी गतिविधियों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कामगारों को शोषण से बचाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध नियम, 1952, 20 अथवा अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले 182 प्रतिष्ठान वर्ग पर लागू है। दिनांक 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत लाभ पाने वाले लाभभोगियों की संख्या 4,29,53,009 है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अपनी स्वयं की शक्ति के साथ लागू होता है और अनुप्रयोज्यता की शर्त को पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों को अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। अनुपालन से बच रहे दायरे में लिये

जा सकने वाले प्रतिष्ठानों के कवरेज हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं। इसके अलावा, कवर किए गए प्रतिष्ठानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनायी गयी योजनाओं के तहत लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को प्रदान किये जाते हैं।

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) संगठन के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षकों के रूप में घोषित किया जाता है, जो श्रम कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं। निरीक्षणों के दौरान पता लगे उल्लंघनों/अनियमितताओं के संबंध मे नियोजकों के खिलाफ न्यायालयों में अभियोजन चलाये जाते हैं तथा समुचित प्राधिकारी के समक्ष दावा मामले दायर किये जाते हैं।

विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत राज्य सरकारें भी "समुचित सरकार" हैं। श्रम कानूनों के किसी उल्लंघन के मामले में, आवश्यक कार्रवाई समुचित सरकार को करनी होती है क्योंकि उनके पास ऐसे उल्लंघनों का निपटान करने की कानूनी शक्ति होती है।

(ग) और (घ) बेईमान तत्वों के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी अधिकारियों के कार्यकरण पर कड़ी नजर रखी जाती है। पीड़ित सदस्य/नियोजक की शिकायतों को हल करने के लिए संगठन में पहले से ही एक पूर्णरूप से सृजित शिकायत निपटान तंत्र विद्यमान है। जब कभी बेईमान तत्वों के क्रियाकलापों का पता चलता है तब संशोधित व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई, अर्थात् शिकायतें दर्ज कराना, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि, की जाती है।

विवरण

31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में लाभार्थियों का ब्यौरा

क्षेत्र	सदस्यों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	3196024
बिहार	237447
छत्तीसगढ़	323079
दिल्ली	2168599
गोवा	343911
गुजरात	3711889
हरियाणा	2514523
हिमाचल प्रदेश	231857
झारखण्ड	761680
कर्नाटक	4106119
केरल	1291173
महाराष्ट्र	8000839
मध्य प्रदेश	1436072
दक्षिण-पूर्व क्षेत्र	222026
उड़ीसा	728062
पंजाब	2392381
राजस्थान	1442549
तमिलनाडु	5480701
उत्तरांचल	191440
उत्तर प्रदेश	1534076
पश्चिम बंगाल	2638562
कुल	42953009

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल नीति

***274. श्री अधीर चौधरी :**
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक समान राष्ट्रीय जल नीति और जल के अंधाधुन्ध प्रयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल समय-समय पर सरकार को अपनी सिफारिशें देते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल विनियामक तंत्र की स्थापना करने हेतु हाल ही में राज्यों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस विधेयक पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भू-जल के दोहन को रोकने हेतु उठाए गए अन्य ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) समान राष्ट्रीय जल नीति और इसके अविवेकपूर्ण प्रयोग को रोकने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने विशेषज्ञ समूहों का गठन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल सहित जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन संबंधी स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाती है। इसी प्रकार, भूजल की निकासी को रोकने संबंधी उपाय भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। तथापि, इस संबंध में राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने और सहायता करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) भूजल के विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक माडल बिल का मसौदा राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को 11.9.2005 को लिखे अपने पत्र में भूजल के अति-दोहन को रोकने के लिए भूजल कानून अधिनियमित करने के वास्ते राज्य सरकारों से अपील की है।

(ii) केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने ऐसे सभी राज्यों, जहां अतिदोहित ब्लाक हैं, के मुख्य सचिवों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भवन उप-नियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं।

(iii) जल संसाधन मंत्रालय ने सभी दावाधारकों के बीच भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के मुख्य उद्देश्य सहित केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक सलाहकार परिषद का गठन किया है।

खाद्यान्नों के प्रबंधन पर राजसहायता

***275. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के प्रबंधन की लागत बहुत अधिक है और सरकार खाद्य राजसहायता का प्रमुख हिस्सा प्रबंधन पर खर्च करती है; और

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की प्रबंधन लागत को कम करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की हैंडलिंग की लागत वहन की गई कुल खाद्य राजसहायता का लगभग 7% है।

(ख) हैंडलिंग लागत को और कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं/उपायों का प्रस्ताव किया है :-

(i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू कर अधिशेष श्रमिकों की संख्या में कटौती करना।

(ii) अधिशेष वाले क्षेत्रों से श्रमिकों को हटाकर कमी वाले क्षेत्रों में तैनात करना।

(iii) हैंडलिंग मानदंडों में संशोधन करना।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकरण

***276. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपभोक्ता संरक्षण परिषद (सी पी सी) के कार्य क्या हैं;

(ख) क्या अनेक राज्य सी पी सी का गठन करने में विफल रहे हैं, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 8क के अंतर्गत अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार राज्यों को सी पी सी का गठन करने के लिए प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सी पी सी द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना है।

(ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 8(क), जो

15.3.2003 से लागू हुई, में दिए गए अधिदेश के अनुसार अब तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं जबकि 3 अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदें आंशिक रूप से गठित की गई हैं।

(ग) केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने यहां उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने का अनुरोध करती रही है क्योंकि अधिनियम के अनुसार परिषदों की स्थापना करना उनकी जिम्मेदारी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण परिषदें उपभोक्ता शिकायतों के संबंध में न्यायिक निकाय नहीं हैं।

ई. आई. ए. मानदंड

***277. श्री निखिल कुमार :**
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने संबंधी नियमों में ढील देते हुए नए 'इनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट' मानदंडों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अपनाए जाने वाले तरीके का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मानदंडों से विभिन्न क्षेत्रों को कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अपनाए गए तरीके की कई गैर सरकारी संगठनों/उद्योगों द्वारा आलोचना की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आलोचना के क्या आधार हैं;

(च) क्या उक्त मानदंडों को अंतिम रूप देने से पहले पंचायती राज संस्थाओं से परामर्श करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, विकेन्द्रीकृत और पारदर्शी बनाने के लिए 14 सितम्बर, 2006 को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 अधिसूचित की गई है।

(ख) 14 सितम्बर, 2006 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना तैयार करने और उसके साथ-साथ पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 की व्यापक पुनरीक्षा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया, केन्द्र सरकार द्वारा गठित गोविन्दराजन समिति द्वारा सिफारिश किए गए विनियामक सुधार, राज्य पर्यावरण मंत्रियों और संबंधित सचिवों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, गैर सरकारी संगठनों और औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए, प्रभावित व्यक्तियों/संगठनों से 15 सितम्बर, 2005 को प्रारुप पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना जारी करके 60 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां/टिप्पणियां मांगी गई थीं ताकि प्राप्त सभी टिप्पणियों का संकलन और पुनरीक्षा की जा सके और सभी संबंधित स्टेक होल्डरों से आगे विचार-विमर्श किया जा सके।

(ग) इ.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए परियोजना प्रस्तावकों को प्रमुखतः लाभ इसलिए पहुंचेगा, क्योंकि इसमें विकेन्द्रीकरण और प्रोसेसिंग की कुशलता परिकल्पित है।

(घ) और (ङ) विचार-विमर्श के दौरान किए गए सभी वैध सुझावों को उपयुक्त रूप से अधिसूचना में शामिल किया गया है।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अधिसूचना को अन्तिम रूप देने से पूर्व, जैसा कि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में दर्शाया गया है, सभी संबंधित स्टेक होल्डरों से व्यापक रूप से परामर्श किया गया था।

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं

***278. श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए कोई नई सिंचाई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा आबंटित किए जाने का विचार है;

(घ) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इनसे कितने किसानों को लाभ मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ङ) छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमें प्रारंभ की गई हैं :

1. अनुच्छेद 275(I) के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए लघु सिंचाई स्कीमें

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में किए गये इस वादे, कि दलितों और आदिवासियों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए सरकार लघु सिंचाई के वास्ते एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी, के अनुरूप अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए लघु सिंचाई स्कीमें शुरू करने के वास्ते राज्यों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2005–06 के दौरान एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया है। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लघु सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए का आबंटन विशेष रूप से किया है। चालू वर्ष के दौरान योजना आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आबंटित 400 करोड़ रुपए में से जनजातियों के स्वामित्व वाली भूमि की लघु सिंचाई के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है।

2. वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के तहत नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित अजा/अजजा किसानों के लिए जल संचयन स्कीमें

वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2004–05 में अजा/अजजा किसानों के वर्षा जल संचयन स्कीम की घोषणा की। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के तहत नाबार्ड इस स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम द्वारा 50% सब्सिडी सहित 49 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 24500 जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराई जानी है। यह स्कीम 2004–05 से प्रचालनाधीन है और 2004–05 में सब्सिडी के रूप में 64 लाख रुपए जारी किए गए। वर्ष 2005–06 में आरई में सब्सिडी के लिए 8.50 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2006–07 में 16 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता के रूप में रखे गए हैं। इस स्कीम के तहत उपयुक्त लिफ्टिंग उपायों सहित अवस्थिति विशिष्ट वर्षाजल संचयन संरचनाओं का प्रस्ताव किया गया है। दिसम्बर, 2005 तक 3366 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण होने की सूचना मिली है।

3. सूक्ष्म सिंचाई पर स्कीम

सरकार ने पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए जनवरी, 2006 में सूक्ष्म सिंचाई पर एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारम्भ की है। इस स्कीम के तहत प्रणाली लागत के लिए 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा 40% और राज्य सरकार द्वारा 10% का वहन किया जाएगा। शेष 50% का वहन लाभग्राही द्वारा उसके अपने संसाधनों अथवा वित्तीय संस्थानों से आसान ऋण (सॉफ्ट लोन) के जरिए किया जाएगा। इस स्कीम में आयल पालम इत्यादि को छोड़ कर गन्ना, गेहूं, तिलहन, काटन जैसी सभी बागवानी और गैर–बागवानी फसलों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों ही सिंचाई शामिल हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभग्राहियों में कम से कम 25% छोटे और सीमान्त किसान शामिल हों, इस स्कीम के तहत सभी श्रेणियों के किसान शामिल किए जाते हैं। 2005–06 और 2006–07 के दौरान क्रमशः 280.49 करोड़ रुपए और 520.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुमोदित वार्षिक कार्रवाई योजना के आधार पर निधि जारी की जाती है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त छोटे और सीमान्त किसानों सहित ग्रामीण लोगों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), एकीकृत वाटरशेड विभाजक परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

दूसरी हरित क्रांति

***279. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :**

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूसरी हरित क्रांति के संबंध में सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन–कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ वर्ष–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई/जारी की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने दूसरी हरित क्रांति के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निदेश जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या निजी क्षेत्र ने भी इस संबंध में रूचि दिखाई है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (छ) कृषि क्षेत्र का पुनः सक्रियकरण

(रीवाईटेलाइजेशन), इसके उत्पादन और उत्पादकता में सुधार और किसानों की आमदनी में वृद्धि उन प्रमुख अभिवृद्धि क्षेत्रों में से हैं जिन्हें सरकार ने संकेन्द्रित और संगठित कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं। हाल ही के महीनों के किए गए महत्वपूर्ण उपायों में अधिक मूल्य वाली फसलों के कृषि विविधिकरण के भाग के रूप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन को शुरू करना और फार्म परिवारों को पोषणिक सुरक्षा और आय समर्थन सुनिश्चित करना; जल के कुशल उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित स्कीम जो बारानी भूमि और वर्षापोषित क्षेत्रों में विशेषरूप से लाभप्रद है; बारानी [illegible] वर्षापोषित क्षेत्रों में सतत कृषि विकास के संवर्धन के लिए भारतीय राष्ट्रीय वर्षापोषित प्राधिकरण की स्थापना; फार्म पर प्रौद्योगिकियों के विकास के प्रसार के लिए विस्तार समर्थन प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण; विपणन अवसंरचना का उदारीकरण और सुदृढ़ीकरण; गुणवत्ता आदानों की आपूर्ति में सुधार आदि हैं। सरकार का यह भी प्रयास है कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि विस्तार, आदान आपूर्ति और विपणन समर्थन में कृषि [illegible] में सार्वजनिक–निजी सहभागिता का संवर्धन किया जाए।

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को निधियों की निर्मुक्ति निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	निर्मुक्त की गई निधियां
2003–04	2050.77
2004–05	2657.42
2005–06	3798.69

तथापि, दूसरी हरित क्रान्ति के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि नवीकरण के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

पशुधन की गणना

*280. **श्री रामदास आठवले :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नियमित आधार पर पशुधन की गणना की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले किस वर्ष में पशुधन की गणना की गई थी;

(ग) देश मे विशेषकर दुधारू और संकर प्रजाति के पशुओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा पशुधन की संख्या में वृद्धि करने और इनकी प्रजाति में भी सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) अगली गणना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) पिछली पशुधन गणना वर्ष 2003 में की गई थी।

(ग) देश में वर्णसंकर तथा दुधारू गोपशु की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग पशुधन संख्या बढ़ाने तथा उनकी नस्ल को सुधारने के लिए भी निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करता है :–

(i) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन

(ii) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

(iii) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(iv) पशुधन बीमा योजना

(v) विलुप्तप्राय पशुधन नस्लों का संरक्षण

(ङ) अगली गणना 2007 के दौरान किए जाने की संभावना है।

विवरण

कुल वर्ण संकर तथा दुधारू गोपशु की संख्या – 2003 गणना के अनुसार – राज्यवार

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ प्रशासित प्रदेश	गोपशु		
		कुल	वर्णसंकर	दुधारू
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9300	1107	2409
2	अरुणाचल प्रदेश	458	13	116
3	असम	8440	440	2195
4	बिहार	10729	1274	3408

1	2	3	4	5
5	छत्तीसगढ़	8882	253	2379
6	गोवा	76	12	23
7	गुजरात	7424	639	2437
8	हरियाणा	1540	573	572
9	हिमाचल प्रदेश	2236	677	812
10	जम्मू और कश्मीर	3084	1320	1141
11	झारखण्ड	7659	145	1899
12	कर्नाटक	9539	1602	3404
13	केरल	2122	1735	943
14	मध्य प्रदेश	18913	317	5840
15	महाराष्ट्र	16303	2776	4921
16	मणिपुर	418	69	101
17	मेघालय	767	23	229
18	मिजोरम	36	9	11
19	नागालैण्ड	451	243	137
20	उड़ीसा	13903	1063	3621
21	पंजाब	2039	1531	864
22	राजस्थान	10854	464	4483
23	सिक्किम	159	80	60
24	तमिलनाडु	9141	5140	3694
25	त्रिपुरा	759	57	240
26	उत्तर प्रदेश	18551	1634	5544
27	उत्तरांचल	2188	228	694
28	पश्चिम बंगाल	18913	1119	5782
29	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	64	13	21
30	चंडीगढ़	6	5	4
31	दादर और नागर हवेली	50	1	11
32	दमन और दीव	4	0	1
33	दिल्ली	92	58	54
34	लक्षद्वीप	4	2	2
35	पांडिचेरी	78	63	35
	अखिल भारत	185181	24686	58086

नोट : 1. आंकड़ों के समीपन के कारण कुल योग नहीं मिल सकता है।
2. 0 हजार के आंकड़े से कम है।

स्रोत : 17वीं पशुधन संगणना

[अनुवाद]

ई.एस.आई. चिकित्सा सेवाएं

*281. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों को सीधी चिकित्सा सेवा मुहैया कराने हेतु चिकित्सा सेवाओं का नियंत्रण राज्यों के स्थान पर अपने अधीन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) अस्पतालों का स्वामित्व मॉडल अस्पताल के रूप में चलाने हेतु अपने हाथ में लिया गया है;

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कितना अनुमानित वित्तीय भार वहन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) पूरे देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को मुहैया कराने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 15.6.2006 को आयोजित अपनी 136वीं बैठक में सिद्धान्त रूप से, उन राज्यों से चिकित्सा योजना के संचालन का अधिग्रहण करने पर विचार करने का निर्णय लिया है

जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अंतर्गत उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सौंपने के इच्छुक हैं। राज्य सरकारों से कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिग्रहीत करने की व्यवहार्यता और रूपात्मकताओं को तैयार करने और जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) इस समय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम पूरे देश में सीधे 21 अस्पताल चला रहा है, इनमें से, 17 मॉडल अस्पतालों के रूप में हैं। इनमें से, 12 अस्पतालों का अधिग्रहण राज्य सरकारों से किया गया है। इन अस्पतालों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन अस्पतालों को चलाने की संपूर्ण लागत का वहन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

(ङ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अस्पतालों और औषधालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से अपने लाभभोगियों को पहले से ही पूरी चिकित्सा देख-रेख मुहैया करा रहा है। बाह्य रोगी देख-रेख के लिए निजी चिकित्सा प्रैक्टिशनरों के माध्यम से भी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा, उच्च विशेषज्ञता जांच और इलाज के लिए प्रतिष्ठित सरकारी/निजी संस्थानों के साथ समुचित अनुबंध (टाई-अप) व्यवस्था है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभभोगियों को एलोपैथिक और भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, योग और होम्योपैथी (आयुष) शामिल हैं। कर्मचारी राज्य बीमा लाभभोगियों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- स्वास्थ्य शिक्षा
- परिवार कल्याण सेवाएं
- टीकाकरण सेवाएं
- एच आई वी और एड्स नियंत्रण सेवाएं
- बाह्य रोगी, आंतरिक रोगी, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं
- नैदानिक प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल सेवाएं
- प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद की सेवाएं
- व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं
- विशेषज्ञता जांचों सहित उच्च विशेषज्ञता सेवाएं
- शारीरिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास
- एम्बुलेंस सेवाएं
- चश्मों, नकली दांत (डेंचरों), श्रवण मशीनों, कृत्रिम अंगों आदि जैसे कृत्रिम सहायक सामान और उपकरण, आदि
- औषधियां और मरहम पट्टी

इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने लाभभोगियों को स्तरीय चिकित्सा देखरेख मुहैया कराने हेतु आधुनिक उपकरणों के साथ अपने अस्पतालों को उन्नत बना रहा है।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों की सूची

क्रमांक	राज्य	अस्पताल
1.	आंध्र प्रदेश	नचरम, हैदराबाद
2.	असम	बेलटोला
3.	बिहार	फुलवारी शरीफ
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	चंडीगढ़
5-8	दिल्ली	बसईदारापुर, झिलमिल, ओखला, रोहिणी
9.	गुजरात	बापू नगर
10.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
11.	झारखंड	रांची
12.	कर्नाटक	राजाजी नगर
13.	केरल	असरारमाम, कोल्लम
14.	मध्य प्रदेश	नागदा
15.	महाराष्ट्र	चिंचवाड, पुणे
16.	उड़ीसा	राउरकेला
17.	पंजाब	लुधियाना
18.	राजस्थान	जयपुर
19.	तमिलनाडु	के.के. नगर, चैन्नई
20.	उत्तर प्रदेश	नोएडा
21.	पश्चिम बंगाल	जोका, कोलकाता

[अनुवाद]

इन्डेक्स रिव्यू कमेटी का गठन

2601. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने इन्डेक्स रिव्यू कमेटी (आई आर सी) का पिछली बार गठन कब किया था;

(ख) क्या सरकार का विचार अगली आई आर सी का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) सरकार ने नवम्बर, 1980 में डा. के.सी.सील की अध्यक्षता मे पिछली सूचकांक समीक्षा समिति का गठन किया था।

(ख) से (घ) सरकार ने 17.11.2006 को प्रो. जी.के. चड्ढा की अध्यक्षता में एक सूचकांक समीक्षा समिति का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नवत हैं :

(i) तोलक आरेख, समेकन की पद्धति और सम्बद्ध कारक की प्राप्ति हेतु कार्य प्रणाली सहित औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई–आई डब्ल्यू) के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।

(ii) विद्यमान मूल्य संग्रहण प्रक्रियाओं और मूल्य संग्रहण के तंत्र का अध्ययन करना और रिपोर्ट देना।

(iii) और अधिक सुधार के लिए सिफारिशें करना।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा

2602. श्री बापू हरी चौरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) को चालू वित्त वर्ष के दौरान हुआ घाटा पिछले वर्ष में हुए घाटे की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा 30 सितम्बर, 2006 तक डीएमएस को कितना घाटा हुआ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डीएमएस को अनुमानतः कुल कितना घाटा हुआ तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा घाटे को पूरा करने तथा डीएमएस को लाभकारी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) चालू वर्ष 2006–07 के लिए प्रोफार्मा एकाउंट इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तैयार किया जाएगा।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के लाभ में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) सरकार सकल दक्षता को बढ़ाने के लिए विपणन, दुलाई तथा संयंत्र संचालन जैसे प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना रही है।

(ii) व्यय को कम करने के लिए, केन्द्रीय डेयरी मे दूध की पैकिंग को तीन शिफ्टों की बजाय दो शिफ्टों में पूरा किया जा रहा है।

(iii) लागत को कम करने के लिए पुराने संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरणों को आधुनिक बनाया जा रहा है.

(iv) औसतन दैनिक दूध की बिक्री, दूध के रख-रखाव में बिजली की प्रति यूनिट खपत, तरल दूध की क्षति की प्रतिशतता तथा नकद घाटे में कमी आदि जैसे दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न दक्षता पैरामीटरों की मासिक आधार पर निगरानी की जा रही है।

[अनुवाद]

पुष्पकृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देना

2603. श्री नवीन जिन्दल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुष्पकृषि तथा बागवानी के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे कितने किसानों को लाभ हुआ; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान फूलों के निर्यात के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) दसवीं योजना के दौरान भारत सरकार ने देश में पुष्पकृषि सहित कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बृहत कृषि प्रबंधन – कार्य योजना के जरिए राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की। वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के आरंभ के बाद बृहत प्रबंधन स्कीम के तहत कवर किए गए बागवानी के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में मिला दिया गया। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) पर अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पूर्वोत्तर राज्यों में पुष्पकृषि सहित बागवानी के विकास के लिए वर्ष 2001–02 में क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2003–04 के दौरान जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों को भी शामिल किया गया था।

(ख) वर्ष 2003–04 तथा 2004–05 की अवधि के दौरान बृहत प्रबंधन स्कीम के तहत निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत निर्मुक्त निधियां संलग्न विवरण–II में दर्शाई गई हैं। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2006–07 के दौरान निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(ग) देश में कुल बागवानी उत्पादन वर्ष 2001–02 में 145.8 मिलियन मी. टन से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 169.8 मिलियन मी. टन हो गया। इसी अवधि के दौरान खुले हुए फूलों का उत्पादन 0.54 मिलियन मी. टन से बढ़कर 0.66 मिलियन मी. टन हो गया जबकि तराशे हुए फूलों का संख्यावार उत्पादन 804 मिलियन से बढ़कर 1952 मिलियन हो गया।

(घ) वर्ष 2005–06 तक टीएमएनई स्कीम के तहत पुष्पकृषि सहित विभिन्न बागवानी फसलों के अंतर्गत 1.43 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वर्ष 2005–06 के दौरान पुष्पकृषि सहित विभिन्न बागवानी फसलों के अंतर्गत 2.04 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए सहायता दी गई थी। इन स्कीमों के तहत सहायता बागवानी फसलों हेतु चार हैक्टेयर प्रति लाभानुभोगी तथा पुष्पकृषि हेतु दो हैक्टेयर प्रति लाभानुभोगी तक सीमित है। तथापि इन स्कीमों के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या का आकलन नहीं किया गया है।

(ङ) वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान फूलों के निर्यात के जरिए 759.95 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है।

विवरण-I

वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित बृहत कृषि प्रबंध स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

	राज्य/संघ शा.प्र.	2003–04	2004–05
	1	2	3
1	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	124.27	9.50
2	आंध्र प्रदेश	1323.35	1168.90
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
4	असम	0.00	0.00
5	बिहार	747.39	500.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	425.00	384.00
8	दादर और नगर हवेली	11.75	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00
10	दिल्ली	37.70	30.00
11	गोवा	106.00	101.25
12	गुजरात	383.33	591.00
13	हरियाणा	277.00	300.00
14	हिमाचल प्रदेश	483.53	0.00
15	जम्मू और कश्मीर	505.83	91.81
16	झारखण्ड	95.00	103.00
17	कर्नाटक	1500.55	1555.55
18	केरल	1059.75	2046.95
19	लक्षद्वीप	49.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	444.44	600.00
21	महाराष्ट्र	3890.00	2265.00
22	मणिपुर	0.00	0.00
23	मेघालय	2.50	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00
25	नागालैण्ड	0.00	0.00
26	उड़ीसा	805.55	890.00
27	पांडिचेरी	35.00	35.00
28	पंजाब	180.00	180.00
29	राजस्थान	775.00	684.41

	1	2	3
30	सिक्किम	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	1890.00	916.00
32	त्रिपुरा	0.00	0.00
33	उत्तर प्रदेश	500.00	675.00
34	उत्तरांचल	250.00	24.00
35	पश्चिम बंगाल	511.00	450.00
	कुल	16412.94	13601.37

विवरण-II

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत निर्मुक्त राज्यवार राशि

(लाख रुपये में)

	राज्य/संघ शा. प्र.	2005-06	2006-07
	1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	4420.96	5000.00
2	बिहार	3100.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	2367.83	5500.00
4	दिल्ली	–	300.00
5	गोवा	315.20	200.00
6	गुजरात	3239.28	700.00
7	हरियाणा	1050.00	2400.00
8	झारखण्ड	3030.00	4000.00
9	कर्नाटक	4455.17	1000.00
10	केरल	3533.98	7500.00
11	मध्य प्रदेश	2839.77	0.00
12	महाराष्ट्र	8260.28	11320.48
13	उड़ीसा	3611.91	4200.00
14	पंजाब	2868.82	800.00
15	राजस्थान	2259.57	1500.00
16	तमिलनाडु	3891.67	4600.00
17	उत्तर प्रदेश	5340.25	0.00
18	पश्चिम बंगाल	4035.31	1400.00
19	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	85.00
20	लक्षद्वीप	–	63.00
	कुल	58620.00	50568.48

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत निर्मुक्त राज्यवार निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
		1	2	3	4
क. मिनी मिशन-I (अनुसंधान)					
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	100.00	700.00	–	–
2.	जम्मू और कश्मीर	100.00	100.00	250.00	50.00
3.	हिमाचल प्रदेश	100.00	100.00	250.00	50.00
4.	उत्तरांचल	100.00	154.00	250.00	50.00

		1	2	3	4
ख. मिनी मिशन-II (उत्पादन एवं उत्पादकता सुधार)					
1.	अरुणाचल प्रदेश	1220.00	1645.55	1300.00	700.00
2.	असम	1400.00	871.00	1300.00	700.00
3.	मणिपुर	638.00	1286.25	1500.00	850.00
4.	मेघालय	850.00	1395.99	1700.00	1000.00
5.	मिजोरम	1089.00	1801.10	1800.00	1500.00
6.	नागालैण्ड	1256.00	1467.30	1700.00	800.00
7.	सिक्किम	1000.00	1150.00	1800.00	1500.00
8.	त्रिपुरा	900.00	1111.30	1500.00	700.00
9.	जम्मू और कश्मीर	650.00	1233.00	1550.00	883.00
10.	हिमाचल प्रदेश	650.00	1300.00	1100.00	3000.00
11.	उत्तरांचल	564.72	975.00	1100.00	3000.00
12.	तकनीकी समर्थन/एसएफएसी सेवा अधिभार एवं अन्य परियोजना आधारित प्रस्ताव	101.28	89.29	189.21	67.00
ग. मिनी मिशन-III (फसल कटाई पश्चात प्रबंधन व विपणन)					
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्त राज्य	700.00	1480.49	500.00	400.00
2.	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल	320.00	192.00	750.00	300.00
3.	जम्मू और कश्मीर (पुनर्निमाण योजना)	–	178.50	–	–
घ.	मिनी मिशन-IV (प्रसंस्करण)				
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	*	*	*	*
2.	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल	100.00	120.00	200.00	200.00
3.	जम्मू और कश्मीर (पुनर्निमाण योजना)	–	321.50	–	–
	कुल क्षेत्र	11839.00	17672.27	18739.21	15750.00

* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिशन कार्यक्रमों हेतु अपने परिव्यय के 10% आवंटन से अपनी स्कीम कार्यान्वित करेगा। अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई हों, को मिशन द्वारा मुहैया कराया जाएगा।

[हिन्दी]

वाहनों के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले हेल्मेटों की आपूर्ति

2604. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने मोटरसाइकल विनिर्माताओं के लिए वाहनों के साथ उन्नत मानकों पर खरे उतरने वाले हेल्मेटों की आपूर्ति करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बायो-स्फेयर रिजर्वो हेतु आवंटन

2605. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में बायो–स्फेयर रिजर्वों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान बायो–स्फेयर रिजर्वों के पुनर्निर्माण के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है; और

(ग) इसमें कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है तथा इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) आज तक की बाघ रिजर्वों की राज्यवार सूची नीचे दी गई है :–

असम (डिब्रू शिखोवा, मनास), अरुणाचल प्रदेश (दिहांग, दिबांग), छत्तीसगढ़ (अचानकमार–अमरकंटक का भाग), अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (ग्रेट निकोबार), कर्नाटक (निलीगिरी का भाग), केरल (निलगिरी के भाग, अगस्थमलय का भाग), मध्य प्रदेश (पंचमढ़ी, अचानकमार–अमरकंटक का भाग), मेघालय (नोकरीक), उड़ीसा (सिमलीपाल), सिक्किम (कंचनजंगा), तमिलनाडु (निलगिरी का भाग, मनार की खाड़ी, अगस्थमलय का भाग), उत्तरांचल (नन्दादेवी), पश्चिम बंगाल (सुन्दरवन)

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान जीवमण्डल रिजर्वों में प्रबंधन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया बजटीय आवंटन नीचे दिए अनुसार है :–

(लाख रुपये)

वित्तीय वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
बजटीय आवंटन	रु. 284.45	रु. 402.676	रु. 583.11	578.674	रु. 653.65

(ग) निधि प्राप्त करने वाले राज्यों द्वारा निधि के पर्याप्त भाग का उपयोग सर्वेक्षण के माध्यम से जैवविविधता संरक्षण की निगरानी और संवर्धन पर लक्षित कार्यों और वनस्पति जात और प्राणिजात के आकलन तथा मधुमक्खी पालन, बागवानी, स्थानीय निवासियों का कौशल बढ़ाने और प्रशिक्षण, जैसे वैकल्पिक आजीविका विकल्पों को उपलब्ध करवाना, जैट्टी पट्टी पर खरंजा बिछाना जैसी लघु आधारभूत संरचना तैयार करना, चैक डैम और पेयजल वनीकरण के माध्यम से अवक्रमित स्थलों का उद्धार तथा निर्वचन केन्द्र निर्माण और प्रचार सामग्री वितरण के माध्यम से जागरुकता सृजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से अव्यवहार्य सहकारी समितियां

2606. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं तथा इनकी शाखाओं की राज्य–वार और स्थान–वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी समितियां आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बन गई हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या कुछ सहकारी समितियों की काफी समय से लेखापरीक्षा नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन समितियों की कब तक लेखापरीक्षा करवाये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में सहकारी समितियों की कुल संख्या 5,42,566 है। इन समितियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सहकारी समितियों की लगभग 16,895 शाखाएं हैं।

(ख) देश में अव्यवहार्य समितियों की संख्या लगभग 1.13 लाख है। इन समितियों के अव्यवहार्य हो जाने के मुख्य कारण हैं -- व्यावसायिकता का अभाव, अव्यवहार्य व्यवसाय कार्य, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव और प्रबंधन में सदस्यों की सहभागिता का अभाव।

(ग) सरकार ने 13,596 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से लघु आवधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरूद्धार के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया है। पैकेज के अधीन वित्तीय सहायता के प्रावधान को सहकारी क्षेत्र में सुधारों से जोड़ा गया है।

(घ) से (च) सहकारी समितियां राज्य का विषय है और सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। सरकार ने लोक सभा में संविधान संशोधन (एक सौ छठा संशोधन) विधेयक, 2006 पेश किया है जो फिलहाल कृषि संबंधी स्थायी समिति के विचाराधीन है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ समितियों की समय पर लेखा परीक्षा का प्रावधान है।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	समितियों की कुल संख्या
1	2	3
1	अण्डमान और निकोबार	1387
2	आंध्र प्रदेश	39716
3	अरुणाचल प्रदेश	196
4	असम	9422
5	बिहार	29994
6	चंडीगढ़	1293
7	दादरा और नगर हवेली	137
8	दिल्ली	5086
9	गोवा	2045
10	गुजरात	51983
11	हरियाणा	24676
12	हिमाचल प्रदेश	4153
13	जम्मू और कश्मीर	3212
14	कर्नाटक	22429
15	केरल	17063
16	मध्य प्रदेश	25820
17	महाराष्ट्र	137834
18	मणिपुर	3944
19	मेघालय	768
20	मिजोरम	1338
21	नागालैण्ड	2857
22	उड़ीसा	8913
23	पांडिचेरी	436
24	पंजाब	21944
25	राजस्थान	19252
26	सिक्किम	324
27	तमिलनाडु	27785
28	त्रिपुरा	1727
29	उत्तर प्रदेश	36723
30	पश्चिम बंगाल	36374
31	छत्तीसगढ़	3945
32	झारखण्ड	237
33	उत्तरांचल	464
34	लक्षद्वीप	45
35	दमन और दीव	44
	कुल योग	5,42,566

[अनुवाद]

बाघ/हाथी अभयारण्य

2607. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री एनेम बर्मन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाघ और हाथी अभयारण्यों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना के सुधार एवं विकास हेतु बाहरी एजेन्सियों से निधियां लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर तथा बाघ परियोजना से संबंधित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 23.01.2003 को आयोजित अपनी 37वीं बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार सात राज्यों में आठ नए बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित करने हेतु "सैद्धांतिक रूप से मंजूरी" दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, तीन और नए हाथी रिजर्वों को सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक नए रिजर्वों के लिए आबंटन का संबंध है, इसे राज्यों द्वारा वार्षिक योजना प्रचालन में प्रस्तावित गतिविधियों के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) इस समय इस मंत्रालय के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

नए बाघ और हाथी रिजर्वों की सूची

क्रम सं.	नए बाघ/हाथी रिजर्वों के नाम	राज्य
1	2	3
1.	अनामलई–पारम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु और केरल
2.	उदन्ती और सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य	उड़ीसा
3.	सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य	असम
4.	काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क	छत्तीसगढ़
5.	अचनाकमर वन्यजीव अभयारण्य	कर्नाटक
6.	डन्डेली वन्यजीव अभयारण्य और आंशी राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश
7.	संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु
8.	मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य	उड़ीसा
9.	दक्षिण उड़ीसा हाथी रिजर्व	उड़ीसा
10.	वैतरनी हाथी रिजर्व	उत्तर प्रदेश
11.	गंगा–यमुना हाथी रिजर्व	उत्तर प्रदेश

झीलों से गाद निकालने के लिए धनराशि

2608. श्री ए.के. मूर्ति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में झीलों की गाद निकालने के लिए धनराशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) मंत्रालय प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंध के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में अवरोधन के मुख्य घटक और झील में उसके प्रवेश से पहले अपशिष्ट जल का शोधन करना शामिल है। इन कार्यों के अलावा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में जन भागीदारी सहित कैचमैंट सुधार, तटीय रेखा संरक्षण झील में सुधार (वातन, खरपतवार, गाद निकालना जैव उपचार और जैव परिचालन, और झील तटाग्र पारि विकास जैसे कार्य किए जाते हैं। झीलों के पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार की समग्र योजना के अंतर्गत गाद निकालने जैसे उपाय किए जाते हैं और यह प्रदूषण उपशमन स्कीमों के विस्तार के साथ जोड़ी हुई है।

पशुपालन के विकास हेतु धनराशि

2609. श्री सुबोध मोहिते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष में मद-वार तथा राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को धनराशि जारी करने के लिए क्या मानदण्ड बनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों विशेष रूप से महाराष्ट्र को अतिरिक्त धनराशि जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) पशुपालन के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तथा विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में राज्यवार उनके लिए दी गई सहायता का ब्यौरा विवरण I से IV में दिया गया है।

(ख) धन की उपलब्धता, विगत में धन के लिए उपयोग तथा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए धनराशि जारी की जाती है।

(ग) से (ङ) सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किया है जिसमें दूसरी बातों के अलावा पशुपालन, डेयरी विकास तथा मात्स्यिकी विकास से संबंधित घटकों पर तीन वर्षों में 698 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।

विवरण-I

2003-04 में योजनावार/राज्यवार जारी धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	विलुप्तप्राय पशुधन नस्लों का संरक्षण	पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	718.18	0.00	0.00	0.00	184.00	10.00	98.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	74.50	0.00	45.00	15.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	247.24	25.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	253.19	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	98.00	0.00	0.00	0.00	46.33	10.00	0.00
6	गोवा	58.71	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	0.00
7	गुजरात	40.00	0.00	22.38	0.00	246.72	25.00	88.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	211.25	20.00	116.00
9	हिमाचल प्रदेश	100.00	2.00	27.40	0.00	67.16	20.00	0.00
10	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	141.58	15.00	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	42.50	0.00	74.55	20.00	0.00
12	कर्नाटक	465.00	25.00	0.00	0.00	74.00	25.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	केरल	220.00	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	41.00
14	मध्य प्रदेश	360.00	0.00	48.93	0.00	6.00	25.00	0.00
15	महाराष्ट्र	860.00	8.44	0.00	0.00	91.20	25.00	122.00
16	मणिपुर	17.36	0.00	0.00	0.00	64.65	15.00	0.00
17	मेघालय	65.64	0.00	0.00	0.00	42.10	25.00	0.00
18	मिजोरम	40.00	39.53	57.00	50.00	101.05	15.00	0.00
19	नागालैण्ड	182.00	27.56	42.50	0.00	176.24	15.00	0.00
20	उड़ीसा	0.00	0.00	15.00	0.00	210.25	20.00	0.00
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	15.00	126.00
22	राजस्थान	0.00	40.00	0.00	0.00	87.57	25.00	0.00
23	सिक्किम	0.00	0.00	42.50	0.00	32.09	20.00	0.00
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	10.00	14.00
25	त्रिपुरा	95.00	57.46	82.50	0.00	154.23	20.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	17.09	0.00	414.15	20.00	282.00
27	उत्तरांचल	275.00	0.00	0.00	0.00	11.06	10.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	33.20	0.00	105.40	45.00	0.00
29	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	2.00	3.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00
31	दादर और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	2.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	2.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	5.00	7.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00
	कुल	3594.89	199.99	505.50	50.00	3327.01	537.00	901.00

विवरण-II

2004-05 में योजनावार/राज्यवार जारी धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.स.	राज्य	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	आहार और चारा विकास	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	विलुप्तप्राय पशुधन नस्लों का संरक्षण	पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	858.36	0.00	47.92	0.00	216.12	40.00	150.00
2	अरुणाचल प्रदेश	151.30	99.00	132.50	119.38	50.40	25.00	0.00
3	असम	129.50	68.35	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	100.00	25.00	0.00	0.00	174.50	10.00	0.00
6	गोवा	97.29	0.00	68.00	0.00	24.33	10.00	0.00
7	गुजरात	279.70	0.00	90.37	0.00	439.37	20.00	150.00
8	हरियाणा	454.00	0.00	0.00	0.00	327.86	35.00	200.00
9	हिमाचल प्रदेश	270.20	5.00	25.00	68.45	75.60	15.00	0.00
10	झारखण्ड	0.00	150.00	0.00	0.00	6.37	15.00	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	135.91	0.00	204.00	0.00	203.20	32.50	0.00
12	कर्नाटक	394.29	9.50	55.00	0.00	451.30	40.00	0.00
13	केरल	801.95	90.00	0.00	48.55	0.00	15.00	58.00
14	मध्य प्रदेश	661.54	0.00	64.00	0.00	234.15	35.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	46.53	150.00	0.00	665.65	35.00	180.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	77.00	104.06	10.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	40.00	0.00	23.34	10.00	0.00
18	मिजोरम	71.00	112.50	128.00	44.50	168.87	10.00	0.00
19	नागालैण्ड	159.67	112.50	252.50	61.30	315.00	10.00	0.00
20	उड़ीसा	485.00	0.00	0.00	0.00	330.06	15.00	0.00
21	पंजाब	111.27	0.00	0.00	0.00	156.05	15.00	200.00
22	राजस्थान	0.00	26.32	0.00	0.00	204.42	20.00	0.00
23	सिक्किम	0.00	57.65	0.00	58.50	0.00	10.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	तमिलनाडु	204.82	0.00	99.76	0.00	300.42	15.00	20.00
25	त्रिपुरा	96.67	50.00	0.00	0.00	43.33	10.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	841.15	337.66	0.00	0.00	263.33	20.00	524.00
27	उत्तरांचल	84.80	0.00	0.00	0.00	124.71	10.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	353.10	0.00	80.00	50.00	464.97	35.00	0.00
29	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	2.00	1.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	1.00	0.00
31	दादर और नागर हवेली	27.76	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	1.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	1.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	4.00	10.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24	2.00	4.00
35	पांडिचेरी	18.15	0.00	0.00	0.00	11.70	6.00	0.00
	कुल	6787.43	1190.00	1437.05	527.68	5450.08	554.50	1499.00

विवरण-III

2005–06 में योजनावार/राज्यवार जारी धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	आहार और चारा विकास	राज्य कुक्कुट/ बत्तख फार्मों को सहायता	विलुप्तप्राय पशुधन नस्लों का संरक्षण	पशुधन बीमा	पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	388.74	19.80	0.00	0.00	184.60	0.00	35.00	130.00
2	अरुणाचल प्रदेश	50.00	0.00	135.60	44.39	47.00	100.65	35.00	0.00
3	असम	100.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	20.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	160.00	0.00	133.00	192.98	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	570.00	0.00	148.00	0.00	44.00	53.59	10.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	25.00	0.00
7	गुजरात	703.25	155.57	136.00	0.00	150.00	293.00	30.00	80.00
8	हरियाणा	183.50	0.00	40.00	0.00	133.00	256.00	30.00	55.00
9	हिमाचल प्रदेश	678.07	100.00	117.56	13.00	44.00	82.30	22.00	0.00
10	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	50.00	0.00	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	58.40	47.00	59.81	44.00	200.00	23.00	0.00
12	कर्नाटक	907.20	100.00	0.00	0.00	110.00	400.00	38.00	0.00
13	केरल	284.88	0.00	191.68	0.00	68.00	150.00	10.00	60.00
14	मध्य प्रदेश	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	275.48	10.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	64.50	150.00	704.65	35.00	0.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	42.50	0.00	47.00	58.33	10.00	0.00
17	मेघालय	120.08	0.00	85.00	0.00	47.00	81.02	0.00	0.00
18	मिजोरम	85.49	100.00	240.00	0.00	47.00	243.68	20.00	0.00
19	नागालैण्ड	213.59	120.50	300.00	0.00	47.00	345.64	15.00	0.00
20	उड़ीसा	400.00	0.00	0.00	0.00	69.00	229.00	15.00	0.00
21	पंजाब	700.00	129.82	40.00	19.70	125.00	0.00	15.00	70.00
22	राजस्थान	490.00	37.02	0.00	0.00	150.00	267.04	30.00	0.00
23	सिक्किम	123.55	110.00	42.50	0.00	46.00	50.86	20.00	0.00
24	तमिलनाडु	1253.00	24.00	0.00	0.00	106.00	999.00	30.00	40.00
25	त्रिपुरा	50.00	40.25	0.00	0.00	22.00	219.82	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	300.00	37.03	342.06	59.87	254.00	1222.46	25.00	260.00
27	उत्तरांचल	446.93	90.00	54.70	0.00	44.54	103.47	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	805.23	40.00	120.00	125.65	68.00	491.78	45.00	0.00
29	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	10.83	2.00	14.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	1.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	दादर और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.00	1.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.63	10.00	5.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.66	1.00	0.00
35	पांडिचेरी	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	0.00	0.00
	कुल	9090.71	1162.39	2317.60	406.92	2421.14	7179.86	564.00	715.00

विवरण-IV

2006–07 में योजनावार/राज्यवार जारी धनराशि (आज की तारीख तक)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	चारा विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	विलुप्तप्राय पशुधन नस्लों का संरक्षण	पशुधन बीमा	पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	450.00	15.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.46	15.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	10.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	30.22	0.00	0.00
7	गुजरात	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	100.00	20.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	103.64	15.00	0.00
10	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	25.50	59.41	15.00	200.00	5.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	कर्नाटक	0.00	0.00	80.00	0.00	33.00	750.00	30.00	0.00
13	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.23	8.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	124.88	0.00	82.00	50.00	25.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	32.50	245.00	985.00	30.00	0.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	96.54	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31	5.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	207.50	0.00	0.00	251.10	10.00	0.00
19	नागालैण्ड	0.00	120.00	170.00	0.00	110.00	310.32	10.00	0.00
20	उड़ीसा	390.20	0.00	272.00	0.00	0.00	200.00	12.00	0.00
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	369.97	0.00	0.00
22	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	257.00	15.00	0.00
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	57.27	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	200.00	25.00	12.00
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	142.08	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	136.00	0.00	419.00	0.00	25.00	0.00
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	157.80	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00	450.00	35.00	0.00
29	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	9.00	1.00	2.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00
31	दादर और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	8.00	4.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	2.00	0.00
	कुल	390.20	120.00	1286.28	141.91	2400.00	6190.94	324.00	18.00

[हिन्दी]

सुपर बाजार द्वारा भुगतान किया जाना

2610. श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सुपर बाजार द्वारा किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ख) सुपर बाजार के पास भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ताओं के कितने तथा कितनी राशि के बिल लम्बित हैं;

(ग) उक्त बिल कब से लंबित हैं;

(घ) क्या सुपर बाजार भुगतान की शर्तों का पालन नहीं कर रहा और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (च) दि कोओपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार) को बंद करने के आदेश सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के उपबंधों के तहत उचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद जुलाई, 2002 में जारी किए गए। सुपर बाजार दिल्ली ने सूचित किया है कि सुपर बाजार को बंद करने के आदेश जारी होने के बाद सरकारी परिसमापक द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया गया जिसमें सभी उधारदाताओं और दावेदारों से बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने दावे पेश करने का अनुरोध किया गया था। उसके बाद सरकारी परिसमापक द्वारा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सभी उधारदाताओं/दावेदारों की प्राथमिकताएं तय की गईं। बिक्री कर, सम्पत्ति कर, लाइसेंस शुल्क, विद्युत और जल प्रभार, टेलीफोन बिल आदि जैसी सांविधिक देयताओं का भुगतान सोसाइटी की आंतरिक बचतों से किया गया। सुपर बाजार को बंद करने के आदेश की तारीख तक सुपर बजार को आपूर्ति कर रहे कुछ आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में न्यायालय द्वारा जारी डिक्रियों का अनुपालन किया गया। तदनुसार वर्ष 2004-05 में जिला अदालत के आदेश के अनुसार डिक्री धारकों को 36.54 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया और दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार वर्ष 2005-06 में डिक्री धारकों को 19.72 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई। चालू वर्ष में अब तक आपूर्तिकर्ताओं को कोई राशि अदा नहीं की गई है। सुपर बाजार के खातों के अनुसार 21.96 करोड़ रुपये की राशि आपूर्तिकर्ताओं को और 3.62 करोड़ रुपए की राशि ग्राहियों को देय है। ये बिल सुपर बाजार को बंद किए जाने के आदेश तक की विभिन्न अवधियों से संबंधित हैं।

सुपर बाजार दलित कर्मचारी संघ ने सुपर बाजार को बन्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका सं. 8398/2005 दायर की। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 4.2.2005 के आदेश में निदेश दिया कि किसी न्यायालय के आदेश के सिवाय दुकानों का आगे और कोई हस्तांतरण अथवा अभ्यर्पण नहीं होना चाहिए। इन परिस्थितियों में सरकारी परिसमापक इस समय आपूर्तिकर्ताओं के दावों को निपटाने की स्थिति में नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12.12.2006 की तारीख तय की है। अतः मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

औषध मूल्यनिर्धारण सूत्र

2611. श्री एल. राजगोपाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के औषण मूल्यनिर्धारण सूत्र का योजना आयोग द्वारा विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध नीति-2006 पर मंत्रिमंडलीय नोट के प्रारूप, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि मूल्य नियंत्रण के लिए औषधों की सूची एनएलईएम 2003 में यथा सन्निहित आवश्यक दवाएं जो वर्तमान में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत 74 दवाओं के अलावा हैं, को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित किया गया था। नीति को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत, चिह्नित आवश्यक दवाओं के मूल्य नियंत्रण हेतु नया डीपीसीओ जारी किया जाएगा। मूल्य नियंत्रण के मुद्दे पर योजना आयोग ने अपनी आशंका व्यक्त की है कि मूल्य नियंत्रण का दायरा बढ़ाने से उत्पादन में कमी हो सकती है क्योंकि इससे नए विनिवेश हतोत्साहित होंगे और प्रतिस्पर्द्धा में कमी आएगी।

सचिव (रसायन और पेट्रोरसायन) की अध्यक्षता में, अन्य बातों के साथ–साथ एसएलपी 3668/2003 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.3.2003 के निवर्चन का सुझाव देने के लिए औषध उद्योग के सदस्यों के साथ एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 30.11.2006 को सरकार को सौंप दी है और उसे राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी में सुधार

2612. श्री कैलाश मेघवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं में विस्तार और सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं में सुधार और विस्तार के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में पृथक रूप से कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और उपयोग में लाई गई; और

(घ) धनराशि के अल्पउपयोग के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) आकाशवाणी/दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में समय–समय पर प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त किए जाते हैं तथा पंचवर्षीय योजनाओं/वार्षिक योजनाएं बनाते समय इनको ध्यान में रखा जाता है। ये योजनाएं एक निर्दिष्ट स्थान पर मौजूदा कवरेज और अवसंरचनात्मक सुविधाओं, परिणामी कवरेज की सीमा, पारस्परिक प्राथमिकताएं, संसाधनों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं।

(ग) और (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी/दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार हेतु संस्वीकृत/उपयोग की गई राशि निम्नानुसार हैं :–

संस्वीकृत बजट (करोड़ रुपए में)	व्यय (अक्तूबर, 2006 तक) (करोड़ रुपए में)
आकाशवाणी	
185.80	37.87
दूरदर्शन	
3410.77	2069.53

संस्वीकृत बजट में पूंजीगत और राजस्व अनुदान शामिल हैं। पूंजीगत व्यय में कमी कतिपय स्कीमों के अनुमोदन में विलम्ब और कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण हुई। फलस्वरूप, राजस्व व्यय में भी कमी हुई क्योंकि लक्षित कार्यक्रम का निर्माण नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

शीतागारों के लिए राजसहायता

2613. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी) द्वारा शीतागारों के निर्माण के लिए राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या एन.एच.बी. का विचार भवन निर्माण सामग्री की मौजूदा दरों को ध्यान में रखते हुए शीतागारों के निर्माण हेतु राजसहायता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सामान्य क्षेत्रों में शीतागार के निर्माण हेतु परियोजना लागत के 25% की दर से, जो प्रति परियोजना 50 लाख रुपये से अनधिक है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 33.33% की दर से, जो प्रति परियोजना 60 लाख रुपये की सीमा के अधीन है, राजसहायता दे रहा है। शीतागार की क्षमता 3.4 घन मीटर प्रति मी. टन अथवा 120 घन फीट प्रति मी. टन के आधार पर परिकलित की जाती है और यूनिट लागत 4000 रुपये प्रति मी. टन है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान राजसहायता स्तर पर्याप्त है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता कानून को लागू करने के लिए अभिकरण

2614. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता न्यायालयों के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए मौजूदा पुलिस प्रणाली की तर्ज पर कोई लागूकर्ता प्राधिकरण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यकरण में बाधा आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ किसी अभिकरण की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्तमान में मौजूद प्रणाली का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार उपभोक्ता शिकायतों पर निर्णय देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य आयोग और जिला मंचों की स्थापना की गई है। ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित की गई हैं। इसके ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य आयोग की संख्या	जिला मंच की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	29
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	16
4.	असम	1	23
5.	बिहार	1	38
6.	चण्डीगढ़	1	2
7.	छत्तीसगढ़	1	16
8.	दादर और नगर हवेली	1	1
9.	दमण और दीव	1	2
10.	दिल्ली	1	10
11.	गोवा	1	2
12.	गुजरात	1	26
13.	हरियाणा	1	19
14.	हिमाचल प्रदेश	1	12
15.	जम्मू और कश्मीर	1	2
16.	झारखंड	1	22
17.	कर्नाटक	1	30
18.	केरल	1	14
19.	लक्षद्वीप	1	1
20.	मध्य प्रदेश	1	45
21.	महाराष्ट्र	1	38
22.	मणिपुर	1	8
23.	मेघालय	1	7
24.	मिजोरम	1	8
25.	नागालैण्ड	1	11
26.	उड़ीसा	1	31
27.	पांडिचेरी	1	1
28.	पंजाब	1	17
29.	राजस्थान	1	33
30.	सिक्किम	1	4
31.	तमिलनाडु	1	30
32.	त्रिपुरा	1	4
33.	उत्तर प्रदेश	1	70
34.	उत्तरांचल	1	13
35.	पश्चिम बंगाल	1	21
	कुल	35	607

विवरण-II

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद/जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना

30.9.06 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद	जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	गठित	दोनों जिला मंच में गठित
2.	आंध्र प्रदेश	गठित	गठित नहीं
3.	अरूणाचल प्रदेश	गठित	16 जिलों मंचों में मे 4 में गठित
4.	असम	गठित	27 जिला मंचों में से 22 में गठित
5.	बिहार	गठित	गठित नहीं
6.	चण्डीगढ़	गठित नहीं	गठित नहीं
7.	छत्तीसगढ़	गठित नहीं	16 जिलों मंचों में से 10 में गठित
8.	दादर और नगर हवेली	गठित नहीं	गठित नहीं
9.	दमण और दीव	गठित नहीं	गठित नहीं
10.	दिल्ली	गठित नहीं	गठित
11.	गोवा	गठित	गठित
12.	गुजरात	गठित नहीं	गठित नहीं
13.	हरियाणा	गठित नहीं	गठित नहीं
14.	हिमाचल प्रदेश	गठित नहीं	गठित नहीं
15.	जम्मू और कश्मीर	गठित नहीं	गठित नहीं
16.	झारखंड	गठित नहीं	गठित नहीं
17.	कर्नाटक	गठित नहीं	गठित नहीं
18.	केरल	गठित	गठित नहीं
19.	लक्षद्वीप	गठित	गठित
20.	मध्य प्रदेश	गठित नहीं	गठित नहीं
21.	महाराष्ट्र	गठित नहीं	गठित नहीं
22.	मणिपुर	गठित	गठित नहीं

1	2	3	4
23.	मेघालय	गठित	गठित
24.	मिजोरम	गठित	गठित
25.	नागालैण्ड	गठित	गठित
26.	उड़ीसा	गठित नहीं	गठित नहीं
27.	पांडिचेरी	गठित	गठित
28.	पंजाब	गठित नहीं	गठित नहीं
29.	राजस्थान	गठित नहीं	गठित नहीं
30.	सिक्किम	गठित नहीं	गठित
31.	तमिलनाडु	गठित	गठित
32.	त्रिपुरा	गठित नहीं	गठित नहीं
33.	उत्तर प्रदेश	गठित नहीं	गठित नहीं
34.	उत्तरांचल	गठित नहीं	गठित नहीं
35.	पश्चिम बंगाल	गठित	गठित

नोट : 1. 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया गया है।
2. 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया गया है जबकि 3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी अपने सभी जिलों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करना शेष है।

बाघ संरक्षण प्राधिकरण

2615. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांविधिक प्राधिकार से युक्त एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन–कौन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है और विलंब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी हां। वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम 2006 के सक्षम प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण गठित किया गया है जो बाघ संरक्षण हेतु उक्त अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने और शक्तियों के प्रयोग के लिए 4 सितम्बर, 2006 से प्रभाव में आया है। बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां, कार्य और गठन का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की संरचना निम्नलिखित है :–

(क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में मंत्री – अध्यक्ष

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री – उपाध्यक्ष

(ग) तीन संसद सदस्य जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्यों की परिषद् द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।

(घ) बाघ रिजर्व में रह रहे लोगों के कल्याण और वन्यजीव संरक्षण में योग्यता और अनुभव प्राप्त आठ विशेषज्ञ अथवा पेशेवर, जिनमें से दो सदस्य जनजातीय विकास के क्षेत्र में हो;

(ङ) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय;

(च) वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय;

(छ) निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय;

(ज) तीन वर्षों के लिए आवर्ती आधार पर बाघ रिजर्व राज्यों से छह मुख्य वन्यजीव वार्डन;

(झ) एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हो और विधि और न्याय मंत्रालय से विधायी परामर्शदाता;

(ञ) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय;

(ट) सचिव, सामाजिक न्याय और शक्तिसंपन्न मंत्रालय;

(ठ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;

(ड) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;

(ढ) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय;

(ण) वन महानिरीक्षक अथवा समकक्ष पद का अधिकारी जिन्हें बाघ रिजर्व अथवा वन्यजीव प्रबंधन में कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो, सदस्य सचिव होगा।

2. बाघ संरक्षण प्राधिकरण को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी और निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने होंगे, अर्थात् :—

(1) (क) वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 38 V की उप–धारा (3) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया बाघ संरक्षण योजना को अनुमोदित करना;

(ख) सतत पारिस्थितिकी के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन और निर्धारण करना और बाघ रिजर्वों के भीतर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे पारिस्थितिकी रूप से असतत भूमि उपयोग को अनुमति प्रदान न करना;

(ग) बाघ रिजर्वों के बफर और कोर क्षेत्र में बाघ संरक्षण हेतु समय–समय पर बाघ परियोजना के लिए दिशानिर्देश और पर्यटन गतिविधियों के लिए नियामक मानदंड निर्धारित करना और उनका उचित अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) मानव और पशुओं के संघर्ष का निपटान करने के लिए संकेन्द्रित प्रबंधन और उपाय प्रदान करना और कार्य योजना कोड में, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों अथवा बाघ रिजर्व के बाहर वन क्षेत्रों में उनके सह–अस्तित्व पर बल देना;

(ङ) भविष्य की संरक्षण योजनाओं, बाघों और उनके प्राकृतिक शिकार किए जाने वाली प्रजातियों की गणना का आकलन, वास–स्थलों की स्थिति, रोगों की निगरानी, मर्त्यता का सर्वेक्षण, गश्त लगाना, अप्रिय घटनाओं की सूचना देना और भविष्य में संरक्षण योजना सहित जैसा उचित हो, वैसे अन्य प्रबंधन पक्षों सहित सुरक्षा उपायों पर सूचना उपलब्ध कराना;

(च) बाघों, सह–परभक्षियों, शिकार करने वाले पशुओं, वास–स्थलों, संबंधित पारिस्थितिकीय और सामाजिक आर्थिक प्राचलों और उनके मूल्यांकन पर अनुसंधान और निगरानी को अनुमोदित करना व उनका समन्वय करना;

(छ) यह सुनिश्चित किया जाए कि एक सुरक्षित क्षेत्र से जुड़े हुए बाघ रिज़र्व और क्षेत्र अथवा किसी अन्य सुरक्षित क्षेत्र में बाघ रिज़र्व अथवा बाघ रिजर्व क्षेत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से असतत उपयोग के लिए अपवर्तन न किया जाए, यदि ऐसा हो तो केवल जन हित के मामले में हो और वह भी बाघ संरक्षण प्राधिकरण के परामर्श पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन से किया जाए;

(ज) अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पारि–विकास और जन सहभागिता के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण पहलों हेतु राज्य में बाघ रिज़र्व प्रबंधन को सुविधाजनक बनाना और उसे समर्थन प्रदान करना तथा केन्द्रीय और राज्यों के नियमों के समनुरूप समीवर्ती क्षेत्रों में ऐसी पहलों को समर्थन प्रदान करना;

(झ) बाघ संरक्षण योजना को बेहतर रूप से क्रियान्वित करने के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधायी समर्थन प्रदान करने सहित समर्थन सुनिश्चित करना;

(ञ) बाघ रिज़र्वों के अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के कौशल को विकसित करने के लिए निरंतर चलाए जाने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सरल बनाना;

(ट) बाघों के संरक्षण और उनके वास स्थलों के संबंधों में इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्यों को पूरा करना;

2. बाघ संरक्षण प्राधिकरण, अपनी शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के

निष्पादन में, बाघ अथवा बाघ रिज़र्वों की सुरक्षा हेतु किसी भी व्यक्ति, अधिकारी अथवा प्राधिकरण को लिखित रूप में निदेश जारी कर सकता है और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी अथवा प्राधिकारी उन निदेशों के अनुपालन को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

बशर्ते, ऐसा कोई निर्देश स्थानीय लोगों, विशेषतया, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को प्रभावित अथवा हस्तक्षेप उत्पन्न न करें।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडारण नीति

2616. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडारण नीति कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) क्या नई खाद्यान्न भंडारण नीति के अंतर्गत नये गोदामों का निर्माण कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति के अंतर्गत उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां। सरकार खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और दुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति को क्रियान्वित कर रही है।

(ख) इस नीति में अनाजों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और दुलाई की सुविधाओं को सृजित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(i) फार्म और मंडी स्तर पर यांत्रिक फसल कटाई, सफाई और शुष्कण को प्रोत्साहित करना।

(ii) अनाजों की फार्म से साइलो तक विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रकों द्वारा दुलाई करना।

(iii) वसूली और वितरण बिन्दुओं पर साइलों की श्रृंखला का निर्माण करना।

(iv) अनाजों की दुलाई विशेष तौर से डिजाइन किए गए बल्क रेल वैगनों में करना।

(ग) नीति के तहत, बनाओं और चलाओ आधार पर 5.5 लाख टन की अनाजों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और दुलाई संबंधी सुविधाएं निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के जरिए सृजित की जा रही है।

(घ) ऐसी सुविधाओं (साइलो) में भंडारित गेहूं की गुणवत्ता को बनाए रखा जाएगा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी।

[हिन्दी]

वनभूमि की मांग

2617. श्री धर्मेन्द्र प्रधान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानदी कॉल कंपनी द्वारा अपने डिजाइन के अनुसार कितनी एकड़ वन भूमि की मांग की गई है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) महानदी कोलफील्ड ने उड़ीसा में 12 खनन परियोजनाओं के लिए 3,712.89 एकड़ (1,515.464 हैक्टेयर) वनभूमि के वनेतर का अनुरोध किया है। इनमें से 11 प्रस्तावों के संबंध में 3643.13 एकड़ (1,486.989 हैक्टेयर) के वनेतर के लिए पहले ही अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रस्तावित 69.76 एकड़ (28.475 हैक्टेयर) के वनेतर प्रयोग का शेष एक प्रस्ताव अधूरा था और राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।

[अनुवाद]

वेदांत एल्यूमीनियम को पर्यावरण स्वीकृति

2618. श्री तथागत सत्पथी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वेदांत एल्यूमीनियम कंपनी को उड़ीसा राज्य में अपने प्रस्तावित एल्यूमीनियम संयंत्र के लिए राज्य को नियामगिरी पहाड़ियों पर एल्यूमीनियम निकालने हेतु पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृतियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये स्वीकृतियां किस आधार पर दी गई हैं;

(घ) क्या ऐसी स्वीकृतियां प्रदान करने के विरूद्ध कुछेक आपत्तियां उठाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन आपत्तियों को दूर करने और स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित किए गए हैं/उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) से (च) इस मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परियोजना क्षेत्र की तैयार की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में यह सूचित किया गया

है कि प्रस्ताव से वन्यजीव और इसके पर्यावास और हाइड्रो–जियोलोजिकल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह मामला माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। माननीय न्यायालय के दिनांक 03.2.2006 के आई ए संख्या 1474 में रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 में आदेश के अनुसार जैव विविधता और वन्यजीव पर प्रभाव तथा मृदा–क्षरण सहित हाइड्रो–जियोलाजिकल विशेषताओं पर प्रभाव को आकलन करने के लिए क्रमशः भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून तथा सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्सटीट्यूट लिमिटेड रांची को अध्ययन करने की अनुमति प्रदान की गई थी। पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

मत्स्य उत्पादन

2619. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वार्षिक रूप से कुल कितनी मात्रा में मत्स्य उत्पादों का उत्पादन किया जाता है और खपत की जाती है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में किए गए मत्स्य उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वार्षिक रूप से कुल कितनी मात्रा में मत्स्यों का निर्यात किया गया;

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन, संरक्षण, मत्स्य के निर्यात और मत्स्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) वर्ष 2004–05 के दौरान उत्पादित तथा निर्यात की गई मछली की कुल मात्रा क्रमशः 6304.75 हजार टन तथा 437.00 हजार टन थी। वर्ष 2004–05 के दौरान निर्यात मूल्य 6188.92 करोड़ रुपए था। निर्यात नहीं की जा सकी मछलियों की खपत विभिन्न उद्देश्यों से देश में ही की गई थी। वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान मछली उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) मछली उत्पादन, संरक्षण, मत्स्य निर्यात तथा मत्स्य उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है :–

(i) अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास

(ii) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

(iii) मछुआरा कल्याण

(iv) मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार

मात्स्यिकी क्षेत्र में अंतर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी कैप्चर, मत्स्यपालन, मत्स्य प्रसंस्करण तथा इसके विपणन की दोहन न की गई क्षमता का दोहन करने तथा अनुसंधान और विकास के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके मात्स्यिकी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए हाल ही में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड गठित किया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान मत्स्य उत्पादन का आकलन (राज्यवार)

(उत्पादन टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003–2004			2004–05			2005–06 (अनंतिम)		
		समुद्री	अंतर्देशीय	कुल	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	263930	680710	944640	210733	642321	853054	218836	672254	891090
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2650	2650	0	2704	2704	0	2452	2452
3	बिहार	0	266490	266490	0	267510	267510	0	279530	279530
4	गोवा	83760	3600	87360	94813	4231	99044	77912	3063	80975
5	हरियाणा	0	39130	39130	0	42050	42050	0	48200	48200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	हिमाचल प्रदेश	0	6530	6530	0	6901	6901	0	7295	7295
7	कर्नाटक	187000	70000	257000	171227	80000	251227	198440	120599	319039
8	केरल	608520	76180	684700	601863	76451	678314	558913	77980	636893
9	मध्य प्रदेश	0	50820	50820	0	62060	62060	0	61077	61077
10	महाराष्ट्र	420010	125120	545130	417769	130250	548019	430647	154659	585306
11	मिजोरम	0	3380	3380	0	3680	3680	0	3750	3750
12	नागालैण्ड	0	5560	5560	0	4900	4900	0	5500	5500
13	पंजाब	0	83650	83650	0	77700	77700	0	85640	85640
14	राजस्थान	0	14300	14300	0	16391	16391	0	18500	18500
15	तमिलनाडु	373000	101140	474140	307693	151734	459427	307993	155035	463028
16	त्रिपुरा	0	17980	17980	0	19838	19838	0	23871	23871
17	उत्तर प्रदेश	0	267000	267000	0	277074	277074	0	289575	289575
18	पश्चिम बंगाल	181600	988000	1169600	179500	1035500	1215000	168875	1035500	1204375
19	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	31060	90	31150	32600	83	32683	12053	43	12096
20	छत्तीसगढ़	0	111050	111050	0	120072	120072	0	131752	131752
21	उत्तरांचल	0	2560	2560	0	2566	2566	0	2789	2789
22	झारखण्ड	0	75380	75380	0	22000	22000	0	34270	34270
23	असम	0	181000	181000	0	186314	186314	0	188008	188008
24	गुजरात	609140	45480	654620	584779	50426	635205	663884	69936	733820
25	जम्मू और कश्मीर	0	19750	19750	0	19100	19100	0	19150	19150
26	मणिपुर	0	17600	17600	0	17800	17800	0	18220	18220
27	मेघालय	0	5150	5150	0	5638	5638	0	4118	4118
28	उड़ीसा	116880	190020	306900	121928	193657	315585	122214	203235	325449
29	सिक्किम	0	140	140	0	140	140	0	150	150
30	चंडीगढ़	0	80	80	0	84	84	0	87	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	दादर और नगर हवेली	0	50	50	0	48	48	0	48	48
32	दमन और दीव	13770	0	13770	12506	0	12506	17719	69	17788
33	दिल्ली	0	2100	2100	0	1410	1410	0	700	700
34	लक्षद्वीप	10030	0	10030	11964	0	11964	11964	0	11964
35	पांडिचेरी	42800	5200	48000	31500	5250	36750	19272	2181	21453
36	गहरे समुद्र में मत्स्यन क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2941500	3457890	6399390	2778875	3525883	6304758	2808722	3719236	6527958

वनों की उत्पादकता

2620. श्री जोवाकिम बखला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग द्वारा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो प्रयोगकर्ता अभिकरणों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या मापदंड अपनाया जाएगा; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ग्रीनिंग इंडिया स्कीम के लिए सहायता अनुदान का क्रियान्वयन कर रहा है, जो अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन और उपयोग पर केन्द्रित है। प्रमाणिक मूल के बीजों, जिनमे उपयुक्त रूप से स्थापित बीज उद्यान और प्लस वृक्ष शामिल हैं, का उपयोग करना उच्च गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री के उत्पादन के मानदण्डों में से एक है। स्कीम के तहत हाईटैक और उपग्रह नर्सरियों की स्थापना करने हेतु, ऐसी उच्च गुणवत्ता की पौधरोपण सामग्री के उत्पादन हेतु अनुदान दिए जाते हैं। इसके अलावा मंत्रालय के अधीन भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद और इसके संस्थान तथा राज्य वन विभागों ने भी वन प्रजातियों की बड़ी संख्या के प्लस वृक्षों और बीज उत्पादन क्षेत्रों की प्रोजनी ट्रायल के बाद, जहां उपभोक्ता एजेंसियों को गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध कराया जाता है, की पहचान की है।

साल के वृक्षों का रोपण

2621. श्री हितेन बर्मन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन–कौन से राज्यों में टीक और साल (शोरिया) के वृक्ष पाए जाते हैं;

(ख) वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान इन वृक्षों से सरकार को राज्य–वार कितनी आय का अर्जन हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन मूल्यवान वृक्षों की अवैध कटाई के कितने मामलों का पता चला है और इन लकड़ियों की कीमत कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितनी भूमि पर टीक और साल के वृक्षों का रोपण किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) उन राज्यों के नाम, जहां टीक और साल के वृक्ष प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं, निम्नलिखित हैं :–

साल (शोरिया रोबस्टा) : उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश।

टीक (टेक्टोना ग्रांडिस) : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात।

इसके अतिरिक्त, अधिकांश राज्यों ने टीक वृक्षों का रोपण किया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

2622. श्री गिरिधर गमांग : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के रायगढ़ जिले की बड़नाला मध्यम सिंचाई परियोजना की लागत और समय आधिक्य के क्या कारण हैं;

(ख) इस परियोजना को अब तक वर्ष–वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने रख–रखाव सहित तकनीकी एवं वित्तीय इन्पुट प्रदान करके इस परियोजना की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) फील्ड चैनल बांध से पानी के रिसाव को रोकने और मुख्य बांध स्थल की सुरक्षा हेतु भौगोलिक अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) बड़नाला सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1981 में शुरू किया गया था जिससे कि उड़ीसा के रायागढ़ जिले में 9874 हैक्टेयर कृषियोग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) को सिंचाई सुविधाएं सुलभ करा दी जाएं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना की पूर्ति में देरी के लिए कारण इस प्रकार हैं : वन स्वीकृति में विलंब, परियोजना कार्यों के लिए निजी भूमियों का अधिग्रहण, मूल्य वृद्धि और वित्तीय कठिनाइयां। परियोजना को 1995 के दौरान विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और वह 2004–05 में पूरी कर ली गई।

(ख) 1981 से 2005 तक परियोजना को उपलब्ध कराई गई वर्ष–वार निधियां विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जैसाकि उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है परियोजना को एक उप–डिवीजन की व्यवस्था करके तकनीकी सहायता प्रदान की गई है जिससे कि परियोजना रोजमर्रा का रखरखाव का काम कर सके। देनदारियों को चुकाने और परियोजना के रखरखाव के लिए बजट आबंटन में 40.00 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार स्पिलवे के द्वारों में जहां कहीं रिसाव देखने में आया है रबड़ सील उपलब्ध करा रही है।

विवरण

(रुपये लाख में)

वर्ष	राशि
1	2
1981–82	21.02
1982–83	117.12
1983–84	205.50
1984–85	189.25
1985–86	350.37
1986–87	450.01
1987–88	483.73
1988–89	638.17
1989–90	478.75
1990–91	540.79
1991–92	659.19
1992–93	724.93
1993–94	748.84
1994–95	106.62
1995–96	361.87
1996–97	544.73
1997–98	901.02
1998–99	619.86
1999–2000	567.35
2000–2001	399.73
2001–02	296.26
2002–03	162.68
2003–04	435.64
2004–05	210.45

[हिन्दी]

ब्याज राशि का भुगतान न किया जाना

2623. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् भविष्य निधि अंशदाताओं जिनके दावों का निपटान हो गया है, को ब्याज के रूप में कुल कितनी धनराशि अदा की गई और आज की स्थिति के अनुसार कितनी ब्याज राशि उन्हें अभी भी दिया जाना शेष है;

(ख) क्या आज तक की भविष्य निधि में जमा राशि पर अदा की जाने वाली ब्याज दर के विवाद का निपटान नहीं हुआ है जिसके

फलस्वरूप जिन अंशदाताओं के दावों का निपटान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया गया है जिससे उन्हें भारी वित्तीय हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दावों के निपटान के संबंध में अदा की गयी ब्याज की राशि निम्नानुसार है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	अदा की गई धनराशि
2003–04	40604.08
2004–05	19108.55
2005–06	32279.30

सरकार द्वारा ब्याज दर की घोषणा कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात् की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा वर्ष 2006–07 के लिए ब्याज दर के संबंध में अभी तक कोई सिफारिश नहीं की गई है।

ब्याज दर की घोषणा लम्बित रहने के दौरान जिन सदस्यों के दावों का निपटान किया जाता है, वे अद्यतन दर के हकदार होते हैं, अतः उन्हें कोई वित्तीय नुकसान नहीं होता है।

[अनुवाद]

एफ सी आई की बकाया राशि

2624. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) को केन्द्रीय अन्तरदेशीय जल परिवहन निगम (सी आई डब्ल्यू टी) से लम्बित ट्रांसिट शोर्टेज बकाया राशि की वसूली करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह राशि कितनी है और यह कब से लम्बित पड़ी है; और

(ग) सी आई डब्ल्यू टी निगम से इन लम्बित दावों की वसूली के लिए एफ सी आई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम से वसूल की जाने वाली राशि 234.60 लाख रुपये बैठती है जो पश्चिम बंगाल से उत्तर पूर्वी राज्यों तक जलमार्ग द्वारा खाद्यान्नों के संचलन के संबंध में मार्गस्थ हानियों, भाड़ा प्रभारों, तुलाई प्रभारों, बोरियों की लागत और एक मशीनरी की लागत के लिए है। उपर्युक्त दावे 1992–1997 की अवधि से संबंधित हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के आंचलिक प्रबंधन ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के साथ कई बैठकें की हैं। तथापि, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम से उक्त लंबित दावों की रिकवरी के मामले में कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकल सका क्योंकि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के दावे के प्रति केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के विभिन्न दावों की 28.16 लाख रुपये की राशि रोक ली गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए देय 38.89 लाख रुपये (लगभग) का भारतीय खाद्य निगम द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

तेल टैंकर के टूटने से प्रदूषण

2625. श्री रशीद मसूद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापानी तेल टैंकर हिन्द महासागर में टक्कर से टूट गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप पर्यावरण को किस सीमा तक क्षति पहुंची है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) तटरक्षक मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सिंगापुर का एक मुख्य पोत एम टी ब्राईट अरटेमिस, बहुत बड़ा तेलवाहक पोत (वी एल सी सी) और इण्डोनेशिया के एक मुख्य भारवाहक पोत एम वी अमर के बीच 14 अगस्त, 2006 को भारतीय विशेष आर्थिक जोन के बाहर ग्रेटर निकोबार द्वीप में इंदिरा प्वाइंट के पश्चिम से 290 नाटिकल मील की दूरी पर टक्कर हुई थी।

टकराने के परिणामस्वरूप लगभग 4500 टन कच्चे तेल का रिसाव हुआ था।

ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उस समय की समुद्र और लहरों की स्थिति के कारण रिसा हुआ तेल अलग-थलग हो गया। एम टी ब्राइट अरटेमिस के मालिक मैसर्स एम ओ एल टैंक शिप मैनेजमेंट, सिंगापुर ने तेल रिसाव का आकलन एवं इसे एकत्र करने और तेल रिसाव डिसपरसैंट के हवाई छिड़काव का कार्य मैसर्स ईस्ट एशिया रिसपोन्स लिमिटेड, सिंगापुर को सौंपा। भारतीय विशेष आर्थिक जोन में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि की सूचना नहीं मिली है।

(ग) भारतीय तट-रक्षक, केन्द्रीय समन्वय प्राधिकरण मैरीटाइम क्षेत्र में तेल रिसाव से निपटने और नैशनल आयल स्पिल डिसैस्टर कान्टीजैंसी प्लान (एन ओ एस - डी सी पी) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है जो ऐसी घटनाओं, जिससे हमारे पर्यावरण को खतरा होता है, की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है।

[अनुवाद]

शहतूश पर प्रतिबंध

2626. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहतूश शाल उद्यमी केन्द्र सरकार से इसके उत्पादन पर से प्रतिबंध को हटाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा शहतूश के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अभ्यावेदन दिया है। शहतूश तिब्बती एन्टीलॉप से प्राप्त किया जाता है जो स्थानीय रूप से चीरू के नाम से जाना जाता है। यह प्रजाति वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में और जम्मू और कश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1978 में भी सूचीबद्ध है और इनमें प्रजातियों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान की गई है तथा शहतूश के किसी भी किस्म के व्यापार को निषेध किया गया है। शहतूश के वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी इन्टरनेशनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा (साइटस) संबंधी कर्न्वेशन के तहत भी निषेध किया गया है जिसका कि भारत भी हस्ताक्षरकर्ता है।

इसके अलावा अभ्यावेदन के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय ने 2004 में एक विशेषज्ञ दल को स्थापित किया था जो कि शहतूश के व्यापार के विभिन्न पहलुओं को देखता है। इस विशेषज्ञ दल ने विभिन्न मुद्दों की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की और निष्कर्ष दिया कि चूंकि शहतूश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 163 देशों में इन्टरनेशनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा (साइटस) के तहत प्रतिबंधित है अतः भारत सरकार द्वारा इस पर से रोक हटाना कोई उपयोगी नहीं होगा। क्योंकि इससे स्वयंमेव अन्य देशों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में रोक नहीं हट सकेगी।

[हिन्दी]

वन भूमि का अतिक्रमण

2627. श्री वी. के. ठुम्मर :

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए विभिन्न अभियान चलाती है/चलाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक राज्य-वार अतिक्रमण से खाली कराई गई वन भूमि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकारें मौजूदा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार वन भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु अभियान चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोर एरिया मानदण्डों का पालन करना

2628. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बाघ रिजर्व कोर एरिया अथवा अभ्यारण्यों के संरक्षित क्षेत्र के मानदण्डों का पालन नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे रिजर्वों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक कदम क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ग) स्थानीय लोगों के आजीविका संबंधी सरोकारों पर ध्यान देने हेतु स्थल विशिष्ट वास संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराकर, बाघ रिजर्वों व किसी एक संरक्षित क्षेत्र अथवा बाघ रिजर्व को दूसरे संरक्षित क्षेत्र और बाघ रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिकी रूप से उपयुक्त भूमि उपयोग सुनिश्चित करके, बाघ रिजर्वों की सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2006, जो 4 सितम्बर, 2006 से प्रभावी हो गया है, में समुचित प्रावधान किए गए हैं।

वन भूमि का अन्यत्र कार्यों में उपयोग

2629. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा वन भूमि का उपयोग बांधों अथवा खनन जैसे अन्य विकास कार्यों में उपयोग करने की वजह से उन्हें गैर–वन भूमि पर वनरोपण करके खोई वन भूमि की क्षतिपूर्ति करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों को ऐसी वन भूमि की हानि हुई उन्हें केन्द्र सरकार से अनुपूरक पौधरोपण के लिए कोई धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार आवंटित/उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य–वार अब तक कितना अनुपूरक पौधरोपण किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। प्रतिपूरक वनीकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वनभूमि के वनेतर प्रयोग की प्रतिपूर्ति के लिए परियोजना लागत पर प्रयोक्त एजेंसी द्वारा किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अब तक किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वनभूमि के वनेतर प्रयोग की प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अब तक किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की सीमा दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	जिला/संघशासित क्षेत्र	किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की सीमा (हैक्टेयर)
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,905.43
2.	आंध्र प्रदेश	20,393.73
3.	अरुणाचल प्रदेश	5,474.21
4.	असम	1,700.03
5.	बिहार	846.56
6.	चंडीगढ़	0.12
7.	छत्तीसगढ़	30,601.00
8.	दादर और नगर हवेली	479.30
9.	गोवा	1,149.44
10.	गुजरात	44,287.52
11.	हरियाणा	3,343.51
12.	हिमाचल प्रदेश	5,876.98
13.	जम्मू और कश्मीर	288.00
14.	झारखण्ड	36.00
15.	कर्नाटक	35,631.18
16.	केरल	50,210.81
17.	मध्य प्रदेश	167,693.95
18.	महाराष्ट्र	71,572.36
19.	मणिपुर	181.16
20.	मेघालय	263.25
21.	मिजोरम	5,558.81
22.	उड़ीसा	25,866.88
23.	पंजाब	4,407.74
24.	राजस्थान	10,318.78
25.	सिक्किम	2,030.75
26.	तमिलनाडु	1,927.93
27.	त्रिपुरा	2,649.75
28.	उत्तर प्रदेश	7,145.07
29.	उत्तरांचल	14,891.53
30.	पश्चिम बंगाल	3,865.62

इण्डिया गेट पर पौधारोपण

2630. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण :
श्री रेवती रमन सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के इण्डिया गेट के आस–पास के लॉन में एनडीएमसी द्वारा लगाए गए अधिकतर पेड़ टेढ़े–मेढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) नई दिल्ली के इण्डिया गेट के आस–पास के लॉन में लगाए गए पौधे भली–भांति बढ़ रहे हैं। तथापि, इनमें से कुछ को पर्यटकों की अत्यधिक भीड़ के कारण नुकसान पहुंचा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एन डी एम सी) अतिग्रिस्त वृक्षों के प्रतिस्थापन और नए पौधारोपण के लिए भी पुराना किला रोड़ नर्सरी में इन्हीं प्रजातियों को नियमित रूप से उगा रही है। इसके अतिरिक्त, विकसित वृक्षों और नई पौध की कायाकल्प, खाद डालने, कांट–छाट, स्टेकिंग, कीटनाशकों/पीड़कनाशकों/फफूंदनाशकों के छिड़काव और सूक्ष्म पोषकों आदि के जरिए देखरेख की जा रही है।

जल स्वराज

2631. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल स्वरूप के सिद्धांत पर आधारित हरित क्रांति के प्रसार का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु कदम उठाने का है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय किसान आयोग, कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट (दूसरी रिपोर्ट) में "जल स्वराज : जलवैज्ञानिक संतुलन और जल सुरक्षा की दिशा में" की बाबत संदर्भ मौजूद हैं जो इस बात के परिचायक हैं कि छत के वर्षा जल संचयन सहित जल संचयन संरचनाएं और सुधार तथा लिफ्ट सिंचाई स्कीमों का सृजन पंचायती राज संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों सहित जल प्रयोक्ता संघों को शामिल करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

क्योंकि जल एक राज्य विषय है इसलिए जल संसाधनों के विकास और प्रबंध के लिए संबंधित सरकारों द्वारा अनेक उपाय किए जाते हैं जिनमें भंडारों को सृजन, जल निकायों का पुनरूद्धार, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा बेहतर प्रबंध परिपाटियों का अपनाया जाना आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में भी भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंध सहित सभी संबंधित मुद्दों पर समुचित बल दिया गया है।

रोजगार सूचना केन्द्र

2632. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को प्रत्येक गांव में रोजगार सूचना केन्द्र स्थापित करने के निदेश दिए हैं जहां पर युवा रोजगार से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किन–किन राज्यों में रोजगार सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(घ) निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिले के रोजगार कार्यालय में निजी क्षेत्र ब्यूरो स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस कार्य के लिए वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया है।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास निजी क्षेत्र ब्यूरो स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

लंबित पर्यावरण परियोजनाएं

2633. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु विचाराधीन कर्नाटक से संबंधित पर्यावरण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) कर्नाटक से संबंधित विचाराधीन पर्यावरणीय परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की मौजूदा स्थिति
1	2	3
1.	बंगलौर के लिए पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंध और नीति अनुसंधान संस्थान (ई एम पी आर आई) बंगलौर से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अध्ययन में विभिन्न सिटी मैनेजरों को विभिन्न हस्तक्षेपों और कार्य योजनाओं से स्वच्छ शहर विकसित करने के लिए व्यवहार्य बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में 34.62 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अपेक्षित है।	इण्डो–जर्मन जी टी जेड–ए एस ई एम परियोजना के अंतर्गत प्रस्ताव विचाराधीन है।
2.	498.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर बेल्लाकी टैंक, शिमोगा	प्रस्ताव राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं है।
3.	496.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर तिरीपुनथकेश्वर झील, बिदार	राज्य सरकार द्वारा कुछ आवश्यकताओं के पूरा होने की शर्त पर विशेषज्ञ समूह ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।
4.	835.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर उन्कल झील, हुबली	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत नई झीलों के प्रस्तावों पर उनके प्राथमिकीकरण, प्रदूषण स्तर और निधि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।
5.	1005.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अमनीकेरे झील, तुमकुर	
6.	90 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर डोडाकेरे टैंक, सकलेशपुर, हसन	
7.	81.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मोजकेरे झील, उत्तरहाली, बंगलौर	
8.	463.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मागड़ी शहर बंगलौर ग्रामीण जिला में गोबाराममा और होमबालल्मा टैंक	राज्य सरकार से इन झीलों की प्रदूषण स्थिति के आधार पुर्नविचार करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।
9.	वर्ष 2006–07 के लिए 80.00 लाख रुपए की कुल लागत पर कुन्दनपुर कच्छ वनस्पति स्थल के लिए प्रतिबंध कार्य योजना	इस मंत्रालय द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण का राज्य सरकार द्वारा अभी जबाव दिया जाना है।
10.	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 174.41 लाख रुपए की लागत पर कर्नाटक सरकार से हिडकल और घाटप्रभा नम भूमि के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और इन हाऊस विशेषज्ञ समिति की आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी।
11.	यानी विल्सा सागर नेचर पार्क डिवैलपमेंट ट्रस्ट हिरीयुर कर्नाटक।	विशेषज्ञ समूह ने 26 जुलाई, 2006 को परियोजना पर विचार किया और पुनरीक्षा की सिफारिश की है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है। राज्य से संशोधन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
12.	कालकेरे अरबोराटम, सिल्लवी कल्चरिस्ट सेंट्रल जोन, बंगलौर का विस्तार और उन्नयन।	–वही–
13.	डोडामानु गुड्डा पवित्रवन सिल्वीकल्चरिस्ट, सेंट्रल जोन बंगलौर का विस्तार और उन्नयन।	–वही–
14.	लालबाग बोटोनिकल गार्डन, बंगलौर एग्रीकल्चर और होर्टीकल्चर डिपार्टमेंट, कर्नाटक।	–वही–

1	2	3
15.	कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड (रोईटिस स्टेट)	–वही–
16.	कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड से बंगलौर शहरी जिले में चोलानाईकानाहाली पर पीपल्स बोटेनिकल गार्डन।	परियोजना प्राप्त हुई है और राज्य सरकार से दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है।
17.	कर्नाटक राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा बंगलौर शहर में शहरी बोटेनिकल गार्डन।	–वही–

खाद्य और पोषण संबंधी संगोष्ठी

2634. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में "राष्ट्रीय विकास हेतु खाद्य और पोषण में नेतृत्व कौशलता का निर्माण आवश्यक" विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य और पोषण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2015 तक भूख, गरीबी और कुपोषण की दर में कमी लाने के मद्देनजर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 से 25 जून, 2006 के दौरान केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में "राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक खाद्य और पोषाहार में नेतृत्व क्षमता निर्माण" पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दोनों के प्रतिष्ठित व्यावसायिकों द्वारा की गई तकनीकी प्रस्तुति के साथ खाद्य और पोषाहार में क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

(ग) और (घ) सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में शामिल लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरिंग स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में विभिन्न स्तर के कार्मिकों, राज्य एजेंसियों, फील्ड कार्यालयों, सतर्कता समितियों के सदस्यों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के लिए है।

खाद्य और पोषाहार बोर्ड, महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कई सरकारी विभाग, राष्ट्रीय संस्थान और गैर–सरकारी संगठन खाद्य और पोषाहार में क्षमता निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। खाद्य और पोषाहार बोर्ड फल और सब्जियों के गृह स्तर के परिरक्षण और पोषाहार में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित करके खाद्य और पोषाहार में संबंधित क्षेत्रों के कार्यक्रम प्रबंधकों और फील्ड कार्यकर्ताओं के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण चलाता है। देश में विभिन्न गृह विज्ञान महाविद्यालयों द्वारा खाद्य और पोषाहार में विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री दी जाती है। कृषि विश्वविद्यालयों का भी खाद्य और पोषाहार में उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रम हैं जिनके अधीन खाद्य और पोषाहार में विज्ञान की स्नातकोत्तर डिग्री दी जाती है। देश में ऐसे 100 से अधिक महाविद्यालय हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान विभिन्न खाद्य, पोषाहार और स्वास्थ्य के मुद्दों पर एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का एक शीर्ष निकाय है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान पोषाहार में प्रशिक्षण के लिए औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों पाठ्यक्रम चला रहा है। प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और ब्रेस्टफीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया भी खाद्य और पोषाहार के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

(ङ) और (च) सचिव (महिला एवं बाल विकास) की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु पोषाहार को स्वास्थ्य के साथ एकीकृत करने के लिए गठित कार्यदल की एक सिफारिश "पोषाहार कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण" है। इस दल की रिपोर्ट 1 नवम्बर, 2006 को योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है। तथापि, भुखमरी, गरीबी और कुपोषण को कम करने और देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से सरकार पहले ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी

रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का आवंटन कर रही है और कई खाद्यान्न आधारित स्कीमें अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक, अन्नपूर्णा योजना, ग्रामीण अनाज बैंक योजना, आदि क्रियान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा

2635. श्री एम. अंजनकुमार यादव :

श्री गिरिधारी यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं; और

(ख) मनोरंजन उद्योग में स्थानीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या योजनाएं बनाई/कार्यान्वित की गई हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) भारतीय मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

– मनोरंजन उद्योग को संस्थागत और बैंकीकृत वित्तपोषण अब सुगम है।

– फिल्म क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है।

– हमारे फिल्म उद्योग की दृश्यता में वृद्धि करने के दृष्टिगत सरकार ने विदेशी बाज़ारों नामतः कान फिल्म बाजार, अमरीकी फिल्म बाज़ार, बर्लिन फिल्म बाज़ार, फिल्म बाजार आदि में भागीदारी की है।

– विभिन्न देशों में फिल्म सप्ताहों और समारोहों का आयोजन किया जाता है।

– इटली गणराज्य और यूनाइटेड किंगडम के साथ श्रव्य–दृश्य सह–निर्माण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भारतीय फिल्म उद्योग हेतु वित्त एवं बाज़ार की संभावनों को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ ऐसे ही प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

– फिल्म उद्योग हेतु नीतिगत ढांचे का सुझाव देने के लिए गठित मनोरंजन क्षेत्र के विकास हेतु समिति, जो कि राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन (सिमकॉम) की एक उप–समिति है, ने मनोरंजन कर को घटाने, फिल्म क्षेत्र में पाइरेसी को रोकने हेतु कदम, भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को सुविधाजनक बनाने आदि की सिफारिश की। हम अपने अथक प्रयासों के जरिए मनोरंजन कर के मौजूदा स्तर को कम करने में समर्थ हुए हैं। हमने प्रक्रिया को सरल बनाया है और भारत में विदेशी फीचर फिल्मों की शूटिंग करने हेतु अनुमति प्रदान करने में अपेक्षित अवधि में कटौती की है।

– इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्मों के लिए सीमित वित्त पोषण– उपलब्ध करवाता है और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास का पर्यवेक्षण करता है।

– फिल्म उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की बाबत उपायों का सुझाव देने के लिए पांच कोर समूहों का गठन किया गया है।

(ख) दूरदर्शन के स्थानीय/क्षेत्रीय केन्द्र, नाटक एवं संगीत के क्षेत्र में स्थानीय कलाकारों को दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाए गए विभिन्न घरेलू निर्माणों में भाग लेने का मौका देकर इन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे मनोरंजक कार्यक्रमों को कमीशण्ड कार्यक्रमों, स्व–वित्त पोषित कमीशण्ड, कार्यक्रमों की अधिप्राप्ति, रॉयल्टी आदि जैसी वि[illegible] के अन्तर्गत भी निर्मित करवाया/अधिप्राप्त किया जाता है। स्थानीय कार्यक्रमों के क्षेत्र में, आकाशवाणी 82 स्थानीय रेडियो स्टेशनों के माध्यम से स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। रेडियो स्टेशन, मनोरंजन के मौखिक, लोक और पारंपरिक रूपों को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। आकाशवाणी लोक संगीत के अभिलेखागार का अनुरक्षण करता है।

सिंदरी उर्वरक संयंत्र

2636. श्री टेक लाल महतो : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंदरी उर्वरक संयंत्र के बंद होने के कारण हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संयंत्र द्वारा वर्ष–वार कितना घाटा उठाया गया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संयंत्र को चालू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस इकाई के कब तक चालू होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) सिंदरी फर्टिलाइजर संयंत्र, जो फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाई है, को सरकार द्वारा 2002 में लिए गए निर्णय के अनुसार बंद किया गया था। सिंदरी फर्टिलाइजर संयंत्र के बंद होने के परिणामस्वरूप लगभग 2067 कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) के अंतर्गत कार्यभार मुक्त किया गया है। इन कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के अंतर्गत नियमानुसार वित्तीय लाभ दिए गए हैं।

(ख) सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि नहीं हुई है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान सिंदरी इकाई को हुई नकद हानि निम्नानुसार है :

वर्ष	(करोड़ रुपए)
2003–04	1.12
2004–05	3.78
2005–06	0.21

(ग) और (घ) सिंदरी इकाई सहित एफसीआईएल के पुनरूद्धार का मामला सरकार के विचाराधीन है। इस स्तर पर सिंदरी इकाई के पुनरूद्धार के लिए कोई निश्चित समय–सीमा बताना संभव नहीं है।

मत्स्यन क्षेत्र संबंधी आई एल ओ अभिसमय

2637. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आई एल ओ के 96वें अधिवेशन में स्वीकार किए जाने हेतु मत्स्यन अभिसमय संबंधी कार्यसूची मद के संबंध में आई एल ओ प्रश्नावली प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इसका उत्तर देने से पूर्व कामगारों और कर्मचारियों के अधिकांश प्रतिनिधि संगठनों की राय पर विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में अपने पहले वाले पक्ष पर पुनर्विचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 96वें (जून, 2007) सत्र में मत्स्यन क्षेत्र में किए जा रहे कार्य पर चर्चा करने के लिए प्रस्तावित अभिसमय पर अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक संक्षिप्त प्रश्नावली पर सदस्य राज्यों से जबाव मांगा है, जो कि प्रस्तावित अभिसमय के प्रावधानों (अर्थात् चिकित्सा जांच, आराम के न्यूनतम घंटे और मत्स्यन जलयान आवास) पर केन्द्रित है, जिन्होंने शायद अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 93वें (जून, 2005) सत्र में चर्चा के दौरान विशेष रूप से कठिन समस्या प्रस्तुत की थी।

(ग) और (घ) प्रश्नावली के लिए समेकित उत्तर तैयार करने के लिए, प्रश्नावली की एक प्रति नियोजकों तथा कामगारों के सभी केन्द्रीय संगठनों में परिचालित की गई थी। हमें हिन्दू मजदूरी सभा से विस्तृत उत्तर प्राप्त हुआ है। भारतीय मजदूर संघ ने भी इस मामले पर अपने विचार भेजे हैं। यथोचित विचार–विमर्श के बाद प्रश्नावली का उत्तर अविलंब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भेज दिया जायेगा।

(ङ) और (च) यह मुद्दा 20 दिसम्बर, 2006 को होने वाले स्थायी श्रम सम्मेलन की कार्यसूची की मदों की एक मद के रूप में रखा गया है। मामले में अपने पक्ष के संबंध में या पुनर्विचार की आवश्यकता पर निर्णय, यदि कोई हो तो, विचार–विमर्श के बाद लिया जायेगा।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

2638. श्री सुनील खां : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत कुल कितने कर्मचारी शामिल हैं;

(ख) क्या वीआरएस के अंतर्गत रूग्ण कंपनियों से सेवानिवृत्ति लेने वाले अनेक कर्मचारियों को विशेषरूप से उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद ना तो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की धनराशि वापस मिली है और ना ही उन्होंने ईपीएस में अपना अंशदान जमा कराया है;

(ग) यदि हां, तो परिवार पेंशन कोष से अनाहरण हेतु ईपीएस, 1995 में ऐसे अनिवार्य खंड के कारण कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(घ) ऐसे परिवार पेंशन कोष की धनराशि कितनी है और अदावाकृत परिवार पेंशन कोष के दावेदारों की संख्या कितनी है जिन्होंने ईपीएफ, 1995 कोष में अपना अंशदान जमा कराया था;

(ङ) क्या सरकार पेंशनरों के लाभार्थ स्फीतिकारी बाजार मूल्य की क्षतिपूर्ति करने के लिए महंगाई भत्ते को ईपीएस, 1995 से जोड़ने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार का प्रभावित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अधीन 323.89 लाख सदस्य थे।

(ख) और (ग) जो कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के उपबंधों के अनुसार अंशदान नहीं कर रहे थे और जिन्होंने वी.आर.एस. ले रखी है वे संगत अंशदान को प्रेषित करके अथवा अपनी जमा राशि से उसे अंतरित करवाकर इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए गए अनुरोधों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के संबंध में अलग से कोई खाता नहीं रखा जाता है।

(ङ) से (छ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक परिभाषित लाभ योजना है। पेंशन संबंधी लाभ की धन राशि में कोई बढ़ोत्तरी पेंशन निधि की स्थिति पर निर्भर करती है। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि बीमांकिक मूल्यांकन किसी बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं देता है।

आईएलओ अभिसमय 176

2639. श्री पी. करुणाकरन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खानों में सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसमय 176 को 1995 में अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) सरकार ने खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 176 के अंगीकरण के दौरान पक्ष में मत दिया था।

(ख) अभिसमय के तहत खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कई अनुच्छेदों के उपबंध वर्तमान संविधि में पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। अनुच्छेद 14 के तहत श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में, खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन में श्रमिक प्रतिनिधियों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ सुरक्षा समिति के गठन और कर्मकार निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए खान अधिनियम, 1952 में पहले ही उपबंध बनाए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 176 के अनुच्छेद 4,5,7,8,9,10,11,14,15, और 16 में यथानिर्धारित खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु खान अधिनियम, 1952 के विभिन्न नियमों व विनियमों में और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

(ग) सुरक्षा और स्वास्थ्य संविधि के अनुप्रयोग का दायरा बढ़ाने, जोखिम आकलन की अवधारणा शुरू करने आदि जैसे कुछेक उपबंधों को अब तक निम्नांकित कारणों से पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया है :–

यदि अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाता है तो खान अधिनियम, 1952 के दायरे का ऐसे कई नए क्षेत्रों में विस्तार हो जाएगा जो फिलहाल शामिल नहीं है। प्रवर्तन तंत्र की मौजूदा शक्ति के साथ, खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकार क्षेत्र में, अभिसमय के सुझाव के अनुसार, नए क्षेत्रों को शामिल करना संभव नहीं होगा।

(घ) खानों में सुरक्षा सुनिश्चयन हेतु खान अधिनियम, 1952 की तद्धीन निर्मित नियमों और विनियमों में विस्तृत उपबंध और सतर्कता उपाय शामिल किए जा चुके हैं। खान सुरक्षा उपबंधों का अनुपालन करना खान प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

[हिन्दी]

धान की खरीद

2640. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरि चौरे :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी खरीफ मौसम के दौरान देश के सभी राज्यों में धान की खरीद हेतु समुचित प्रबंध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो खोले गए खरीद केन्द्रों की राज्य–वार संख्या दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धान की खरीद किन–किन राज्यों में आरंभ की गई है और इनसे कितनी मात्रा में धान की खरीद की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्यवार खोले गए वसूली केन्द्रों की संख्या बताने वाले ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जिन राज्यों में धान की वसूली की गई है तथा जितनी मात्रा में वसूली की गई है उसके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

खरीफ विपणन मौसम 2006-07 के दौरान भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा चलाए गए वसूली केन्द्रों की सूची

राज्य	भारतीय खाद्य निगम	संयुक्त रूप से	राज्य एजेंसियां	कुल
1	2	3	4	5
पंजाब	95	118	1296	1509
हरियाणा	05	28	139	172
उत्तर प्रदेश	–	–	1694	1694
राजस्थान	12	–	–	12
मध्य प्रदेश	229	–	206	435
दिल्ली	4	–	–	4
बिहार	119	–	उ.न.	119
हिमाचल प्रदेश	5	–	–	5
उत्तरांचल	–	–	55	55
झारखण्ड	17	–	327	344
जम्मू और कश्मीर	02	–	–	02
आंध्र प्रदेश	175	–	522	697
पश्चिम बंगाल	–	–	1300	1300
कर्नाटक	–	–	11	11
तमिलनाडु	–	–	667	667
उड़ीसा	420	–	1752	2172
महाराष्ट्र	–	–	765	765
छत्तीसगढ़	–	–	1459	1459
केरल	–	–	130	130
कुल	1083	146	10323	11552

विवरण-II

खरीफ विपणन मौसम 2006-07 (7.12.2006) की स्थिति के अनुसार) के दौरान धान की वसूली

(लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वसूला गया धान
1.	आंध्र प्रदेश	0.52
2.	चंडीगढ़	0.15
3.	छत्तीसगढ़	8.18
4.	हरियाणा	20.45
5.	केरल	0.70
6.	मध्य प्रदेश	0.12
7.	महाराष्ट्र	0.32
8.	उड़ीसा	1.60
9.	पंजाब	105.61
10.	तमिलनाडु	3.08
11.	उत्तर प्रदेश	1.58
12.	उत्तरांचल	0.06
	कुल	142.37

राज्यों द्वारा गेहूं की खरीद

2641. श्री अजीत जोगी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार के पास अपनी ओर से गेहूं को खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश की राज्य एजेंसियां केन्द्र सरकार की ओर से पहले से ही गेहूं की वसूली कर रही हैं। रबी विपणन मौसम 2006–07 में इन राज्य एजेंसियों ने केन्द्रीय पूल के लिए 78.86 लाख टन गेहूं की वसूली की जबकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा 13.39 लाख टन की वसूली की गई थी।

राज्यों में बाढ़

2642. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री राजेन गोहेन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बाढ़, वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आए हुए राज्यों के बारे में समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए किसी कार्य समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संचार सेवाओं में व्यवधान के कारण विभिन्न अविकसित और दूर–दराज के राज्यों विशेषकर जनजातीय राज्यों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना असंभव हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सितम्बर–अक्तूबर, 2006 को आई बाढ़ और वर्षा के कारण देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखंड में रेल लाइनें/सड़कें प्रभावित हुई थी लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इन प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान नहीं कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है राज्य सरकारें चक्रवातों, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटने, भूस्खलन तथा कीटनाशक प्रहार जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में वित्तपोषी राहत व्यय की मौजूदा स्कीम के अनुसार राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए मुख्यतः जिम्मेवार है। भारत सरकार जहां कहीं जरूरत हो वहां वित्तीय और संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के घटने पर राज्यों को दो स्कीमों अर्थात आपदा राहत निधि (सीआरएफ) तथा राष्ट्रीय आपदा आपातिक निधि (एनसीसीएफ) के अधीन जो कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं राज्यों को राहत और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

प्रत्येक राज्य में एक सीआरएफ का गठन किया गया है जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 3 (केन्द्र) : 1 (राज्य) के अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है। राज्य सरकारों से सीआरएफ की कॉपर्स निधि में से जोकि राज्य सरकारों के पास तत्काल उपलब्ध रहती है राहत और पुनर्वास संबंधी खर्च की पूर्ति करने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई आपदा गंभीर प्रकृति की है और राज्य के सीआरएफ खाते में उपलब्ध निधियां पर्याप्त नहीं हैं, राज्यों को एनसीसीएफ में से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

2006–07 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सीआरएफ के अधीन 2606.94 करोड़ रुपए तथा एनसीसीएफ के अधीन 1962.06 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें झारखंड की राज्य सरकार को सीआरएफ के तहत प्रदान की गई 48.64 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता शामिल है।

विस्थापित ग्रामीणों को मुआवजा

2643. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को उन विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए धनराशि प्रदान की थी जो कुनोपालपुर अभ्यारण्य के आस–पास रहते थे;

(ख) यदि हां, तो अभी तक आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में धनराशि को पुनः वैध किये जाने (रीवैलीडेशन) के संबंध में एक अन्य प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने कुनोपालपुर अभयारण्य के

गांवों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 'जनजाति लाभोन्मुखी विकास' और 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत अब तक 1236.32 लाख रु. जारी किए हैं। इसमें से राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2006 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष तक 1168.32 लाख रु. का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने अप्रयुक्त शेष 68.00 लाख रु. को पुनः वैध (रीवैलीडेशन) करने के लिए अनुरोध किया है। इस धनराशि को सरकार के दिनांक 7.11.2006 के आदेश सं. 13002012/डब्ल्यू एल के तहत पहले ही पुनः वैध (रीवैलीडेशन) किया जा चुका है।

कोटे से अधिक चीनी की बिक्री

2644. श्री मित्रसेन यादव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें अपने लिए निर्धारित 'फ्री सेल कोटा' से अधिक चीनी की बिक्री कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मिलों द्वारा निर्धारित कोटे से कितनी अधिक चीनी की बिक्री की गई है;

(घ) क्या उक्त चीनी मिलों ने उनके कोटे से अधिक चीनी की बिक्री करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त चीनी मिलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) चीनी फैक्ट्रियों के लिए सरकार के मासिक रिलीज आदेशों में यथा अनुमत चीनी की विनिर्दिष्ट मात्रा की बिक्री और प्रेषण करना अपेक्षित होता है। कुछ चीनी मिलों ने न्यायालयों से रिलीज आदेशों में अनुमत मात्रा से ज्यादा चीनी बेचने के आदेश प्राप्त कर लिए हैं। इस स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी फैक्ट्रियों का यादृच्छिक निरीक्षण करने का निर्णय किया। अब तक विभिन्न चीनी कंपनियों की 30 चीनी फैक्ट्रियों का निरीक्षण दो चरणों में किया जा चुका है। अक्तूबर, 2006 में पहले चरण में 12 और नवम्बर, 2006 में दूसरे चरण में 18 चीनी फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। पहले चरण की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर 4 चीनी फैक्ट्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दूसरे चरण की निरीक्षण रिपोर्टों की जांच अभी की जानी है। सरकार के रिलीज आदेशों का उल्लंघन करती पाई गई चीनी फैक्ट्रियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब में कुक्कुट पालन

2645. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कुक्कुट पालन को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान पंजाब में कुक्कुट उत्पादन में गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य को विशेष सहायता प्रदान की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से कुक्कुट पालन को बढ़ाने में लगा हुआ है:–

(1) "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्म को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत पक्षियों के हैचिंग, ब्रूडिंग तथा रियरिंग के लिए राज्य के फार्मों के सुदृढ़ीकरण के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र की "डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी कोष" नामक योजना जो कम आदान वाले तकनीकी पक्षियों के साथ कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित करने तथा बैंकेवल परियोजनाओं के माध्यम से अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है। यह योजना राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से क्रियान्वित की गई है।

(3) केन्द्रीय क्षेत्र की "केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन" नामक योजना जो अपने संबद्ध क्षेत्रों में आवश्यक आदान तथा कम आदान वाले तकनीकी चूजों, किसानों के प्रशिक्षण तथा आहार नमूना विश्लेषण आदि जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती है।

उपरोक्त (1) तथा (2) से संबंधित योजनाओं के लिए प्रदान की गई राज्यवार निधियों को विवरण–I और II में दर्शाया गया है। उपरोक्त (3) में दर्शाई गई योजना के तहत राज्यों को कोई भी निधि प्रदान नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) नीचे दी गई सूचना दर्शाती है कि पंजाब में वर्ष

2005–06 में कुक्कुट उत्पादन विगत वर्ष की तुलना में कम रहा था। ऐसा देश के कुछ हिस्सों में फैले बर्ड फ्लू के कारण हुआ है :–

(संख्या करोड़ में)

मद	2004–05	2005–06
अंडे	368.00	352.00
ब्रॉयलर	4.33	3.27

(च) से (छ) सरकार ने पंजाब तथा देश के अन्य भागों के कुक्कुट पालकों को सहायता पहुंचाने के लिए एक वित्तीय राहत पैकेज लागू किया है। यह पैकेज मौजूदा ऋणों तथा बकाया ब्याज के पुनः भुगतान पर ऋण–स्थगन, वर्किंग पूंजी को सावधिक ऋणों, सावधिक ऋणों के पुनः अनुसूचित करने तथा एक वर्ष के लिए 4% के एकमुश्त ब्याज सहायता के लिए दिया जाता है। पंजाब को राजसहायता दर पर 7890 मीट्रिक टन मक्का भी कुक्कुट पालकों में वितरित करने के लिए आबंटित किया गया है।

विवरण-I

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राज्य कुक्कट/बत्तख फार्म को सहायता" के तहत जारी राज्यवार वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	50.00	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	47.92	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	74.50	132.50	135.60	–
4.	बिहार	–	–	160.00	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	148.00	–
6.	गोवा	–	68.00	–	–
7.	गुजरात	22.38	90.37	136.00	136.00
8.	हरियाणा	–	–	40.00	–
9.	हिमाचल प्रदेश	27.40	25.00	117.56	–
10.	जम्मू और कश्मीर	42.50	204.00	47.00	25.50
11.	कर्नाटक	–	55.00	–	80.00
12.	केरल	–	–	191.68	–
13.	लक्षद्वीप	–	–	25.00	–
14.	मध्य प्रदेश	48.93	64.00	–	124.88
15.	महाराष्ट्र	–	150.00	–	–
16.	मणिपुर	–	–	42.50	

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	–	40.00	85.00	–
18.	मिजोरम	57.00	128.00	240.00	207.50
19.	नागालैण्ड	42.50	252.50	300.00	170.00
20.	उड़ीसा	15.00	–	–	272.00
21.	पंजाब	–	–	40.00	–
22.	सिक्किम	42.50	–	42.50	–
23.	तमिलनाडु	–	99.756	–	–
24.	त्रिपुरा	82.50	–	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	17.09	–	342.06	136.00
26.	उत्तरांचल	–	–	54.70	–
27.	पश्चिम बंगाल	33.20	80.00	120.00	134.40
	कुल	505.50	1437.05	2317.60	1286.28

विवरण-II

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत दी गई वित्तीय सहायता : "डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी कोष" 2005–06 से योजना की शुरुआत से 31.10.2006 तक

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुक्कुट ईकाइयों की संख्या	नाबार्ड द्वारा निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13	74.41
2.	असम	10	2.18
3.	गोवा	2	15.60
4.	जम्मू और कश्मीर	2	14.10
5.	झारखण्ड	1	7.50
6.	कर्नाटक	3	20.82
7.	केरल	1	2.92
8.	महाराष्ट्र	3	20.86
9.	मणिपुर	2	15.53
10.	मिजोरम	3	6.50
11.	पंजाब और हरियाणा	8	74.11
12.	राजस्थान	1	9.98
13.	तमिलनाडु	3	17.29
14.	उत्तरांचल	24	30.65
15.	पश्चिम बंगाल	2	20.50
	कुल	78	332.95

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में शामिल करना

2646. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 में शामिल करने और इन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के क्षेत्राधिकार में लाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम को बदलकर मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया में परिवर्तित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है जिन्होंने इस अधिनियम के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करने के मुद्दे पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की टिप्पणियां मांगी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास भारतीय प्रेस परिषद के अधिकार-क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय प्रेस परिषद का नाम बदलकर भारतीय मीडिया परिषद रखने के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद के प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन उस पर सहमति नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी संबंधी कार्य समूह की सिफारिशें

2647. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री वी. के. ठुम्मर :
श्री जी. एम. सिद्धेश्वर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को न्यूनतम मजदूरी संबंधी कार्य समूह से बड़ी संख्या में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी हां।

(ख) 2002 में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा स्थापित कार्यदल ने निम्नांकित मुख्य सिफारिशें की थीं : —

i) न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के मानदण्ड अधोलिखित अनुसार होंगे :—

(क) एक अर्जक के लिए तीन उपभोग इकाइयों, अर्थात् दो वयस्क और दो बच्चे का मानदंड

(ख) प्रति औसत भारतीय वयस्क के लिए 2700 कैलोरी की न्यूनतम भोजन आवश्यकता

(ग) प्रति व्यक्ति व्यय के संदर्भ में वस्त्र की आवश्यकता एन एस एस ओ उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण द्वारा यथाआकलित

(घ) ईंधन, प्रकाश और विविध व्यय आई एल सी मानदंडों के अनुसार और बाल शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता व्यय आदि उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार एन एस एस ओ द्वारा आयोजित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों को भी ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii) वेतन ढांचे की आवधिक समीक्षा और संशोधन प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जाए तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पंचवर्षीय परिवार व्यय सर्वेक्षण के साथ हो।

iii) न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन तथा कार्यान्वयन के लिए गठित क्षेत्रीय स्तरीय समितियों को नियमित रूप से और वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक करनी चाहिए।

(ग) से (ङ) अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन संबंधित केन्द्रीय और राज्य तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जो उल्लंघन और या शिकायतों के मामले में विधिक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भ्रष्टाचार

2648. श्री काशीराम राणा :
श्री हरि सिंह चावडा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा निम्नवत है :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2003–04	175
2004–05	151
2005–06	113
2006–07 (अक्तूबर, 2006 तक)	081

(ख) और (ग) पंजीकृत शिकायतों के संबंध में जांच–पड़ताल करवाई जाती है तथा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने/समुचित प्राधिकारी के पास शिकायतें दर्ज करवाने आदि जैसी समुचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सकल कृषि उत्पादन

2649. श्री सुग्रीव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र से कितनी वार्षिक आय अर्जित की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपयुक्त धनराशि में से कितने प्रतिशत धनराशि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों हेतु खर्च की गई है;

(ग) क्या कृषि सुधारों संबंधी विभिन्न समितियों ने कृषि क्षेत्र में और अनुसंधान तथा विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत आबंटित करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के तहत किए गए माप के अनुसार कृषि क्षेत्र जिसमें वानिकी, लट्ठा उद्योग तथा मत्स्यन शामिल हैं, से उत्पन्न वार्षिक आय चालू मूल्यों पर नीचे दी गई है :

वर्ष	चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपए)
2003–04	5,34,689
2004–05	5,56,146
2005–06	6,08,681

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में कृषि सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अनुसंधान तथा विकास पर किया गया व्यय इस प्रकार है : 2003–04 में 0.28%, 2004–05 में 0.31% तथा 2005–06 में 0.33%।

(ग) राष्ट्रीय किसान आयोग ने अनुसंधान तथा विकास के लिए कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 1% आबंटन की सिफारिश की है। कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दसवीं योजना कार्यकारी दल 25 हजार करोड़ रुपए की सिफारिश की है, जोकि कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है।

(घ) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 5,368 करोड़ रुपए के परिव्यय का आबंटन किया गया है जिसमें कि देश के नए कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए 500 करोड़ रुपए शामिल हैं।

[हिन्दी]

रूग्ण चीनी मिलों को पुनः चालू करना

2650. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रूग्ण चीनी मिलों को पुनः चालू करने के लिए मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश में रूग्ण चीनी फैक्ट्रियों को पुनरूज्जीवित करने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य के अधिकारियों के साथ हाल में कोई बैठक नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु चिकित्सा लाभ

2651. श्री ब्रजेश पाठक :

श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की असंगठित क्षेत्र के कामगारों तथा प्रवासी मजदूरों के लिए चिकित्सा बी.I तथा चिकित्सा लाभ शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप असंगठित तथा प्रवासी क्षेत्र के कितने कामगारों को लाभ पहुंचने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (घ) सरकार सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.) के साथ विचार–विमर्श से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक विधान के अधिनियमन और सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करने पर विचार कर रही है जिसमें स्वास्थ्य बीमा शामिल किया जा सकता है। प्रवासी श्रमिकों के नियोजन और सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से, सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है जो कि उन प्रत्येक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जिनमें पांच या उससे अधिक अंतर्राज्यिक कर्मकार नियोजित होंगे। अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार, चिकित्सा हितलाभ सहित कतिपय हितलाभों के लिए पात्र होंगे। 1999–2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में कामगारों की कुल संख्या 36.9 करोड़ थी। 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में रोजगार के कारणों से 2.99 करोड़ व्यक्तियों ने अपने मूल स्थान से प्रवसन किया।

[अनुवाद]

कोपरा का मूल्य

2652. श्री एम. शिवन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में तिपमूर, तुमकुर, अरासिकेरे में अचानक कोपरे के मूल्य में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोपरा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कोपरा की विभिन्न किस्में मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। इनकी मूल्य प्रवत्ति किस्मों के साथ–साथ गुणवत्ता पर निर्भर करती है। खोपरा की महत्वपूर्ण किस्म "बाल किस्म" है। कोपरा की बाल किस्म का मूल्य केरला के (कोझिकोड) में नवम्बर, 2006 में रुपए 3700 प्रति क्विंटल की तुलना में, जनवरी, 2006 में रुपए 4800 प्रति क्विंटल रहा। इन महीनों के दौरान कर्नाटक के अरासिकेरे बाजार में बाल किस्म का मूल्य रुपए 7210 प्रति क्विंटल और रुपए 4000 प्रति क्विंटल रहा। हालांकि इन्हीं महीनों के दौरान मंगलौर बाजार में स्थानीय किस्म के कोपरा की कीमत रुपए 2700 तथा 3100 प्रति क्विंटल रही।

(ग) इसी क्रम में, कोपरा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए (मिलिंग और बाल कोपरा) सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने कोपरा की उत्पादन लागत तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए की है। सरकार ने 2006 में विपणन वर्ष के लिए दिनांक 6.1.2006 को (उचित औसत गुणवत्ता) किस्म की मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 3590 प्रति क्विंटल तथा बाल कोपरा के लिए रुपए 3840 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कर्नाटक के विपणन केन्द्रों में, बाल कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता किस्म की कीमतें हाल ही के महीनों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों से ऊपर चल रहीं थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोटा उठाने में विफलता

2653. श्री जुएल ओराम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) तथा अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) के अंतर्गत खाद्यान्न और मिट्टी के तेल के आवंटित कोटे उठाने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) खाद्यान्न - पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान का ब्यौरा विवरण–I से III में दिया गया है।

मिट्टी का तेल - 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का आवंटन और उठान का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) खाद्यान्नों का उठान खाद्यान्नों की स्थानीय उपलब्धता, बाजार में प्रचलित मूल्य, स्थानीय जनता की खाद्य पसंद, राज्य सरकार के पास कम संसाधन, रैक उपलब्ध न होना आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए तिमाही आधार पर आवंटन किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर उनके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के जरिए उठान और आगे वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2003-2004 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				उठान प्रतिशतता			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र	1,368.43	2,266.74	337.946	3973.116	1319.231	434.289	330.659	2084.179	96.405	19.159	97.844	52.46
2	अरुणाचल प्रदेश	35.148	64.206	6.348	105.702	33.897	55.5	6.231	95.628	96.441	86.441	98.157	90.47
3	असम	682.284	735.14	118.236	1535.66	628.166	343.616	112.266	1084.048	92.068	46.742	94.951	70.59
4	बिहार	2,219.18	2,291.52	420	4930.704	627.119	7.1	380.872	1015.091	28.259	0.31	90.684	20.59
5	छत्तीसगढ़	566.226	1,045.80	155.967	1767.993	509.173	23.2	147.141	679.514	89.924	2.218	94.341	38.43
6	दिल्ली	158.34	996.516	13.44	1168.296	165.223	346.739	12.989	524.951	104.347	34.795	96.644	44.93
7	गोवा	12.888	118.296	3.072	134.256	6.959	4.963	2.408	14.33	53.996	4.195	78.385	10.67
8	गुजरात	753.948	2,787.56	136.5	3678.012	473.951	41.453	55.286	570.69	62.863	1.487	40.503	15.52
9	हरियाणा	274.004	1,014.20	47.664	1335.872	228.889	98.524	45.804	373.217	83.535	9.714	96.098	27.94
10	हिमाचल प्रदेश	195.872	348.9	33.06	577.832	177.198	68.968	33.099	279.265	90.466	19.767	100.118	48.33
11	जम्मू और कश्मीर	261.66	443.94	47.424	753.024	253.097	257.78	47.368	558.245	96.727	58.066	99.882	74.13
12	झारखण्ड	839.268	216.3	153.936	1209.504	297.369	11.285	139.541	448.195	35.432	5.217	90.649	37.06
13	कर्नाटक	1,096.00	2,070.60	218.28	3384.876	1048.154	839.788	196.471	2084.413	95.635	40.558	90.009	61.58
14	केरल	534.551	1,808.94	118.057	2461.548	440.186	137.125	117.405	694.716	82.347	7.58	99.446	28.22
15	मध्य प्रदेश	1,225.34	2,535.37	330.605	4091.32	1049.194	30.369	318.297	1397.86	85.625	1.198	96.277	34.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	महाराष्ट्र	2,293.20	4,700.88	451.1	7445.184	1580.159	28.524	391.325	2000.008	88.906	0.607	86.749	26.86
17	मणिपुर	43.884	47.46	10.716	102.06	44.356	18.05	11.094	73.5	101.076	38.032	103.527	72.02
18	मेघालय	65.052	45.024	11.808	121.884	69.503	18.992	12.567	101.062	106.842	42.182	106.428	82.92
19	मिजोरम	23.19	54.564	5.49	83.244	23.727	51.043	4.953	79.723	102.316	93 547	90.219	95.77
20	नागालैण्ड	42.12	86.688	9.96	138.768	43.228	66.079	9.304	118.611	102.631	76.226	93.414	85.47
21	उड़ीसा	1,484.38	1,155.56	212.316	2852.256	632.892	148.92	209.274	991.086	42.637	12.887	98.567	34.75
22	पंजाब	166.416	1,473.24	30.12	1669.776	120.195	16.057	16.824	153.076	72.226	1.09	55.857	9.17
23	राजस्थान	778.608	2,763.76	181.852	3724.216	619.442	111.073	170.297	900.812	79.558	4.019	93.646	24.19
24	सिक्किम	14.636	25.812	3.604	44.052	14.676	13.272	3.49	31.438	100.273	51.418	96.837	71.37
25	तमिलनाडु	1,742.35	3,787.98	300.024	5830.356	1782.975	228.641	311.361	2322.977	102.332	6.036	103.779	39.84
26	त्रिपुरा	104.904	179.232	18.996	303.132	102.15	34.109	18.922	155.181	97.375	19.031	99.61	51.19
27	उत्तर प्रदेश	3,654.30	6,494,46	830.885	10979.64	2121.809	10.669	806.835	2939.313	58.063	0.164	97.105	26.77
28	उत्तरांचल	177.12	333.552	32.052	542.724	148.288	19.412	27.175	194.875	83.722	5.82	84.784	35.91
29	पश्चिम बंगाल	1,702.75	4,089.18	307.788	6099.72	1215.756	477.595	218.558	1911.909	71.399	11.679	71.009	31.34
30	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.434	36.36	1.806	45.6	4.67	14.151	2.306	21.127	62.819	38.919	127.685	46.33
31	चंडीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	0.765	उ.न.	0.733	1.518	8.973	उ.न.	82.545	1.78
32	दादर और नगर हवेली	5.544	7.14	1.176	13.86	3.044	0.899	0.83	4.773	54.906	12.591	70.578	34.44
33	दमन और दीव	1.428	9.42	0.252	11.1	0.792	0.195	0.149	1.136	55.462	2.07	59.127	10.23
34	लक्षद्वीप	0.372	3.708	0.168	4.248	उ.न.	2.85	उ.न.	2.85	उ.न.	76.861	उ.न.	67.09
35	पांडिचेरी	30.736	13.2	4.376	48.312	17.667	0.549	3.413	21.629	57.48	4.159	77.994	44.77
	जोड़	22,570.31	44,126.77	4,555.91	71,253.00	15,803.92	3,961.78	4,165.25	23,930.95	70.021	8.978	91.425	33.586

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2004–2005 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				उठान प्रतिशतता			
		गरेगी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेगी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेगी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	1,230.13	2,266.74	476.248	3973.116	1261.816	1137.642	456.115	2855.573	102.576	50.188	95.773	71.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	अरुणाचल प्रदेश	31.68	76.68	9.816	118.176	31.61	54.709	8.661	94.98	99.779	71.347	88.233	80.37
3	असम	650.434	885.14	150.086	1685.66	623.762	521.126	139.178	1284.066	95.899	58.875	92.732	76.18
4	बिहार	2,219.18	2,291.52	420	4930.704	809.91	10.312	382.079	1202.301	36.496	0.45	90.971	24.38
5	छत्तीसगढ़	586.635	1,045.80	200.997	1833.432	556.72	42.368	180.399	779.487	94.901	4.051	89.752	42.52
6	दिल्ली	155.27	996.516	16.51	1168.296	148.735	410.117	13.984	572.836	95.791	41.155	84.7	49.03
7	गोवा	11.848	118.296	4.112	134.256	उ.न.	उ.न.	5.04	5.04	उ.न.	उ.न.	122.568	3.75
8	गुजरात	716.567	2,787.56	167,081	3671.212	556.091	93.809	114.301	764.201	77.605	3.365	68.411	20.82
9	हरियाणा	257.04	1,014.20	71.532	1342.776	217.587	154.641	65.097	437.325	84.651	15.248	91.004	32.57
10	हिमाचल प्रदेश	134.816	348.9	44.116	527.832	118.553	152.004	41.755	312.312	87.937	43.567	94.648	59.17
11	जम्मू और कश्मीर	243.008	447.72	66.076	756.804	235.598	292.756	43.508	571.862	96.951	65.388	65.845	75.56
12	झारखण्ड	801.112	216.3	204.38	1221.792	365.914	20.607	167.666	554.187	45.676	9.527	82.036	45.36
13	कर्नाटक	987.813	2,070.60	326.463	3384.876	972.701	848.631	300.882	2122.214	98.47	40.985	92.164	62.7
14	केरल	487.048	1,808.94	165.56	2461.548	493.64	264.047	156.714	914.401	101.353	14.597	94.657	37.15
13	मध्य प्रदेश	1,326.22	2,535.37	406.254	4267.848	1225.005	22.732	380.325	1628.062	92.368	0.897	93.618	38.15
16	महाराष्ट्र	2,069.84	4,700.88	674.467	7445.184	1773.019	67.391	598.26	2438.67	85.66	1.434	88.701	32.75
17	मणिपुर	44.084	47.46	11.93	103.474	29.035	18.305	8.631	55.971	65.863	38.569	72.347	54.09
18	मेघालय	60.152	45.024	16.708	121.884	60.389	21.808	16.119	98.316	100.394	48.436	96.475	80.66
19	मिजोरम	21.241	93.84	7.439	122.52	21.644	70.007	7.098	98.749	101.897	74.603	95.416	80.6
20	नागालैण्ड	39.529	122.04	12.551	174.12	42.787	108.915	11.922	163.624	108.242	89.245	94.988	93.97
21	उड़ीसा	1,436.09	1,155.56	260.604	2852.256	1141.878	132.305	240.04	1514.223	79.513	11.449	92.109	53.09
22	पंजाब	166.416	1,473.24	30.12	1669.776	110.983	25.348	22.766	159.097	66.69	1.721	75.584	9.53
23	राजस्थान	708.868	2,763.76	251.672	3724.296	651.375	301.545	230.951	1183.871	91.889	10.911	91.767	31.79
24	सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.022	18.532	4.058	36.612	99.616	71.796	97.454	83.11
25	तमिलनाडु	1,608.37	3,787.98	434.011	5830.356	1665.081	630.638	424.791	2720.51	103.526	16.648	97.876	46.56
26	त्रिपुरा	100.929	179.232	22.971	303.132	104.67	60.168	21.376	186.214	103.707	33.57	93.056	61.43
27	उत्तर प्रदेश	3,316.04	6,494.46	1,169.14	10979.64	2777.114	7.763	1126.056	3910.933	83.748	0.12	96.315	35.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	उत्तरांचल	177.12	333.552	32.052	542.724	178.697	16.772	41.62	237.089	100.89	5.028	129.851	43.69
29	पश्चिम बंगाल	1,618.95	4,089.18	391.595	6099.72	1259.8	924.827	260.473	2445.1	77.816	22.616	66.516	40.09
30	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.43	36.36	1.8	45.59	0.887	2.023	उ.न.	2.91	11.938	5.564	उ.न.	6.38
31	चंडीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	0.17	उ.न.	0.191	0.361	1.943	उ.न.	21.509	0.42
32	दादर और नगर हवेली	5.544	7.14	1.176	13.86	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
33	दमन और दीव	1.428	9.42	0.252	11.1	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
34	लक्षद्वीप	0.372	3.708	0.168	4.248	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
35	पांडिचेरी	28.238	13.2	6.874	48.312	2.62	0.085	1.235	3.94	9.278	0.644	17.966	8.16
	जोड़	21,272.26	44,367.66	6,059.81	71,699.72	17,451.81	6,431.93	5,471.29	29,355.04	82.04	14.497	90.288	40.942

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2005-2006 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				उठान प्रतिशतता			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	कुल	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	कुल	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	1,086.13	2,266.74	620.247	3973.116	1101.87	1507.07	608.56	3217.5	101.449	66.486	98.116	80.98
2	अरुणाचल प्रदेश	28.56	69.75	12.936	111.246	25.52	43.25	12.4	81.17	89.356	62.007	95.857	72.96
3	असम	625.416	955.14	175.104	1755.66	595.48	444.58	181.09	1221.15	95.213	46.546	103.419	69.56
4	बिहार	2,166.65	2,291.52	472.533	4930.704	672.01	25.55	421.06	1118.62	31.016	1.115	89.107	22.69
5	छत्तीसगढ़	532.812	1,045.80	254.82	1833.432	436.803	52.25	229.189	818.242	100.749	4.996	89.942	44.63
6	दिल्ली	148.464	996.516	23.316	1168.296	145.19	302.61	22.15	469.95	97.795	30.367	94.999	40.23
7	गोवा	10.221	118.296	5.739	134.256	3.804	6.103	2.447	12.354	37.217	5.159	42.638	9.2
8	गुजरात	618.063	2.787.56	258.785	3664.412	471.11	178.29	192.34	841.74	76.224	6.396	74.324	22.97
9	हरियाणा	242.516	1,014.20	86.056	1342.776	195.25	18.07	76.89	290.21	80.51	1.782	89.349	21.61
10	हिमाचल प्रदेश	116.648	348.9	62.284	527.832	95.56	179.07	55.6	330.23	81.922	51.324	89.269	62.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	जम्मू और कश्मीर	220.335	447.72	88.749	756.804	225.77	346.96	73.09	645.82	102.467	77.495	82.356	85.34
12	झारखण्ड	700.224	216.3	305.268	1221.792	380.91	21.16	282.63	684.7	54.398	9.783	92.584	56.04
13	कर्नाटक	876.317	2,035.01	407.752	3319.083	875.69	877.57	378.35	2131.61	99.928	43.124	92.789	64.22
14	केरल	445.56	1,808.94	207.088	2461.588	436.973	323.932	200.722	961.627	98.073	17.907	96.926	39.07
15	मध्य प्रदेश	1,195.32	2,535.37	534.141	4264.828	1217.046	153.02	509.58	1879.646	101.818	6.035	95.402	44.07
16	महाराष्ट्र	1,914.47	4,700.88	829.836	7445.184	1647.21	127.48	736.41	2511.1	86.04	2.712	88.742	33.73
17	मणिपुर	36.566	47.46	23.078	107.104	33.93	14.89	13.96	62.78	92.791	31.374	60.491	58.62
18	मेघालय	53.568	45.024	23.292	121.884	54.7	22.61	22.72	100.03	102.113	50.218	97.544	82.07
19	मिजोरम	18.279	72.02	10.401	100.7	17.65	55.89	10.01	83.55	96.559	77.603	96.241	82.97
20	नागालैण्ड	35.817	102.4	16.263	154.48	35.61	94.66	16.44	146.71	99.422	92.441	101.088	94.97
21	उड़ीसा	1,261.91	1,155.56	434.785	2852.256	797.408	109.77	450.493	1357.671	63.191	9.499	103.613	47.6
22	पंजाब	164.067	1,473.24	32.469	1669.776	71.11	8.84	18.24	98.19	43.342	0.6	56.177	5.88
23	राजस्थान	593.382	2,763.76	340.018	3697.156	469.57	204.17	300.57	974.31	79.135	7.387	88.398	26.35
24	सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.05	24.04	4.32	42.41	99.815	93.135	103.746	96.27
25	तमिलनाडु	1,397.70	3,787.98	644.679	5830.356	1391.6	1663.797	657.63	3713.027	99.564	43.923	102.009	63.68
26	त्रिपुरा	95.364	179.232	28.536	303.132	92.77	66.96	28.53	188.26	97.28	37.359	99.979	62.1
27	उत्तर प्रदेश	2,945.11	6,494.46	1,539.69	10979.25	2560.263	40.166	1438.289	4038.718	86.933	0.618	93.414	36.79
28	उत्तरांचल	162.413	333.552	46.759	542.724	166.282	53.316	34.615	254.213	102.382	15.984	74.029	46.84
29	पश्चिम बंगाल	1,447.97	4,089.18	562.571	6099.72	1294.459	1029.41	454.3	2778.169	89.398	25.174	80.754	45.55
30	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.428	36.36	1.8	45.588	1.81	15.79	0.53	18.13	24.367	43.427	29.444	39.77
31	चंडीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32	दादर और नगर हवेली	5.192	7.14	1.528	13.86	1.67	0.89	0.72	3.28	32.165	12.465	47.12	23.67
33	दमन और दीव	1.236	9.42	0.444	11.1	044	0.15	0.22	0.81	35.599	1.592	49.55	7.3
34	लक्षद्वीप	0.372	3.36	0.168	3.9	0.47	2.98	0.33	3.78	126.344	88.69	196.429	96.92
35	पांडिचेरी	22.862	13.2	12.25	48.312	12.53	5.2	7.91	25.64	54.807	39.394	64.571	53.07
	जोड़	19,199.75	44,353.33	8,068.43	71,621.51	15,642.52	8,020.49	7,442.34	31,105.35	81.473	18.083	92.24	43.43

विवरण-IV

वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी के तेल का राज्यवार आबंटन के प्रति उठान

(आंकड़े टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04			2004-05			2005-06		
	आबंटन	उठान	+/-	आबंटन	उठान	+/-	आबंटन	उठान	+/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अण्डमान और निकोबार	5907	5932	25	6749	5945	-804	6469	6582	113
आंध्र प्रदेश	523022	521268	-1754	524940	502012	-22928	518014	509495	-8519
अरुणाचल प्रदेश	9447	9068	-379	10424	9801	-623	9257	9102	-155
असम	258128	258457	329	262007	262953	946	258396	257174	-1222
बिहार	637221	636661	-560	648208	639270	-8938	647430	647190	-240
चंडीगढ़	13229	10850	-2379	13067	11721	-1346	13067	11619	-1448
छत्तीसगढ़	145042	144728	-314	146938	146815	-123	146938	145850	1088
दादर और नगर हवेली	2853	2421	-432	2782	2151	-631	2782	2646	-136
दमन और दीव	2194	1575	-619	2118	1534	-584	2118	1928	-190
दिल्ली	178756	178351	-405	168484	168521	37	168484	157365	-11119
गोवा	20469	20439	-30	19601	19589	-12	19212	19179	-33
गुजरात	760542	760704	162	743953	745318	1365	744382	744499	117
हरियाणा	146857	146664	-193	145656	145206	-450	145619	144513	-1106
हिमाचल प्रदेश	53134	47841	-5293	50537	45792	-4745	50537	47904	-2633
जम्मू और कश्मीर	81626	79455	-2171	78702	74192	-4510	79078	71315	-7763
झारखण्ड	213399	213226	-173	211175	210318	-857	211175	211960	785
कर्नाटक	480157	479845	-312	461478	461308	-170	462256	461576	-680
केरल	224243	223667	-576	221755	221990	235	216308	215615	-693
लक्षद्वीप	874	737	-137	795	523	-272	795	532	-263
मध्य प्रदेश	487397	487450	53	488609	486440	-2169	489017	484609	-4408
महाराष्ट्र	1300780	1297871	-2909	1276876	1269676	-7200	1287461	1272009	-15452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	20233	20182	−51	19907	20507	600	19907	19729	−178
मेघालय	20597	20632	35	20690	21442	752	204011	20265	−136
मिजोरम	6457	6317	−140	6217	6058	−159	6217	6206	−11
नागालैण्ड	13140	12955	−185	13412	13341	−71	13312	132981	−14
उड़ीसा	318947	312592	−6355	315755	313431	−2324	314977	312171	−2806
पांडिचेरी	12856	12680	−176	12568	10638	−1930	12296	12344	48
पंजाब	250329	247748	−2581	237192	235466	−1726	237192	235267	−1925
राजस्थान	406152	404598	−1554	398913	396765	−2148	398913	392790	−6123
सिक्किम	5881	5882	1	5854	6344	490	5582	5559	−23
तमिलनाडु	562283	561634	−649	566711	563597	−3114	581929	568456	−13473
त्रिपुरा	30621	29327	−1294	30832	29841	−991	30832	30514	−318
उत्तर प्रदेश	1232633	1228593	−4040	1263173	1255090	−8083	1243826	1241148	−2678
उत्तरांचल	98459	92700	−5759	89849	91320	147	89985	86009	−3976
पश्चिम बंगाल	763727	762701	−1026	756383	753341	−3042	752103	748342	−3761
अखिल भारत	9287590	9245751	−41839	9222308	9148256	−74052	9206266	9114760	−91506

टिप्पणी

1. आबंटन में अतिरिक्त/तदर्थ/कैरी फारवर्ड आबंटन/अनुमोदन शामिल है।

2. उठान के आंकड़े आईपीआर के अनुसार हैं।

श्रम संबंधित मुद्दे

2654. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य ने सुझाव दिया है कि श्रम संबंधी मुद्दों को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में डाल दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) श्रम संबंधी विषय को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करने के संबंध में न तो श्रम और रोजगार मंत्रालय का कोई अपना ही प्रस्ताव है और न ही राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

भेषज क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

2655. चौधरी मुनव्वर हसन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम एन सी) का ब्यौरा क्या है, जिन्हें 100 प्रतिशत अनुषंगी कंपनियां मिल चुकी हैं तथा वे किस वर्ष से देश में कार्यरत हैं;

(ख) क्या ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों का स्वयं उत्पादन कर रही हैं अथवा वे केवल तैयार दवा का आयात कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्पादों के प्रकार और लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कपटपूर्ण मूल्य हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1.1.2003 से 30.9.2006 तक औषध और भेषज क्षेत्र में 27 कंपनियों के लिए 100% विदेशी इक्विटी का अनुमोदन किया गया था। ये कंपनियां मुख्य रूप से बल्क औषधों के विनिर्माण, अनुसंधान और विकास, क्रय/विक्रय आदि में लगी हैं। मूल्य हस्तांतरण में चालबाजी को रोकने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 से धारा 92 एफ के अंतर्गत सांविधिक प्रावधान किया गया है।

काजू उद्योग हेतु समेकित कार्य योजना

2656. श्रीमती अर्चना नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर केरल में नकदी फसलों को प्रभावित करने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई समेकित कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के काजू उद्योग हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ ग्यारहवीं योजना के लिए काली मिर्च, इलायची और काजू हेतु पुनः रोपण/पुनरूद्धार कार्यक्रम के लिए समेकित कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि केरल राज्य सहित देश में इन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

(ग) और (घ) केरल सहित सभी काजू उत्पादक राज्यों में पांच वर्ष के दौरान समेकित कार्य योजना के तहत काजू के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार और काजू के जराग्रस्त क्षेत्रों में पुनः रोपण हेतु क्रमशः 75,000 हैक्टेयर और 1,00,000 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करना प्रस्तावित है ताकि देश में काजू का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके तथा साथ ही काजू उद्योग को जीवित रखा जा सके।

[हिन्दी]

पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यन के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा

2657. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुपालन, डेयरी और मत्स्यन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है अथवा समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन पर किए गए कुल खर्च का राज्यवार प्रतिशत कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन से संबंधित शुरू की गई योजनाओं की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सितम्बर, 2006 तक विभिन्न राज्यों को आबंटन, व्यय और जारी की गई राशि का ब्यौरा विवरण–I और II में संलग्न है।

विवरण-I

(करोड़ रुपयें में)

वर्ष	आबंटित धनराशि	उपयोग की गई राशि	उपयोगिता %
2002-03			
पशुपालन	122.48	125.36	102.35
डेयरी विकास	31.02	34.99	112.80
मात्स्यिकी	82.00	75.98	92.66
2003-04			
पशुपालन	181.79	181.20	99.68
डेयरी विकास	19.97	19.61	98.20
मात्स्यिकी	70.24	68.72	97.84
2004-05			
पशुपालन	348.91	348.73	99.95
डेयरी विकास	74.12	63.66	85.89
मात्स्यिकी	148.96	150.51	101.04
2005-06			
पशुपालन	337.50	330.01	97.78
डेयरी विकास	91.58	91.57	99.99
मात्स्यिकी	166.11	167.79	101.01

विवरण-II

दसवीं योजना के दौरान राज्यवार जारी राशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07 (सितम्बर, 2006 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1312.09	1850.08	2472.95	1333.03	654.99
2	अरुणाचल प्रदेश	54.46	192.37	906.59	498.93	136.46
3	असम	471.69	370.87	785.71	211.96	32.50
4	बिहार	116.40	489.99	721.12	612.36	204.17
5	छत्तीसगढ़	257.96	459.37	602.07	987.24	543.71
6	गोवा	98.36	105.71	331.53	416.11	190.31
7	गुजरात	156.72	834.83	2623.14	2747.47	1233.59
8	हरियाणा	186.59	536.59	1509.76	1381.36	342.95
9	हिमाचल प्रदेश	502.44	342.59	809.82	1156.33	944.80
10	झारखण्ड	254.30	447.29	536.74	676.16	392.50
11	जम्मू और कश्मीर	148.10	233.83	1075.72	712.22	332.28
12	कर्नाटक	727.99	958.94	3126.60	2949.20	1634.94
13	केरल	1293.04	1007.69	1719.47	3096.99	971.53
14	मध्य प्रदेश	901.50	664.82	2032.91	1473.99	990.69
15	महाराष्ट्र	641.94	1474.08	3811.73	2628.00	1856.16
16	मणिपुर	43.86	118.22	317.90	213.58	26.00
17	मेघालय	102.29	255.46	263.75	409.19	152.26
18	मिजोरम	376.86	356.75	758.55	1045.93	433.53
19	नागालैण्ड	242.48	62.03	1316.61	1524.78	567.33
20	उड़ीसा	1254.87	702.35	2120.76	2194.69	735.71
21	पंजाब	354.48	296.25	1033.37	1204.13	404.61
22	राजस्थान	249.72	344.35	1171.77	1632.03	373.42
23	सिक्किम	119.59	431.86	220.69	805.82	267.10

1	2	3	4	5	6	7
24	तमिलनाडु	2080.40	1248.32	3007.99	4035.76	1869.04
25	त्रिपुरा	497.16	537.76	461.36	424.40	232.26
26	उत्तर प्रदेश	2147.21	1801.57	4706.14	4012.67	2220.69
27	उत्तरांचल	663.65	831.86	948.60	997.25	477.71
28	पश्चिम बंगाल	720.18	638.91	2940.13	3342.59	1793.03
29	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	231.54	154.7	39.71	224.65	106.27
30	चंडीगढ़	136.97	18.5	22.40	14.80	9.30
31	दादर और नगर हवेली	2.70	9.7	33.44	4.05	3.00
32	दमन और दीव	1.50	9.03	133.35	72.36	70.71
33	दिल्ली	29.45	154.96	94.61	91.13	83.63
34	लक्षद्वीप	13.00	19.01	46.65	49.56	21.01
35	पांडिचेरी	162.90	152.92	351.11	670.23	394.73
	कुल	16554.39	18671.83	43054.73	43846.94	20702.92

[अनुवाद]

नई खाद्य और सार्वजनिक वितरण नीति

2658. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई खाद्य और सार्वजनिक वितरण नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चारे की कमी

2659. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में हाल ही में आई बाढ़ तथा सूखे के कारण चारे की भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में राज्यवार चारा प्रदान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार चारा बैंकों की स्थापना करने तथा प्रत्येक राज्य को चारे के बीज प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चारे की कमी की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां। देश में चारे की उपलब्धता में कुल मिलाकर कमी है। बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के दौरान चारे की कमी की समस्या गंभीर हो गई।

(ख) से (घ) राज्यों को चारा प्रदान करने तथा चारा बैंकों को स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, चारा फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों को अपनाने तथा चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए

राज्यों को चारा बीज मिनीकिटें प्रदान की जाती हैं। राज्यों को चारा मिनीकिटों के वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए, चारा विकास तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरकार निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है :–

(i) चारा ब्लाक बनाने वाली यूनिटों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना, घास रिजर्व सहित चारा भूमि का विकास, चारा बीजों का उत्पादन तथा वितरण और चारा संबंधी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं।

(ii) केन्द्रीय चारा विकास संगठन जिसमें क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म तथा केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

विवरण

चारा मिनीकिटों का आबंटन (संख्या में)

क्र.सं.	राज्य	2004–05	2005–06	2006–07		
				खरीफ	*रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	27300	18658	9100	26000	35100
2	अरुणाचल प्रदेश	4300	1500	3000	9000	12000
3	असम	3000	1500	3000	9000	12000
4	बिहार	17500	20000	6000		6000
5	छत्तीसगढ़	16800	12000	2700	32500	35200
6	गोवा	2300	1000	2000	18000	20000
7	गुजरात	40651	19000	7562	22573	30135
8	हरियाणा	21500	12000	9200		9200
9	हिमाचल प्रदेश	8600	12000	9700	35725	45425
10	जम्मू और कश्मीर	26692	18163	11000	23225	34225
11	झारखण्ड	4500	4000	5000	32500	37500
12	कर्नाटक	43000	34000	12000	21500	33500
13	केरल	10100	7060	7000	6800	13800
14	मध्य प्रदेश	35686	25000	13000	35000	48000
15	महाराष्ट्र	50500	40000	17000	47600	64600
16	मणिपुर	3300	1500	3000	8700	11700
17	मेघालय	2900	1500	3000		3000
18	मिजोरम	–	–	3000	8800	11800

1	2	3	4	5	6	7
19	नागालैण्ड	2000	1500	3000		3000
20	उड़ीसा	23600	19500	9000	20000	29000
21	पंजाब	14908	9000	8000		8000
22	राजस्थान	20453	15000	15000	31768	46768
23	सिक्किम	1150	1500	3000		3000
24	तमिलनाडु	10900	8622	11000	21400	32400
25	त्रिपुरा	5775	1500	3000		3000
26	उत्तर प्रदेश	51238	41000	16301		16301
27	उत्तरांचल	16162	12741	5666	25000	30666
28	पश्चिम बंगाल	18500	12000	6000	9000	15000
29	अण्डमान और निकोबार	5200	3000	1833	25000	26833
30	दादर और नगर हवेली	–	–			
31	दिल्ली	–	–	–		
32	लक्षद्वीप	–	–	–		
33	पांडिचेरी	25	–	–	5000	5000
	कुल	490120	354244	208062	474091	682153

यूएनडीपी की मानव संसाधन रिपोर्ट

2660. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यूएनडीपी) द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2006 की मानव संसाधन रिपोर्ट (एचडीआर) में भारत में क्षेत्रों तथा सामाजिक समूहों के बीच जल वितरण में असमानता को प्रमुखता से दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यूएनडीपी की वर्ष 2006 की एचडीआर के अनुसार कितने परिवार निर्दिष्ट जल की मात्रा से वंचित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जल के मामले में खपत के स्तर के साथ प्रति यूनिट प्रशुल्क बढ़ने की अवस्था में अलग उपभोक्ता प्रशुल्क आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) क्षेत्र और सामाजिक समूहों के बीच जल की विषमताओं के मुद्दे पर हाल ही में जारी की गई यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2006 (एचडीआर 2006) के पहले अध्याय में चर्चा की गई है। इस संबंध में भारत से उदाहरण उद्धृत किया गया है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि जातिगत नियम, जोकि जल की सुलभता को शासित करते हैं, कमजोर पड़ गए हैं। एचडीआर 2006 में आगे यह कहा गया है कि विकासशील विश्व में लगभग 1.1 बिलियन लोगों को स्वच्छ जल की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध नहीं है। उप-सहारा अफ्रीका में कवरेज की दरें न्यूनतम बताई गई हैं लेकिन जिन लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है वे अधिकांशतः एशिया में रहते हैं तथा स्वच्छता की वंचना और भी अधिक विश्व व्यापक है। भारत में वंचित परिवारों की विशिष्ट संख्या का रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जल सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का भिन्न-भिन्न प्रयोक्ता प्रभार लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई हेतु बीमा

2661. श्री विजय कृष्ण : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई हेतु बीमा कवर प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किस तारीख से विचाराधीन है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को पूरे देश में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो बीमा योजना को क्रियान्वित करने के लिए हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जंगली पशुओं द्वारा किए गए नुकसान हेतु बीमा कवर प्रदान करने के लिए मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षारत परियोजनाएं

2662. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री गुंडलुर निजामुद्दीन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षारत आंध्र प्रदेश की लम्बित परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों की लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति की गति को बढ़ाने हेतु पर्यावरणीय नियमों में ढील देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न विकास क्षेत्रों की 64 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की जानी है।

(ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, विकेन्द्रित और पारदर्शी बनाने के लिए 14 सितम्बर 2006 के राजपत्र सं. एस ओ 1533 (ई) के तहत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना जारी की गई है।

(ग) अधिसूचना की मुख्य विशेषताओं में शामिल है :–

(i) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित नहीं हैं।

(ii) विकासात्मक परियोजनाओं का वर्गीकरण पूर्व के निवेश मानदण्डों के स्थान पर उनकी पर्यावरण प्रभाव संभाव्यता के अनुसार किया गया है।

(iii) पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को विकेन्द्रित किया गया है।

(iv) विकासात्मक परियोजनाओं को दो श्रेणियों अर्थात् श्रेणी "क" और श्रेणी "ख" में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी "ए" की सभी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार स्तर पर पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित है जबकि श्रेणी "ख" की सभी परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ शासित स्तर पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से मंजूरी लेना अपेक्षित है।

(v) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के विशेषज्ञों और सदस्यों के लिए शैक्षिक अर्हता और अनुभव स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

(vi) पर्यावरणीय प्रक्रिया में चार स्तर शामिल होंगे नामतः परियोजना प्रस्तावों की जांच, स्कोपिंग, जन परामर्श और पर्यावरण मूल्यांकन।

(vii) जन परामर्श को स्वरूप प्रदान किया गया है और इसे और अधिक पारदर्शी बनाया गया है।

(viii) पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

(ix) पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को समग्र रूप से पारदर्शी बनाया गया है क्योंकि अधिकतर दस्तावेजों को संबंधित प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रसार भारती का भविष्य

2663. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रसार भारती के भविष्य का निर्णय करने हेतु प्रसार भारती का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रसार भारती के भविष्य का निर्णय करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्री–समूह ने तीन बैठकें पहले ही कर ली हैं। विवर्शित मुद्दों की मंत्रालयों द्वारा विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है जिसमें समय लगेगा।

(घ) यह प्रश्न इस तथ्य के मद्देनजर नहीं उठता है कि मंत्री–समूह प्रसार भारती से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना

2664. श्री लालमणि प्रसाद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली दुग्ध योजना के उन अधिकारियों जो लगभग 15 लाख रुपए की एल डी पी ई तथा एल एल डी पी ई प्रसंस्करण भ्रष्टाचार में लिप्त थे, को आरोप पत्र जारी करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आरोप पत्र के कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या वर्ष 2000 तथा 2002 के दौरान 10 लाख रुपए की नॉन–पिग्मेंटिड एफ सी एम पॉली फिल्म की खरीद के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस घोटाले में लिप्त पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) जी, हां, सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 1999 में जांच–पड़ताल के लिए एक शिकायत भेजी थी जो पॉली पैक फिल्म के विनिर्माण के लिए एल डी पी ई तथा एल एल डी पी ई को मिलाने के बारे में थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विभाग को जांच–पड़ताल अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) के एक अधिकारी के विरूद्ध भारी दंडात्मक कार्यवाही करने की सलाह दी थी। वर्ष 2002 में भी सीवीसी से इसी प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस अधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा।

अवर्गीकृत वन

2665. श्री मणि चारेनामै : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवर्गीकृत वनों की कोई श्रेणी है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर में विशेषकर मणिपुर में कुछ राज्यों सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में अवर्गीकृत वनों के लिए कार्य योजना का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है/उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (घ) जी, हां। देश में अवर्गीकृत वनों की एक श्रेणी है। मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों से अवर्गीकृत वनों के लिए प्राप्त कार्य योजनाओं/कार्य स्कीमों की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	कार्य योजनाओं/कार्य स्कीमों की संख्या	स्थिति
1	2	3	4
1.	असम	कार्य योजनाओं की संख्या 3	अनुमोदित
2.	मेघालय	कार्य योजनाओं की संख्या 3	अनुमोदित

1	2	3	4
3.	नागालैंड	कार्य योजनाओं की संख्या 3	अनुमोदित
4.	मिजोरम	कार्य योजनाओं की संख्या 33	अनुमोदित
5.	त्रिपुरा	कार्य योजनाओं की संख्या 2	अनुमोदित
6.	अरुणाचल प्रदेश	कार्य योजनाओं की संख्या 2	अनुमोदित
7.	मणिपुर	तेंगनोउपल वन प्रभाग (चंदेल जिला) और पूर्वी वन प्रभाग (उखरुल जिला) के संबंध में 2 कार्य योजनाएं	अनुमोदित
		5 कार्य योजनाओं में अवर्गीकृत वन शामिल हैं। ये वन प्रभाग हैं जिरीबम, कांगपोकाई, पश्चिमी वन प्रभाग, दक्षिण प्रभाग (चूराचांदपुर) और केन्द्रीय प्रभाग, थाउबल और विष्णुपुर के लिए एक संयुक्त कार्य योजना।	राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है।

पुली चिन्ताला परियोजना

2666. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में "पुली चिन्तावाला परियोजना" की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) पुली चिंताला सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के आरपार एक ऐसी अस्वीकृत विशाल सिंचाई परियोजना है जोकि गुंटूर, कृष्णा, प्रकाशम और पश्चिम गोदावरी जिलों में 575 हजार हैक्टेयर को लाभ पहुंचा रही है। यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में आकलन के लिए जुलाई, 1993 में प्राप्त हुई थी। इस परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय की टीएसी द्वारा 3 अप्रैल, 1996 को आयोजित अपनी बैठक में 506.20 करोड़ रुपए (1995-96 एसओआर) की लागत पर पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) तथा आदिवासी कार्य मंत्रालय से स्वीकृति तथा कंक्रीट और चिनाई बांध डिजाइन पक्षों पर बकाया टिप्पणियों के अनुपालन के अधीन मंजूरी दी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणात्मक पक्षों की बाबत जुलाई, 2005 में स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन वन स्वीकृति तथा अन्य टिप्पणियों का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। केन्द्रीय मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन एजेंसियों की टिप्पणियों का कितनी जल्दी उत्तर देती हैं।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 607.25 करोड़ रुपए है। 10वीं योजना के अंत तक का संभावित व्यय 391.80 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार द्वारा यह परियोजना 2008-09 तक पूरी किए जाने का प्रस्ताव है।

कर्मचारी पेंशन निधि में धनराशि

2667. डा. के.एस. मनोज : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि में कितनी धनराशि पड़ी हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कर्मचारी पेंशन निधि, 1995 के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी अधिशेष धनराशि चिह्नित की गई; और

(ग) पेंशन योजना के अंतिम बार किये गये मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि के अंतर्गत निवेशित पड़ी संचित राशि 74,491.26 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य पर ली गयी प्रतिभूतियों के साथ) है।

(ख) और (ग) बाहर होने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को अदा की गयी धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(लाख रुपये में)

वर्ष	बाहर होने वाले सदस्यों/ लाभार्थियों को अदा की गयी धनराशि
2003-04	235,494.29
2004-05	262,704.07
2005-06	298,050.64

अंतिम वार्षिक मूल्यांकन (8वें) से 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार, 22,021 करोड़ रुपये बीमांकिक घाटे का पता चला है। तदनुसार, बीमांकक ने उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है।

गन्ने की कीमतों में गिरावट

2668. श्री भर्तृहरि महताब : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में कुछ राज्यों में औने-पौने दामों में गन्ने की बिक्री की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो गन्ने की कीमतों में गिरावट तथा इसे औने-पौने दामों में बेचे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में गन्ना उत्पादकों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बाघों के अवैध शिकार को रोकने हेतु धनराशि

2669. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन्य जीवों के अवैध शिकार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु विभिन्न राज्यों को धनराशि देने का है/ धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि स्वीकृत करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) राज्यों को बाघ सहित वन्य प्राणियों के अवैध शिकार को नियंत्रित करने हेतु वित्त पोषण सहायता इस मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में इस प्रयोजन हेतु मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है। पिछले 2 वर्षों में राज्यों को दी गई वित्त पोषण सहायता (अवैध शिकार को नियंत्रित करने हेतु आवंटित निधियों सहित) का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राज्यों को वित्त पोषण सहायता विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से संबंधित मानक दिशा निर्देशों के अनुसार प्राप्त हुए प्रस्तावों तथा ऐसी स्कीमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/ संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	69.40	63.55
2.	आंध्र प्रदेश	71.70	104.245
3.	अरुणाचल प्रदेश	111.086	144.845
4.	असम	213.45	193.205
5.	बिहार	–	–
6.	चंडीगढ़	–	–
7.	छत्तीसगढ़	227.29	359.817
8.	दादर और नागर हवेली	20.00	20.00
9.	गोवा	37.50	14.40
10	गुजरात	223.93	275.93
11.	हरियाणा	45.10	24.20
12.	हिमाचल प्रदेश	343.52	283.83806
13.	जम्मू और कश्मीर	63.20	113.50

1	2	3	4
14.	झारखण्ड	77.50	124.90
15.	कर्नाटक	546.24	474.9931
16.	केरल	238.78879	284.5412
17.	मध्य प्रदेश	268.455	613.553
18.	महाराष्ट्र	108.05	241.68
19.	मणिपुर	110.588	101.03
20.	मेघालय	84.82	59.30
21.	मिजोरम	315.0412	221.28
22.	नागालैण्ड	32.32	1.50
23.	उड़ीसा	370.27	325.649
24.	पंजाब	–	–
25.	राजस्थान	246.62	192.62
26.	सिक्किम	74.40	118.84
27.	तमिलनाडु	158.75	197.20
28.	त्रिपुरा	49.125	–
29.	उत्तर प्रदेश	287.53	345.63
30.	उत्तरांचल	69.20	85.65
31.	पश्चिम बंगाल	317.24	313.9437
32.	दिल्ली	–	19.50
	कुल	4780.22449	5319.34

बाघ परियोजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ शासित प्रदेश	2004–05	2005–06
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	15.00	68.7926
2	अरुणाचल प्रदेश	35.00	172.418
3	असम	–	86.4896
4	बिहार	85.00	6.4918
5	छत्तीसगढ़	27.75	24.3343
6	झारखण्ड	72.5005	453.2246
7	कर्नाटक	486.292	116.1708
8	केरल	105.75	164.1784
9	मध्य प्रदेश	609.93	777.2676
10	महाराष्ट्र	255.953	334.19
11	मिजोरम	94.34	65.156
12	उड़ीसा	116.4395	107.0024
13	राजस्थान	79.00	281.2458
14	तमिलनाडु	80.00	136.9528
15	त्रिपुरा	–	0.50
16	उत्तर प्रदेश	175.215	159.9212
17	उत्तरांचल	200.12	162.8782
18	पश्चिम बंगाल	325.49	228.29358
	कुल	2763.78	3345.50768*

* अखिल भारतीय, बाघ, सह–परभक्षी और शिकार स्थल और वास स्थलों की निगरानी के निर्धारण हेतु राज्यों को जारी की गई धनराशि शामिल है।

हाथी परियोजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ शासित प्रदेश	2004–05	2005-06
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	48.00	60.00
2	अरुणाचल प्रदेश	59.00	71.50
3	असम	130.00	40.00
4	झारखण्ड	105.96	75.00
5	कर्नाटक	186.22	168.00

1	2	3	4
6	केरल	167.40	170.00
7	मेघालय	70.00	30.00
8	मिजोरम	–	–
9	नागालैण्ड	29.00	48.00
10	उड़ीसा	137.96	114.00
11	तमिलनाडु	84.00	112.00
12	त्रिपुरा	17.00	–
13	उत्तरांचल	138.90	82.00
14	पश्चिम बंगाल	148.54	181.00
	कुल	1333.98	1151.50

रिज क्षेत्रों का अतिक्रमण

2670. श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री 28 नवम्बर, 2005 तथा 22 जून, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 657 तथा 4512 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण रिज क्षेत्र से हटाए गए अतिक्रमणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दक्षिण रिज क्षेत्र, नई दिल्ली से अभी भी हटाए जाने की आवश्यकता वाले अतिक्रमणों का ब्यौरा क्या है तथा यह कब तक हटा दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय जल कन्वेंशन

2671. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003 में आयोजित 10वें राष्ट्रीय जल कन्वेंशन में की गई सिफारिशें आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्यों को अग्रेषित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की सिफारिशों को कितने राज्यों ने पूर्णतः लागू किया है तथा अभी कितने राज्यों द्वारा लागू किया जाना शेष है;

(ग) क्या सरकार ने देश में जल की अत्यधिक कमी के मद्देनजर उक्त सिफारिशों को लागू करने हेतु राज्य सरकारों को पुनः निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में संरक्षण, समान वितरण तथा आधुनिक तकनीक के प्रयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितना अनुदान दिया गया है;

(च) क्या सरकार ने देश में संरक्षण तथा समान वितरण हेतु ग्यारहवीं योजना के लिए कोई विशेष योजना तैयार कर ली है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) 10वां राष्ट्रीय जल कन्वेंशन वर्ष 2003 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इस कन्वेंशन के दौरान की गई सिफारिशें जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्यों के बीच परिचालित कर दी गई थी।

(ख) राज्यों ने इस संबंध में जल संसाधन मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उस मंत्रालय ने वाटरशेड विकास कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों में 5.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिए 416.23 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।

(च) ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न क्षेत्रों में ई.पी.एफ. निधियां

2672. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :
श्री एस.के. खारवेन्थन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् अपनी धनराशि से किए गए निवेश पर कितना ब्याज अर्जित किया;

(ख) क्या सरकार का विचार निधियों के एक भाग को अंशदाताओं को पेंशन प्रदान करने के लिए और तकनीकी संस्थानों, अस्पतालों, श्रमोन्मुखी व्यावसायिक क्रियाकलापों आदि जैसे कतिपय सामाजिक कल्याण कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संचित राशि (कार्पस) के निवेश पर अर्जित ब्याज का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	अर्जित ब्याज
2003–04	6026.20
2004–05	6329.85
2005–06	6695.99

(ख) और (ग) नियोक्ता द्वारा देय अंशदान में से, अंशदान का एक भाग, जो मूल मजदूरी और महंगाई भत्ते का 8.33 प्रतिशत बैठता है, कर्मचारी पेंशन निधि में प्रेषित किया जाता है तथा उसका उपयोग केवल कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस धनराशि का किसी अन्य क्रियाकलाप हेतु उपयोग किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि उत्पाद के लिए तंत्र

2673. श्री नवीन जिन्दल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पाद के मूल्य में उतार–चढ़ाव के कारण किसानों को होने वाली हानियों का आकलन करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यमान तंत्र चूक रहित साबित हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस तंत्र में सुधार करने के लिए परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) फार्म आय बीमा स्कीम (एफ.आई.आई.एस.) को रबी 2003–04 के दौरान गेहूं तथा धान के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया तथा इसे खरीफ 2004 के मौसम के दौरान भी जारी रखा गया। किसानों को उत्पादन के साथ साथ तथा विपणन जोखिम का एकीकृत बीमा करके आय संरक्षण प्रदान करने पर विचार किया गया। स्कीम के मूल्यांकन तथा इसकी समीक्षा के आधार पर इसे अब रोक दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) का कार्यान्वयन कृषि में जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में किया जा रहा है तथा इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट तथा रोगों के परिणामस्वरूप फसल को हुई हानि के कारण वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। रबी 1999–2000 से खरीफ 2005 तक 7.51 करोड़ किसानों को कवर किया गया है।

गोल्फ कोर्स के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

2674. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई में मलाड क्रीक में एक गोल्फ कोर्स तथा तीन सौ बंगलों के निर्माण के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की स्थिति क्या है जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों एकड़ कच्छ वन नष्ट हो गया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई/की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल ही में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 और 2006 के अंतर्गत यथा प्रयोज्य तटीय विनियम जोन अधिसूचना के अधीन वैधानिक मंजूरी सहित कुछ शर्तों के तहत गांव मलाड, जनरल ए के वैध मार्ग, गोरेगांव (पूर्व) में सी टी एस, संख्या 620–ए/1–ए/4–ए/2/1 से 11 तक में आवासीय परिसर "सैटेलाइट गार्डन" के निर्माण और गांव मलाड (पूर्व), रानीसती मार्ग, मलाड (पूर्व), मुम्बई में सी टी एस संख्या 480 और 480/1 में आवासीय एवं बाजार परिसर के निर्माण को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है।

इसके अलावा मंत्रालय ने 04 जुलाई, 1996 को मुम्बई में मलाड क्रीक के साथ–साथ मैसर्स ऊषा मधु हाउसिंग डैवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सी टी एस संख्या 1 सर्वे संख्या 161, गांव पहाड़ी, गोरेगांव, मुम्बई में एक गोल्फ कोर्स विकसित करने के लिए तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की थी। तत्पश्चात मंत्रालय को गैर सरकारी संगठनों से उक्त गोल्फ कोर्स के डैवलपर्स द्वारा कच्छ वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए।

(ख) गैर सरकारी संगठनों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के उपरांत मंत्रालय द्वारा गोल्फ कोर्स स्थल का स्थल निरीक्षण किया गया था और 27 सितम्बर, 2002 को मंजूरी स्थगित कर दी गई है। डैवलपर्स ने इस स्थगन आदेश के विरुद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 1470, 2003 डाली है। मामला अभी न्यायाधीन है।

मुरारी समिति

2675. श्री एस.के. खारवेन्थन :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछुआरों को डीजल की अपर्याप्त आपूर्ति और इसकी बढ़ती हुई लागत की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या मुरारी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) डीजल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मछुआरे किसी समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं। समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मात्स्यिकी जलयानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के एक हिस्से की पूर्ति के लिए एचएसडी आयल पर मछुआरा विकास राहत घटक क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत, नौंवी योजना के दौरान, सरकार 0.35 रुपए प्रति लीटर एचएसडी पर दी गई राजसहायता के बदले में यांत्रिकृत नौकाओं द्वारा उपयोग किए गए प्रति लीटर एचएसडी आयल पर 1.50 रुपए की दर से छूट दे रही है।

(ग) और (घ) मुरारी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1996 में प्रस्तुत कर दी है। उनकी सिफारिशों का ब्यौरा तथा क्रियान्वयन की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गहरे समुद्र में मत्स्यन नीति, 1991 पर समीक्षा समिति पर सिफारिशें तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट

क्र.सं.	सिफारिशें	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
1	2	3
1.	विधिक प्रक्रिया, यदि अपेक्षित हो, की शर्तों पर संयुक्त उद्यम चार्टर/पट्टे/जांच मत्स्यन द्वारा मत्स्यन के लिए जारी सभी परमिटों को तत्काल रद्द किया जाए।	गहरे समुद्र में मत्स्यन नीतियों की समीक्षा करने के लिए मुरारी समिति का गठन फरवरी, 1995 में किया गया था क्योंकि परंपरागत मछुआरों द्वारा नीतियों के विरुद्ध अनेक आपत्तियां उठाई गई थीं। समिति ने 21 सिफारिशें की जिसमें से सिफारिश सं.1 तथा 7 को छोड़कर सभी सिफारिशों को मामूली संशोधन के साथ सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। सिफारिश सं. 1 के संबंध में, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति का निर्णय यह था कि उक्त अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए कोई नियम अथवा आदेश के प्रावधानों संबंधी कोई उल्लंघन के लिए मेरी टाइम जोन अधिनियम, 1981 के प्रावधान की रोशनी में मौजूदा वैध परमिटों/अनुज्ञेय पत्रों की पृथक रूप से जांच की जाए तथा अथवा विधि मंत्रालय के परामर्श से पृथक-पृथक मामलों में प्रदत्त मंजूरी में निर्धारित शर्तों तथा ऐसी मंजूरी को रद्द करने संबंधी कार्रवाई को तय किया जाए। तदनुसार, इस निर्णय को क्रियान्वित किया गया था।
2.	संयुक्त उद्यम चार्टर/पट्टे/परीक्षण मत्स्यन जलयानों संबंधी मत्स्यन के लिए भविष्य में कोई नवीकरण, विस्तार अथवा नए लाइसेंस/परमिट जारी न किए जाए।	सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन नीति, 1991 को निरस्त कर दिया गया है। नवम्बर, 1996 से संयुक्त उद्यम, पट्टे, परीक्षण मत्स्यन और चार्टर के तहत नए परमिटों/परमिटों का विस्तार/अनुदेय पत्रों का नवीकरण जारी नहीं किया गया है।

1	2	3
3.	मत्स्यन के लिए सभी लाइसेंसों/परमिटों को सार्वजनिक कागजातों के रूप में तैयार किया जाए तथा तत्पश्चात इसकी प्रति को पंजीकृत प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाए।	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मुम्बई को संयुक्त उद्यम पट्टे और चार्टरिंग/जांच मत्स्यन आदि के तहत सभी वैद्य परमिटों/अनुज्ञेय पत्रों के कस्टोडियन के रूप में पदमानित किया गया है।
4.	इस क्षेत्र का पहले ही दोहन किया जा चुका है अथवा मछुआरें द्वारा संचालित परंपरागत जलयान के माध्यम से मध्य स्तर में इसका दोहन किया जा सकता है अथवा 20 मीटर से कम लम्बाई वाले किसी भी जलयानों द्वारा दोहन के लिए 20 मीटर से कम आकार वाले यांत्रिकृत जलयानों को अनुमति न दी जाए। सिवाय इसके कि मौजूदा संचालित भारतीय जलयानों जिन्हें सिफारिशों 1 तथा 7 की शर्तों पर मात्र तीन वर्षों के लिए मौजूदा क्षेत्र में संचालित किया जा सके।	संबंधित समुद्री मत्स्यन विनियम अधिनियमों के माध्यम से राज्य सरकारों ने इस सिफारिश को क्रियान्वित किया है।
5, 6 तथा 7.	चूंकि 20 मीटर से कम आकार वाले भारतीय यांत्रिकृत नौकाओं के पास लगभग 70–90 मीटर तक गहराई में मछली पकड़ने की क्षमता है। अतः, पश्चिमी तट पर, 150 मीटर गहरी लाइन द्वारा प्रतिनिधित्व समुद्री तट से दूरी को पैरा 4 पर वर्णित जलयानों को छोड़कर 20 मीटर से भी अधिक लम्बाई वाले सभी जलयानों के लिए प्रतिबंधित किया जाए। जबकि 100 नौटिकल मीलों तक 150 मीटर की दूरी को 20 मीटर से भी कम लम्बाई वाले भारतीय जलयानों के लिए सुरक्षित रखा जाए। पूर्वी तट पर कन्याकुमारी से प्रारंभ करके 20 मीटर से भी कम आकार वाले भारतीय जलयानों के पास समुद्र के किनारे से 100 मीटर गहराई अथवा 50 नौटिकल मीलों तक अनन्य पहुंच है। इसमें से जो भी पैरा 4 में दी गई छूट को छोड़कर दूरी पर स्थित है। समुद्री तट से दूरी को दर्शाते हुए समन्वय के माध्यम से गहराई क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाएगा। दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय/तटरक्षक/भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा। अण्डमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप के समूहों के बारे में, समुद्री तट से 50 नौटिकल मीलों की दूरी को पैरा 4 में वर्णित प्रावधानों के साथ 20 मीटर से कम लम्बाई वाले भारतीय जलयानों के लिए अनन्य रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा, यदि आवश्यकता पड़ी तो विशेषकर भारतीय जलयानों के लिए सुरक्षित	इन सिफारिशों में उठाए गए मुद्दे मत्स्यन जलयानों के विभिन्न वर्गीकरणों से संबंधित मत्स्यन संचालनों को गैर–सीमित करने के संबंध में है। इस मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1999 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था ताकि एक गहन समुद्री मत्स्यन नीति का मसौदा तैयार करने के लिए इन सिफारिशों की जांच की जा सके और इस रिपोर्ट के आधार पर नवम्बर, 2004 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की मंजूरी के बाद इस संबंध में एक नीति की घोषणा की गई है।

1	2	3
	महाद्वीपों के बीच जलक्षेत्र को बरकरार रखने संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त सीमा को परिभाषित किया जाएगा। यद्यपि, जलक्षेत्र का कुछ भाग 50 नौटिकल मीलों तक की सीमा से बाहर पड़ता है।	
	20 मीटर लम्बाई से ऊपर के जलयानों के लिए खुले क्षेत्र में टूना तथा टूना जैसी मछलियां, स्किवड तथा कटल फिश, मध्य–जल अथवा वेलापवर्ती क्षेत्र में गहरे समुद्र की फिन मछलियां तथा महासागरीय टूना का टूना लांग लाइनिंग, टूना पर्स सीनिंग, स्किवड जिगिंग तथा मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा दोहन के लिए संसाधन विशिष्ट जलयानों को इस शर्त पर अनुमति दी जाए कि ये वस्तुतः भारतीय पंजीकृत जलयान हैं। भारतीय स्वामियों की कम से कम 51 प्रतिशत ऋण के साथ–साथ इक्विटी होनी चाहिए।	
8.	विभिन्न मत्स्यन ग्राउंड के लिए बेड़े के आकार को अधिकतम सतत उत्पादन तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए।	सितम्बर, 1996 में कृषि मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया था ताकि 20 मीटर लम्बाई से कम वाले विभिन्न श्रेणियों के मत्स्यन जलयानों की क्षेत्रवार आवश्यकताओं का जायजा लिया जा सके तथा मात्स्यिकी संसाधनों आदि का संरक्षण किया जा सके। समिति ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। सिफारिशों के अनुसार दसवीं योजना के दौरान मध्यम आकार (18 मीटर) के मत्स्यन यानों के लिए नई योजना की औपचारिकताएं शुरू की जाएंगी।
9.	हमारे जल क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण, मछुआरों की सुरक्षा तथा समुद्र, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में विवाद को कम करने के उद्देश्य से संसद का मत्स्यन समुदाय से विचार–विमर्श करके विनियम बनाना चाहिए।	भारत सरकार ने भारतीय ई ई जैड में मत्स्यन क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के उद्देश्य से नवम्बर, 2002 में कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश परंपरागत तथा छोटी मत्स्यन नौकाओं के संचालन तंत्र के आगे केवल गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को निर्धारित करते है। इन दिशानिर्देशों को सितम्बर, 2004 में संशोधित किया गया।
10.	पारंपरिक, छोटे मशीनीकृत, बड़े गहरे समुद्र में जाने वाले जलयानों में विवाद को रोकने के लिए तट रक्षक द्वारा कड़ी निगरानी की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी जलयानों द्वारा अनधिकृत मछली पकड़ने को रोकने तथा स्वदेशी जलयानों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र की निगरानी को रोकने के लिए तट रक्षक को अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली, निगरानी तथा हथियार एवं उचित कार्यप्रणाली के साथ सुदृढ़ीकरण, विस्तार, तकनीकी रूप से उन्नयन किया जाए। यदि तट रक्षकों	भारतीय ई ई जैड में मत्स्यन जलयानों के संचालन की निगरानी करने के लिए संचार उपकरणों की अधिप्राप्ति के उद्देश्य से तटरक्षकों को सहायता दी जा रही है। इस प्रयोजन के लिए तटरक्षकों को लगभग 5.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा, समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करने के लिए मंत्रालय एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है जिससे गश्ती नौकाओं आदि की खरीद के माध्यम से उनके समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

1	2	3
	द्वारा यह कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो राज्य या केन्द्रीय किसी अन्य एजेंसी की पहचान की जाएगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रतिबंधित जलयानों द्वारा इस प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया जाए।	
11. एवं 12.	यांत्रीकृत नावों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय बेड़ों के लिए परंपरागत मछुआरों द्वारा प्रयोग किए गए प्रौद्योगिकीय दक्षता और उपकरण के संवर्धन के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने के साथ-साथ धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि प्रत्येक कानून और प्रणाली द्वारा आरक्षित क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक मछली पकड़ सकें। नौचालन और मछली पकड़ने के उपकरण दोनों के लिए ही इस उद्देश्य से ड्यूटी रियायतें और रियायती धनराशि उपलब्ध कराई जाए कि परंपरागत क्षेत्र को प्राथमिकता देने के साथ सभी तीन श्रेणियों का अत्युन्नत स्तर से प्रतिस्पर्धात्मक उन्नयन हो सके। परंपरागत और छोटे यांत्रीकृत क्षेत्रों को ईंधन की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति तथा हाई स्पीड डीजल और केरोसीन प्रदान करके गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुए राजसहायता प्रदान करके सहायता दी जाए।	कृषि मंत्रालय ईंजन की लागत तथा 20 मीटर लम्बाई से कम वाले यांत्रिकृत नौकाओं के एचएसडी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए राजसहायता प्रदान करके परंपरागत जलयानों के मोटरीकरण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा था।
13.	सभी प्रकार की समुद्री मात्स्यिकी एक ही मंत्रालय के अधीन होनी चाहिए। सरकार को इस तरह का भारतीय मात्स्यिकी प्राधिकरण को स्थापित करने पर विचार करना चाहिए जो इस तरह काम करें जैसा दूसरे देशों में गठित इस प्रकार के प्राधिकरण करते हैं और नीतियों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार हो सकें।	गहरे समुद्र में मछली सहित समुद्री मात्स्यिकी के मामले को कृषि मंत्रालय के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग को अंतरित कर दिया गया है।
14.	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का भी आधुनिक तकनालौजी और उपकरण के प्रयोग से तकनीकी रूप से संवर्धन करना चाहिए ताकि यह सभी प्रकार की मछली की स्थिति, विभिन्न प्रौद्योगिकियों और पारिस्थितिकीजन्य परिवर्तनों के अध्ययन प्रभाव का पता लगा सके और व्यवस्था कर सके। इस उद्देश्य के लिए भारतीय दूर संवेदन एजेंसियों और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के बीच परस्पर समन्वय और सहयोग होना चाहिए।	मात्स्यिकी सर्वेक्षण के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को सुपुर्द करने के लिए दो मोनाम-फिलामेंट लांग लाइनरों का निर्माण चीन में किया गया है।
15.	बाई-कैच फेंकने के कारण मात्स्यिकी संसाधनों की होने वाली बरबादी को रोकने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के सृजन को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे मछुआरों तथा उनकी सहकारिताओं के	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, मत्स्यन प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास के अलावा मछली के शीत श्रृंखला तथा प्रसंस्करण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

1	2	3
	उत्पादों के मूल्य परिवर्धन के लिए मत्स्य योजना एवं आहार निर्माण इकाईयों, मत्स्य प्रसंस्करण सुविधाओं, बर्फ की फैक्ट्रियों, शीत गृहों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जा सकता है।	
16.	पूर्व एवं पश्चिम तटों के साथ–साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप के द्वीपसमूहों में मौजूदा तथा आधुनिक उन्नत यानों के लिए मत्स्यन बंदरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सृजित किया जाना चाहिए।	कृषि मंत्रालय मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक छः बड़े मत्स्यन बंदरगाहों, 54 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 188 मछली उतारने वाले केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 6 बड़े मत्स्यन बंदरगाहों, 38 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 142 मछली उतारने वाले केन्द्रों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस योजना के तहत मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के विकास के लिए कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002–07) में जारी रखा गया है।
17.	विपणन तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए बड़े यानों के उन्नयन तथा अधिग्रहण के लिए मछुआरों/मछुआरिनी तथा उनकी सहकारिताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	राज्य सरकारें एन सी डी सी, फिशकॉपफेड आदि की सहायता से विभिन्न योजनाएं चला रही हैं।
18.	सरकार को मछली के रखरखाव तथा प्रसंस्करण पहलुओं के अतिरिक्त नए उपकरणों, बड़े यानों को चलाने तथा नयी मत्स्यन तकनीकी में मछुआरों/मछुआरिनों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए।	कृषि मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि मछुआरों की दक्षता को और अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने प्रसंस्करण आदि में मछुआरा समुदाय को प्रशिक्षित करने तथा परंपरागत मत्स्यन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करने और विपणन के लिए भी एक योजना तैयार की है।
19.	उद्योगों द्वारा निकलने वाले गंदगी/बहिःस्रावों/गंदे पानी के खतरे से निपटने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को समुद्री जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को रोकने का काम सौंपा गया है।
20. एवं 21.	सरकार को छः महीने के भीतर समिति की सिफारिशें पर निर्णय लेना चाहिए। गहरे समुद्र में मत्स्य नीति की प्रत्येक 3-4 वर्ष पर समयबद्ध रूप से पुनरीक्षा होनी चाहिए।	सरकार द्वारा स्वीकार की गई मुरारी समिति की सिफारिशों को लागू और क्रियान्वित किया जा रहा है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति के संबंध में मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है जिसे समुद्री मात्स्यिकी के लिए वृहत नीति तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। आर्थिक मामलों की केन्द्रीय समिति की मंजूरी से नवम्बर, 2004 में वृहत समुद्री मात्स्यिकी नीति की घोषणा की गई थी।

[हिन्दी]

ई.पी.एफ. इंडिया योजना का पुनर्गठन

2676. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई.पी.एफ. इंडिया योजना के पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना किस तारीख को आरंभ की गई थी और इस पर अभी तक किए गए व्यय का शीर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक अभिकरण/संस्था के साथ हस्ताक्षर किए गए संविदाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की क्या स्थिति है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू की गई आधुनिक परियोजना "रि–इन्वेंटिंग ईपीएफ, इंडिया" में निम्नांकित उद्देश्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है :

(i) दावा फार्म प्राप्त होने तथा चैक जारी करने में लगभग 2–3 दिनों का समय निर्धारित किया जाना।

(ii) सदस्य के दावे निपटान संबंधी सेवाओं अथवा लेखा से संबंधी जानकारी के लिए सदस्यों की पहुंच "कभी भी कहीं भी"

(iii) अनुपालन हेतु अनिवार्य माहौल सृजित करना तथा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना।

(iv) सदस्यता बढ़ाने हेतु सुविधा प्रदान करने वाला वातावरण तथा क्षमता सृजित करना।

(v) राष्ट्रीय विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या जारी करना।

(ख) परियोजना जून 2001 में आरंभ की गई।

"कम्प्यूटराइजेशन" बजट शीर्ष के अंतर्गत "रि–इन्वेंटिंग, ईपीएफ, इंडिया" के संबंध में लगभग 40.84 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ग) परियोजना से संबंधित हस्ताक्षर किए गए मुख्य करार निम्न हैं :–

(i) मैसर्स सिमेन्स इन्फोरमेशन सिस्टम लिमिटेड–परियोजना तथा सॉफ्टवेयर विकास में परामर्शदाता के रूप में कार्य।

(ii) मैसर्स सी एस सॉफ्टवेयर इन्टरप्राइजेज लिमिटेड – सामाजिक सुरक्षा संख्या से संबंधित आंकड़ों का एकत्रीकरण।

(iii) मैसर्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टैक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड – तकनीकी प्राप्त करने, सुविधा प्रबंधन तथा सामाजिक सुरक्षा संख्या कार्ड मुद्रण हेतु आऊट सोर्सिंग।

उपर्युक्त के अलावा सॉफ्टवेयर वेन्डरों के साथ आपूर्ति, स्थापना तथा रख–रखाव संबंधी करार किये गए हैं।

(घ) यह परियोजना, परीक्षण के तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के छः मुख्य केन्द्रों नामतः हैदराबाद, इन्दौर, पटना, मंगलौर, कोटा तथा करनाल में 7 दिसम्बर, 2006 को आरंभ की गई है।

[अनुवाद]

औषधियों के मूल्यों की निगरानी

2677. श्री अधीर चौधरी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औषधियों के मूल्यों की निगरानी के लिए मूल्य उच्चतम सीमा के मानदण्डों में परिवर्तन के लिए क्या नीतिगत निर्णय लिए गए हैं;

(ख) नियंत्रित एवं विनियंत्रित श्रेणी में प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की कुल बिक्री वाली औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर्गेनाइजेशर्नल रिसर्च ग्रुप (ओ.आर.जी.) जेनरिक औषधियों की बिक्री की निगरानी नहीं करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) औषधियों के एक्स फैक्टरी क्लियरेंस मूल्य, थोक मूल्य तथा अधिकतम खुदरा मूल्य की निगरानी के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), अपने मूल्य निगरानी के कार्यकलाप के अंग के रूप में, सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार चढ़ाव की नियमित रूप से जांच करता है। फार्मूलेशनों के मूल्यों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं, प्रणालियों और दिशा–निर्देशों का अनुसरण ओआरजी–आईएमएस रिसर्च प्राइवेट लि. की मासिक खुदरा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण औषध बाजार की निगरानी के लिए समान रूप से किया जाता है।

जहां कहीं अनुचित मूल्य वृद्धि पाई जाती है, वहां ऐसे फार्मूलेशनों के विनिर्माताओं को ऐसी मूल्य वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करने के लिए पत्र भेजे जाते हैं। उन कंपनियों की संक्षिप्त सूची बनाई जाती है जहां एक वर्ष में गैर–अनुसूचीबद्ध दवाओं के मूल्य में 20% से अधिक की वृद्धि की है और दवा का वार्षिक कारोबार (मैट) 1 करोड़ रु. से अधिक है। इसके अतिरिक्त, फार्मूलेशन के उस खंड में दवा (पैक) का अंश समूह का कम से कम 20% होना चाहिए या फार्मूलेशन/दवा उस समूह की 3 शीर्ष दवाओं में हो।

ओआरजी–आईएमएस रिसर्च प्राइवेट लि. की मासिक खुदरा स्टोर ऑडिट रिपोर्टों में लगभग 48,900 फार्मूलेशन पैक का समाविष्ट है जिसमें देश में प्रमुख कंपनियों द्वारा विनिर्मित जेनरिक और ब्रांडशुदा दवाएं शामिल हैं। लघु विनिर्माताओं, खासकर असंगठित क्षेत्र द्वारा

विपणन किए जा रहे जेनरिक उत्पादों तथा अस्पतालों, संस्थानों और डॉक्टरों के माध्यम से बिक्री को ओआरजी–आईएमएस रिसर्च प्राइवेट लि. की मासिक खुदरा स्टोर ऑडिट रिपोर्ट में समाविष्ट नहीं किया जाता।

ओआरजी–आईएमएस के सितम्बर, 2006 के आंकड़े के अनुसार लगभग 43,324 पैकों के प्रतिवर्ष मैट मूल्य 1 करोड़ रु. से कम हैं तथा इन 43,324 पैकों का मैट मूल्य लगभग 5300 करोड़ रु. है।

ओ.टी.टी.ओ. लिमिटेड पर बकाया राशि

2678. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बी.आर.एल.) ने मैसर्स ओ.टी.टी.ओ. इण्डिया लिमिटेड को रिफ्रैक्टरी की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी रिफ्रैक्टरी की आपूर्ति के एवज में लंबे समय से बड़ी राशि अभी तक बकाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बी.आर.एल. द्वारा इस बकाया राशि की वसूली नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ओ.टी.टी.ओ. इंडिया लिमिटेड से ऐसी बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान मैसर्स ओटो इंडिया लिमिटेड को की गई 170.05 लाख रुपए की आपूर्ति के संबंध में भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल) को केवल 47.45 लाख रुपए ही प्राप्त हुए हैं। अतः 122.60 लाख रुपए की धनराशि अभी भी मैसर्स ओटो इंडिया लिमिटेड पर बकाया है।

(घ) बीआरएल ने इस मामले को मैसर्स ओटो इंडिया लिमिटेड के साथ बार–बार उठाया था। तथापि, कंपनी ने अपना पता और स्वामित्व बदल लिया है।

(ङ) मैसर्स ओटो इंडिया लिमिटेड से बकाया धनराशि की वसूली के लिए कंपनी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय की शरण में गई थी। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने एक मध्यस्थ नियुक्त किया था। माननीय मध्यस्थ ने अपने दिनांक 27.7.2006 के निर्णय के माध्यम से मैसर्स ओटो इंडिया लिमिटेड को दिनांक 1.4.2001 से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित बकाया देयता का भुगतान करने का निदेश देते हुए कंपनी के पक्ष में एक आदेश जारी किया है। इस मामले में बीआरएल द्वारा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दर्ज मामले

2679. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु और जल प्रदूषण के संबंध में दर्ज किए गए आधे से अधिक मामलों में निर्णय बोर्ड के खिलाफ हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन/समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय भाषाओं में पुस्तकें

2680. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री हरिसिंह चावडा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रकाशन विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू आदि सहित भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और इन पुस्तकों के अलग–अलग नाम क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर भाषा–वार कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) भारतीय भाषाओं में और अधिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशित पुस्तकों की संख्या और इन पुस्तकों के पृथक शीर्षकों का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान भाषा–वार व्यय की गयी राशि विवरण–II में दी गयी है।

(घ) सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में और अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए किए जा रहे प्रयास निम्नानुसार हैं :–

– 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रकाशन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण।

– भारतीय भाषाओं में अधिक संख्या में मूल पांडुलिपियां जुटाना।

– भारतीय भाषाओं में प्रकाशित शीर्षकों एवं प्रतियों की संख्या में वृद्धि करना।

विवरण-I

शीर्षकों का ब्यौरा

प्रकाशन का वर्ष :– 2003–2004

क्र.सं.	शीर्षक
1	2
अंग्रेजी (नए शीर्षक)	
1.	ए हैंडबुक ऑफ जॉब्स एंड करियर्स
2.	ऑन दी टनल ट्रैक
3.	असम – दी लैंड ऑफ चार्म एंड ग्लोरी
4.	बीयोंड डाटा : साईंस एंड टेकनॉलाजी कम्यूनिकेशन
5.	अवर माउनटेंस
6.	स्टेट्स ऑफ अवर यूनियन – गुजरात
7.	प्रेसिडेंट के आर नारायणन : सिलेक्टड स्पीचेस (खंड I)
8.	प्रेसिडेंट के आर नारायणन : सिलेक्टड स्पीचेस (खंड II)
9.	इंडिया – 2004
10.	कल्पना चावला
11.	टाइमली गिफ्ट एंड अदर स्टोरीज
12.	अर्थक्वेक्स
13.	मास मीडिया इन इंडिया – 2003
14.	टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड – डिफाइनिंग मूवमेन्ट्स
15.	टुवर्ड्स डेवेलप्ड इकॉनमी – डिफाइनिंग मूवमेन्ट्स
16.	फोक टेल्स् फ्रॉम नेपाल
17.	गजटियर ऑफ इंडिया (खंड II)
18.	ए हैंडबुक ऑफ जॉब्स एवं करियर्स
19.	मॉस्क्स ऑफ इंडिया
20.	अवर ब्रेवेस्ट वैरियर्स
21.	सच्चिदानंद सिन्हा (बी एम आई)
22.	गांधी : हिज लाइफ एंड थॉट
23.	फोट्र्स ऑफ इंडिया
24.	इंडियन कॉस्ट्यूम्स
25.	स्टोरीज ऑफ विक्रमादित्य
हिंदी (नए शीर्षक)	
1.	भारत के प्राचीन शस्त्रास्त्र
2.	सरस कहानियां
3.	उस्ताद अलाउद्दीन खान
4.	झांकी हिन्दुस्तान की
5.	छोटी आंखों का बड़ा सपना
6.	अनोखी शादी
7.	डा. राम मनोहर लोहिया (बी एम आई)
8.	उत्तरांचल राज्य
9.	छीत स्वामी
10.	अक्षरकथा (संशोधित)
11.	भारत–2004
12.	जनकथाकार शैलेश मटियानी
13.	नुपुर नक्षत्र
14.	निकोलई रोरिक
15.	क्लोनिंग
16.	डा. राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यानमाला (1996–98)
17.	डा. राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यानमाला (2000–02)
18.	सी. डब्ल्यू. एम. जी. (संशोधित 36–100) से 82.

1	2
83.	आदिवासी गढ़ छत्तीसगढ़
84.	नए विश्व की ओर निर्णायक दौड़
85.	विकसित अर्थव्यवस्था की ओर
86.	करतबी जानवर
87.	खीर की गुड़िया
88.	बौद्ध कथाएं
89.	गुरू राम सिंह और कूका विद्रोह
90.	जगत का न्याय
91.	हादी रानी
92.	उत्तर प्रदेश की लोककथाएं
93.	नोएल पुरस्कार विजेता
94.	चेतक और प्रताप
95.	ज्ञानी चूहा
96.	रानी लक्ष्मीबाई
97.	विश्व की श्रेष्ठ लोककथाएं
98.	बेताल कथाएं
99.	भारत के नारी रत्न
100.	अंजाने में हुए आविष्कार
101.	बर्फ का दूल्हा
102.	नेता जी सुभाष चन्द्र बोस
103.	भारत की वीर गथाएं
104.	सरल पंचतंत्र
105.	अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल
106.	एज डूब जा मेहमान
107.	पहेलियां
108.	स्वर्ण हंस तथा अन्य जातक कथाएं
109.	हमारे परमवीर

1	2
110.	सन 57 के भूले बिसरे शहीद
111.	सतखंडी हवेली का मालिक
112.	महापुरूषों के प्रेरक प्रसंग
113.	डा. केशव कलीराम हेड़गेवार (बी एम आई)
114.	भारतीय जनजातियां
115.	हमारे वृक्ष
116.	बिरसा मुंडा (बी एम आई)
117.	आल्हा--ऊदल
118.	भारत के लोक गाथा गीत
क्षेत्रीय भाषाएं	
नए शीर्षक	
1.	भारतीय संस्कृति की झांकी (पंजाबी)
2.	फर्ज दी पहचान (पंजाबी)
3.	सेलेक्टिड स्पीचेस ऑफ सुभाष चन्द्र बोस (असमिया)
4.	इंडियन ट्राइब्स थ्रू द एजेस (मराठी)
5.	डा. के. बी. हेडेगेवार (बी एम आई) (मराठी)
6.	इंडिया इन ऑरबिट (कन्नड़)
7.	ग्रेट मेन ग्रेट डीड्स (तमिल)
8.	टू फ्रैंड्स (तमिल)
9.	डा. के. बी. हेडगेवार (बी एम आई) (मलयालम)
10.	ऐन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ दी इंडियन पीपल (उड़िया)

अप्रैल 2003 से मार्च 2004 तक जारी शीर्षकों की कुल संख्या

अंग्रेजी		25
हिन्दी		118
उर्दू	:	00
भाषाएं	:	10
कुल	:	153

शीर्षकों का ब्यौरा

प्रकाशन का वर्ष : 2004–2005

क्र.सं.	शीर्षक
1	2
अंग्रेजी	
1.	इंडियाज फॉरन पॉलिसी (आर ई पी)
2.	इंडिया 2004 – ए रेफरेंस एनुअल (आर ई पी)
3.	मदर टेरेसा
4.	प्रेस इन इंडिया 2002–2003 (खंड I और खंड II)
5.	रिपोर्ट ऑफ दी रेडियो ब्रॉडकास्ट पॉलिसी कमिटी
6.	इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम (आर ई पी)
7.	महात्मा गांधी बाई रोमा रोलैंड (आर ई पी)
8.	दी ब्लेसिंग एंड अदर स्टोरीज
9.	कल्चर एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस इन टेम्पल्स ऑफ गोवा
10.	हाइड एंड सीक (आर ई पी)
11.	दी टाकिंग ड्रम एंड अदर स्टोरीज
12.	मदर टेरेसा – इंसपाइरिंग इंसिडेन्ट्स (आर ई पी)
13.	सरदार वल्लभ भाई पटेल (बी एम आई) आर ई पी
14.	पं. दीन दयाल उपाध्याय (बी एम आई)
15.	आर्ट एंड कल्चर ऑफ उड़ीसा
16.	इंडिया – 2005
17.	ऐनुअल रिपोर्ट सू व प्र मंत्रालय 2003–04 खंड–I
18.	ऐनुअल रिपोर्ट सू व प्र मंत्रालय 2003–04 खंड–II
19.	दी भुज स्टोरी – आफ्टर दी क्वेक
20.	गांधी – ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (आर ई पी) डीलक्स
21.	दी मैसेज ऑफ महात्मा गांधी (आर ई पी) डीलक्स
22.	ए रोप ऑफ सैंड एंड अदर स्टोरीज
23.	दी वर्ल्ड ऑफ एज़रा मीर
24.	होमेज टु दी महात्मा (आर ई पी)
25.	दी नॉर्थ ईस्ट सागा (डीलक्स)
26.	मास मीडिया इन इंडिया – 2004
27.	सू व प्र मंत्रालय ऐनुअल रिपोर्ट 2004–05 (खंड–I)
28.	ऐनुअल रिपोर्ट सू व प्र मंत्रालय 2003–04 (खंड–II)
29.	जवाहरलाल नेहरू – ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (आर ई पी) (डीलक्स)
30.	परफॉर्मेन्स बजट 2005–06
31.	इंडियन हेरीटेज (डीलक्स)
32.	मीडिया एथिक्स
हिन्दी	
1.	वार्षिक रिपोर्ट सू व प्र मंत्रालय 2003–04 (खंड–II)
2.	वार्षिक रिपोर्ट सू व प्र मंत्रालय 2003–04 (खंड–I)
3.	जन कवि नागार्जुन
4.	कविता आजकल
5.	भारत – 2004 (आर ई पी)
6.	युगपुरूष अंबेडकर (आर ई पी)/आर.ई.पी.
7.	भीमराव अंबेडकर (आर ई पी) बी एम आई
8.	विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं (भाग–I) आर ई पी
9.	सांस्कृतिक एकता का गुलदस्ता (आर ई पी)
10.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (आर ई पी)
11.	अंतरिक्ष में भारत (संशोधित)
12.	पौराणिक बाल कथाएं (आर ई पी)
13.	एकता की बोलती तस्वीरें (आर ई पी)
14.	सुकुमालिया का त्याग (आर ई पी)
15.	विदेशी यात्रियों की नजर में भारत (आर ई पी)
16.	लक्षद्वीप की समुद्री कथाएं (आर ई पी)
17.	लाक्षागृह (आर ई पी)
18.	बाल बोध कथाएं (आर ई पी)

1	2
19.	बागवानी कैसे करें (आर ई पी)
20.	अपनी हिन्दी सुधारें (आर ई पी)
21.	खीर की गुड़िया (आर ई पी)
22.	एक देश का ह्दय (आर ई पी)
23.	कबूतर उड़ गये (आर ई पी)
24.	रोचक ऐतिहासिक कहानियां (भाग-II) (आर ई पी)
25.	नोबल पुरस्कार विजेता महिलाएं (आर ई पी)
26.	चेतक और प्रताप (आर ई पी)
27.	स्वामी सहजानंद सरस्वती
28.	पं. दीन दयाल उपाध्याय (बी एम आई) (आर ई पी)
29.	हमारे आज के क्रिकेट सितारे (आर ई पी)
30.	सफर के साथी (आर ई पी)
31.	रेडियो प्रसारण नीति की रिपोर्ट (आर ई पी)
32.	छुपम छुपाई
33.	देशभक्ति के नाटक
34.	लो गुब्बारे (आर ई पी)
35.	विकलांगता – कारण, बचाव व निदान
36.	कहानी आजकल (खंड-II)
37.	समय का सफर
38.	हमारे बहादुर बच्चे (आर ई पी)
39.	जवाहरलाल नेहरू (आर ई पी) बी एम आई
40.	वेद गाथा
41.	तारों भरा आकाश
42.	भारत के समाचार-पत्र 2002-2003 (भाग-I)
43.	सी. सुब्रमण्या भारती (बी एम आई)
44.	सन सत्तावन के भूले बिसरे शहीद (भाग-II) (आर ई पी)
45.	आंध्र केसरी टी. प्रकाशम् (बी एम आई)

1	2
46.	भारत के प्राचीन स्मारक (आर ई पी)
47.	उम्र के इस दौर में
48.	भारत-2005
49.	भारत के समाचार-पत्र 2002-03 (भाग-II)
50.	हमारी झीलें और नदियां (आर ई पी)
51.	गांधी – सचित्र जीवन गाथा (आर ई पी) डीलक्स
52.	बाल शिक्षा और बाल स्वास्थ्य
53.	सरल पंचतंत्र (आर ई पी)
54.	छोटी आंखों का बड़ा सपना (आर ई पी)
55.	लाल फूल वाला पेड़ (आर ई पी)
56.	कुर्बानी अंजाम शहीदों की (आर ई पी)
57.	सांस्कृतिक एकता का गुलदस्ता (आर ई पी)
58.	विदेशी यात्रियों का गुलदस्ता (आर ई पी)
59.	आल्हा-ऊदल (आर ई पी)
60.	हवेली (आर ई पी)
61.	आदिकवि महार्षि वाल्मिकी (आर ई पी)
62.	सरस कहानियां (आर ई पी)
63.	गुजरात की लोक कथाएं (आर ई पी)
64.	सरदार वल्लभभाई पटेल (बी एम आई) डीलक्स
65.	वी.के. कृष्णमेनन (बी एम आई) डीलक्स
66.	भारत की सांस्कृतिक एकता
67.	वार्षिक रिपोर्ट सू. व प्रसारण मंत्रालय (2004-05) खंड-I
68.	वार्षिक रिपोर्ट सू. व प्रसारण मंत्रालय (2004-05) खंड-II
69.	परफॉर्मेंस बजट 2005-06
70.	महादेव गोविन्द रानाडे (बी एम आई) (डीलक्स)
71.	जवाहरलाल नेहरू सचित्र जीवनी (आर पी) (डीलक्स)
72.	हरे कृष्णा मेहताब (बी एम आई) (डीलक्स)

1	2
73.	सी.एन. अन्नादुरई (बी एम आई) (डीलक्स)
74.	नागालैंड के रंग बिरंगे उत्सव
75.	गुरू नानक से गुरू ग्रंथ साहित तक (डीलक्स)
76.	चिन्तन आजकल (डीलक्स)
77.	पी. एस शिवस्वामी अय्यर (बी एम आई) (डीलक्स)
क्षेत्रीय भाषाएं	
1.	डा. के बी डेडगेवार (संस्कृत)
2.	डा. के बी डेडगेवार (तेलुगू)
3.	सीयर्स एंड थिकंर्स (गुजराती)
4.	पोएट्स, ड्रामाटिस्ट्स एंड स्टोरी टेलर्स (गुजराती)
5.	एन आउटलाईन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल (कन्नड़)
6.	साईटिस्ट्स (तेलुगू)
7.	पोएट्स, ड्रामाटिस्ट्स एंड स्टोरी टेलर्स (तेलुगू)
8.	ट्राइबल डांसेज ऑफ गुजरात (गुजराती)
9.	डीवोशनल पोएट्स एंड मिस्टिक्स (भाग-I) (तेलुगू)
10.	डीवोशनल पोएट्स एंड मिस्टिक्स (भाग-II) (तेलुगू)
11.	फ्रीडम मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश (आर ई पी) (तेलुगू)
12.	ग्लोरी ऑफ विजय नगर प्रभावम् (आर ई पी) (तेलुगू)
13.	कम्पोजर्स तेलुगू (आर ई पी)
14.	ग्लोरी ऑफ ककातियाज तेलुगू (आर ई पी)
15.	ए. पी. ज्याग्रफी एंड रिसोर्सेज तेलुगू (आर ई पी)
16.	ग्रेट मेन ग्रेट डीड्स (मराठी)
17.	हरे कृष्ण मेहताब (बी एम आई) (उड़िया) (डीलक्स)
18.	लाल बहादुर शास्त्री (गुजराती) (डीलक्स)
19.	लाल बहादुर शास्त्री (मराठी) (डीलक्स)
उर्दू	
1.	अफसाना आजकल (उर्दू)
2.	हम एक हैं (उर्दू)

अप्रैल - 2004 से मार्च - 2005 तक जारी शीर्षकों की कुल संख्या

अंग्रेजी	–	32
हिन्दी	–	77
उर्दू	–	02
अन्य क्षेत्रीय भाषाएं	–	19
कुल		130

शीर्षकों का ब्यौरा

प्रकाशन का वर्ष : 2005–2006

क्र.सं.	शीर्षक
1	2
अंग्रेजी (नए शीर्षक)	
1.	सिटीजन चार्टर
2.	इंडियन रेलवेज फ्लोरियस 150 ईयर्स
3.	उबदाब कसूक्स गुजराती
4.	प्रेस फ्रीडम
5.	प्रेस इन इंडिया 2003–04
6.	सैलेक्टिड स्पीचेज़ ऑफ डा. मनमोहन सिंह (खंड–I)
7.	कैटेलॉग – बाईलिंग्वल
8.	हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया 9 (खंड–III) (आर ई पी)
9.	कल्पना चावला (आर ई पी)
10.	आउटकम बजट 2005–06 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर
11.	महात्मा गांधी – ए ग्रेट लाइफ इन ब्रीफ (आर ई पी)
12.	सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर्स (कम्बाईड 1995–02)
13.	भारतीय विज्ञान मंजुषा
14.	कॉमन बर्ड्स ऑफ इंडिया

1	2
15.	लैट अस नो गांधी जी
16.	महात्मा गांधी एंड वन वर्ल्ड
17	लाल बहादुर शास्त्री (बी एम आई) (आर ई पी)
18.	हिस्ट्री ऑफ दि फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया (खंड–II) (आर ई पी) (डीलक्स)
19.	गांधी जी ए पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका (आर ई पी) (डीलक्स)
20.	एपीग्राम्स फ्रॉम गांधी जी (आर ई पी) (डीलक्स)
21	सिगनिफिकेन्स ऑफ गांधी ऐज ए मैन एंड थिंकर (आर ई पी)
22.	कोट्स ऑफ सरदार पटेल (डीलक्स)
23.	गांधी – हिज लाइफ एंड थॉट्स (बी एम आई) (आर ई पी) (डीलक्स)
24.	महात्मा गांधी ऐज स्टुडेंट (आर ई पी) (डीलक्स)
25.	गांधी इन चम्पारन (आर ई पी) (डीलक्स)
26.	गांधी – दी मैन एंड हिज थॉट्स (आर ई पी)
27.	ऑल आर इक्वल इन दी आइज ऑफ गॉड (आर ई पी) (डीलक्स)
28.	कल्चर एंड फोकलोर ऑफ मिज़ोरम (डीलक्स)
29.	कॉनशंस ऑफ दी रेस – इंडियाज ऑफबीट सिनेमा (डीलक्स)
30.	हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट (आर ई पी) (खंड–I)
31.	इंडिया – ए रेफ्ररंस एनुअल – 2006 (30000 + 5000)
32.	के. कामराज (बी एम आई) (डीलक्स)
33.	हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया (आर ई पी) (डीलक्स) (खंड–IV)
34.	ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स (डीलक्स)
35.	कॉमन फ्लावर्स ऑफ इंडिया (डीलक्स)
36.	दी गीता गोविन्द ऑफ श्री जयदेव (डीलक्स)
37.	बिरसा मुंडा (बी एम आई) (डीलक्स)
38.	ए थॉट फॉर टी डे (आर ई पी) (डीलक्स)

1	2
39.	इंडियन कैलेण्ड्रिक सिस्टम (आर ई पी) (डीलक्स)
40.	दी स्टोरी ऑफ सरदार पटेल
41.	एनुअल रिपोर्ट 2005–06 खंड–I
42.	एनुअल रिपोर्ट 2005–06 खंड–II
43.	डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थियरी एंड प्रैक्टिस (डीलक्स)
44.	फोक टेल्स ऑफ राजस्थान (आर ई पी)
45.	परफॉर्मेंस बजट 2006–07
46.	आउटकम बजट 2006–07
47.	फोक लीजेंड भागवन साहू (डीलक्स)
48.	दिल्ली – हिस्ट्री एंड प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट्स (आर ई पी) (डीलक्स)
49.	दी गॉस्पल ऑफ बुद्धा (आर ई पी) (डीलक्स)
50.	मेन हू बिल्ट कम्प्यूटर्स) (डीलक्स)
51.	सिक्स्थ साइंस इन इंडिया (आर ई पी) (डीलक्स)
52.	ग्रेट मेन ग्रेट डीड्स (आर ई पी) (डीलक्स)
हिन्दी	
1.	नागरिक चार्टर
2.	देशभक्ति की कविताएं
3.	कथा सम्राट प्रेमचंद (डीलक्स)
4.	साक्षात्कार आजकल (डीलक्स)
5.	विश्व कवि विद्यापति (डीलक्स)
6.	आइये आविष्कारक बनिये
7.	कल्पना चावला
8.	उत्तरांचल के आदिवासी
9.	भारत के समाचार पत्र 2003–04
10.	लाल बहादुर शास्त्री (डीलक्स)
11.	देवयानी
12.	सफर वापसी का एवं अन्य कहानियां

1	2
13.	बंटी का कम्प्यूटर
14.	प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चुने हुए भाषण (डीलक्स)
15.	हमारे त्यौहार (आर ई पी)
16.	दिल्ली की खोज (डीलक्स)
17.	परिणाम बजट 2005–06 वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
18.	सूचना भारती
19.	बापू की ऐतिहासिक यात्रा (डीलक्स)
20.	आर्यभट्ट (डीलक्स)
21.	प्रकाश भारती
22.	ऐसे थे बापू
23.	लाल बहादुर शास्त्री (बी एम आई) (डीलक्स)
24.	लोक नाट्य स्वांग (आर ई पी) (डीलक्स)
25.	ग्रह नक्षत्रों की आत्मकथा (आर ई पी) (डीलक्स)
26.	अठारह सौ सत्तावन (आर ई पी) (डीलक्स)
27.	नन्हे बहादुर
28.	भारत का स्वाधीनता संग्राम
29.	बापू के साथ
30.	सी. वी. रमन (डीलक्स)
31.	पुलिस जांच में विज्ञान
32.	मानव फैक्स मशीन
33.	बाल अधिकार और बाल संरक्षण (डीलक्स)
34.	भारत – 2006 (16000 + 5500 + 3000)
35.	सूक्ष्म पोषक तत्व एवं हमारा स्वास्थ्य (डीलक्स)
36.	उत्तरांचल के लोकगाथा गीत (डीलक्स)
37.	थिरकते पंख
38.	दलित देवो भव (डीलक्स)
39.	गांधी जी एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी (डीलक्स)

1	2
40.	हे वसुधा (डीलक्स)
41.	सरदार पटेल की अनमोल वाणी
42.	फिर से हंसो धरती मां
43.	जंगल के रंग
44.	विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा (डीलक्स)
45.	वार्षिक रिपोर्ट 2005–06 खंड I
46.	वार्षिक रिपोर्ट 2005–06 खंड II
47.	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (बी एम आई)
48.	परफॉर्मेंस बजट 2006–07 (निष्पादन बजट)
49.	आउटकम बजट 2006–07 खंड II
50.	क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले
51.	बस पांच मिनट
52.	कोयले की कहानी (डीलक्स)
53.	भारतीय डाक टिकटों का इतिहास
54.	1857 का स्वतंत्रता संग्राम (डीलक्स)
55.	महात्मा गांधी का संदेश (डीलक्स)
56.	मोहन दास करमचंद (डीलक्स)
57.	खेल, नियम और प्रशिक्षण
क्षेत्रीय भाषा	
1.	लाल बहादुर शास्त्री (उड़िया) (डीलक्स)
2.	लाल बहादुर शास्त्री (तमिल) (डीलक्स)
3.	सरदार वल्लभ भाई पटेल (गुजराती) (बी एम आई) (डीलक्स)
4.	गीत रामायण (मराठी) (आर ई पी)
5.	जवाहरलाल नेहरू – ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (मराठी)
6.	गांधी – ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (तमिल)
7.	मदर टेरेसा (मलयालम) (डीलक्स)
8.	कोटेबल कोट्स ऑफ सरदार पटेल (गुजराती) (डीलक्स)

1	2
9.	सेलेक्टिड स्पीचेज़ ऑफ सरदार पटेल (गुजराती) (डीलक्स)
10.	लाल बहादुर शास्त्री (तेलुगू) (डीलक्स)
11.	सरल पंचतंत्र (भाग–1) (डीलक्स)
12.	एस. सी. बोस (बी एम आई) (बांग्ला) (डीलक्स)
13.	नोबल पुरस्कार विजेता महिलाएं (तेलुगू) (डीलक्स)
14.	सरल पंचतंत्र (भाग–II) (उड़िया)
15.	सुभाष चन्द्र बोस (उड़िया) (बी एम आई) (डीलक्स)
16.	हाइड एंड सीक (उड़िया)
17.	चिल्ड्रन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया (उड़िया)
18.	फ्रीडम मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश (तेलुगू)
19.	ग्लोरी ऑफ विजय नगर (तेलुगू)
20.	पन्ना दादी (तेलुगू)
21.	हाडी रानी (तेलुगू)
22.	युगपुरुष अंबेडकर (तेलुगू)
23.	चिल्ड्रंस पंचतंत्र (तेलुगू)
24.	रानी दुर्गावती (तेलुगू)
25.	गणित का जादूगर (तेलुगू)
26.	साइंटिस्ट्स (तेलुगू)
27.	बापू के साथ (तेलुगू)
28.	अनकही शौर्य गाथाएं (तेलुगू)
29.	ग्लोरी ऑफ ककातियाज़ (तेलुगू)
30.	विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं (तेलुगू)
31.	बेगम हज़रत महल (तेलुगू)
32.	ए.पी. ज्योंग्राफी एंड रिसोर्सेज (तेलुगू)
33.	रिडल्स (तेलुगू)
34.	फ्रीडम स्ट्रगल (तेलुगू)
35.	अवर नेशनल फ्लैग (तेलुगू)

1	2
36.	शहीदों के खत (तेलुगू)
37.	आर. एन. टैगौर की बाल कहानियां (तेलुगू)
38.	चिल्ड्रंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया (तेलुगू)
39.	ग्रेट मेन ग्रेट डीड्स
40.	सुलभ पंचतंत्र (मराठी) (भाग–II)
41.	दी माइटी एंड मिस्टिकल रिवर्स ऑफ इंडिया (तेलुगू) (डीलक्स)
42.	हेलो डी मस्कारेन्हास (बी एम आई) (मराठी) (डीलक्स)
43.	एन. जी. रंगा (बी एम आई) (तेलुगू) (डीलक्स)
44.	सी. राजगोपालाचारी (बी एम आई) (तमिल) (डीलक्स)
45.	अवर बर्ड्स (उड़िया)
46.	अवर ट्रीज (उड़िया)
47.	भूकंप (मराठी)
48.	भारत के पक्षी (पंजाबी)
उर्दू	
1.	गांधी – ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (उर्दू)
2.	ज़ाकिर हुसैन (उर्दू) बी एम आई. (डीलक्स)

वर्ष 2005-2006 के दौरान जारी शीर्षकों की कुल संख्या

अंग्रेजी	–	52
हिन्दी	–	57
उर्दू	–	02
अन्य क्षेत्रीय भाषाएं	–	48
कुल		159

विवरण-II

वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान पुस्तकों के प्रकाशन पर किए गए व्यय का ब्यौरा

(रुपयों में)

		2003–04	2004–05	2005–06
1.	अंग्रेजी	25,78,658/–	37,13,094/–	56,00,000/–
2.	हिन्दी	80,57,261/–	49,86,271/–	37,59,000/–
3.	उर्दू	–	60,000/–	53,000/–
4.	पंजाबी	58,800/–	–	50,000/–
5.	असमिया	51,600/–		
6.	मराठी	3,86,000/–	49,000/–	2,15,000/–
7.	कन्नड़	60,000/–	30,000/–	–
8.	तमिल	54,600/–	–	1,07,000/–
9.	मलयालम	33,300/–	–	56,000/–
10.	उड़िया	25,000/–	26,000/–	2,16,000/–
11.	संस्कृत	–	33,000/–	–
12.	गुजराती	–	87,000/–	84,000/–
13.	तेलुगू	–	1,98,000/–	7,08,000/–
14.	बंगला	–	–	26,000/–

बेमौसमी सब्जियां

2681. श्रीमती नीता पटैरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेमौसमी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं क्योंकि उनमें 10 पी.पी.एम. से अधिक कीटनाशक पाए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) ऐसा कोई विश्वस्त साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि बेमौसमी सब्जियों में कीटनाशकों की मात्रा अनुमत स्तर से अधिक होती है।

(ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अधीन गठित पंजीकरण समिति कीटनाशकों का पंजीकरण उनकी क्षमता और सुरक्षा के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात ही करती है। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षित प्रयोगों के अधीन सृजित विषाक्तता और अवशेष डाटा का विश्लेषण किया जाता है तथा अधिकतम अवशेष सीमाएं (एमआरएल) निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कीटनाशी अधिनियम के अधीन अनुमोदित लेबल दावों के अनुसार उपयोग किए गए कीटनाशक अधिकतम सह्य सीमाओं से अधिक अवशेष नहीं छोड़ते हैं।

गोदावरी नदी के विकास हेतु योजना

2682. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औरंगाबाद के निकट पाटन से लेकर गुजरने वाली गोदावरी नदी के विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नदी का चरणबद्ध तरीके से विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) अंतर्राज्यीय नदी गोदावरी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1969 में गठित गोदावरी जल विवाद अधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी) ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पक्षकार राज्यों के बीच जल का हिस्सा आबंटित कर दिया है और राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए और जीडब्ल्यूटी के निर्णय के अनुसार, क्योंकि सिंचाई एक राज्य विषय है, परियोजना की योजना बनानी है, उसे निष्पादित और वित्तपोषित करना है।

भारत सरकार निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की शीघ्र पूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है बशर्ते कि परियोजना मौजूदा एआईबीपी मार्गनिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता पाने की पात्र हो और राज्य सरकार द्वारा एआईबीपी के अधीन केन्द्रीय सहायता के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत की जाएं।

[अनुवाद]

पैकेजिंग की लागत

2683. श्री जोवाकिम बखला : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण और अन्य कृषि आधारित उद्योग पैकेजिंग की उच्च लागत के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अत्यधिक घाटे में हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्पाद कुल लागत में पैकेजिंग के हिस्से को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों और लागतों के अनुरूप ही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) अलग–अलग उत्पाद के पैकेजिंग का प्रकार, रूप, आकार और गुणवत्ता आदि अलग–अलग होंगे। इसलिए इसकी लागत उत्पाद–दर–उत्पाद और उपभोक्ता जरूरतों, संभार आपूर्ति श्रृंखला तथा अन्य कारकों के साथ भी बदलेगी। पैकेजिंग सामग्री और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी की लागत पैकबंद खाद्य पदार्थों की लागत का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। तथापि, अकेले लागत ही प्रतिस्पर्धा के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। वास्तव में कम्पनियां कई बार पैकेजिंग का प्रयोग मूल्यवर्धन युक्ति के रूप में करती हैं।

(ग) और (घ) देश में अनेक प्रकार की पैकेजिंग की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक होती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता देकर पैकेजिंग केन्द्र स्थापित करने की एक योजनागत स्कीम चला रहा है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान गुणवत्ता अनुरक्षण और लागत अनुकूलन के संबंध में उद्योगों को परामर्श भी दे रहा है।

[हिन्दी]

यमुना की सफाई

2684. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री रघुनाथ झा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी के सफाई कार्य में तेजी लाने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त कृतक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यमुना नदी की सफाई हेतु कितना धन आबंटित किया गया है और अब तक इस पर कितना व्यय किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में एक त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र का गठन किया गया है। इसमें शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष समिति भी शामिल है।

(ग) यमुना नदी के प्रदूषण निवारण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत 1339 करोड़ रुपये की लागत से यमुना कार्य योजना–I और यमुना कार्य योजना–II शुरू की है। यमुना कार्य योजना–I और यमुना कार्य योजना–II के अंतर्गत अभी तक 686 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों ने भी अपनी–अपनी योजना निधियों से बड़े पैमाने पर सीवरेज, गैर–सीवरेज और सीवेज शोधन कार्यों को शुरू किया है।

[अनुवाद]

एक परिवार एक रोजगार

2685. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'एक परिवार एक रोजगार' योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत देश में राज्यवार कितने लोगों को रोजगार दिया गया; और

(घ) योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने 'एक परिवार, एक रोजगार' नामक कोई योजना आरंभ नहीं की है। तथापि, भारत सरकार ने देश के 200 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक उस परिवार जिसके व्यस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आरंभ की है। अक्तूबर 2006 तक इस योजना से लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपलब्ध राज्य सरकारों से संबंधित सूचनानुसार, हरियाणा को छोड़कर किसी राज्य ने 'एक परिवार एक रोजगार' योजना आरंभ नहीं की है।

[हिन्दी]

विषय का अंतरण

2686. डा. चिन्ता मोहन :

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

प्रो. एम. रामदास :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग से जल विषय को राज्य सूची से संघ सूची में अंतरित करने और जल हेतु एकल प्रशासनिक तंत्र का सृजन करने के संबंधित कोई सिफारिश प्राप्त हुई है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त परिवर्तन को कब से लागू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) योजना आयोग ने जल को राज्य–सूची से संघ–सूची में अंतरित किए जाने की बाबत कोई सिफारिश नहीं की है। योजना आयोग से जल के लिए "एकल प्रशासनिक मंत्रालय" संबंधी विशिष्ट संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दसवीं योजना दस्तावेज में उपयुक्त समन्वय पर समुचित बल दिया गया था और जल के लिए एकल प्रशासनिक मंत्रालय का सुझाव दिया गया था तथा शुरू में सदस्य (कृषि और जल संसाधन) योजना आयोग की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जल संसाधन कार्यक्रम समन्वय समिति का गठन किये जाने का उल्लेख किया गया था। इस संबंध में योजना आयोग द्वारा समीक्षा की जा चुकी है। जल संसाधन मंत्रालय तथा पहले से मौजूद अंतर्मंत्रालयी समन्वय तंत्रों को पहले से सौंपे गए दायित्वों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग का यह विचार है कि जल क्षेत्र के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में फिलहाल फेरबदल करने की जरूरत नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नम्य श्रम नीति

2687. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री जशुभाई धानाभाई बारड :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने नम्य श्रम नीति वाले इंडस्ट्रियल पार्क आर्डिनेंस के संबंध में संशोधित प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) गुजरात राज्य सरकार ने वर्ष 2003 में गुजरात औद्योगिक पार्क आर्डिनेंस, 2003 का मसौदा प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा था। गुजरात राज्य सरकार को इस पर केन्द्रीय श्रमिक संघों से विस्तारपूर्वक परामर्श करने के पश्चात् संशोधित प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई थी। इस संबंध में संशोधित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेल की अलाभप्रद इकाइयों को बंद करना

2688. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की रूग्ण इस्पात कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की अलाभप्रद इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाई–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेल ने सरकार से इकाइयों का वित्तीय पुनर्गठन करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) इस समय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई रूग्ण इस्पात कंपनी नहीं है।

(ख) और (ग) आईडीबीआई ने सेल की किसी इकाई को बंद करने की सिफारिश नहीं की है। बीआईएफआर द्वारा वर्ष 1994 में इस्को को एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित किया गया था। भारत सरकार ने जून, 2002 में इस्को की पुनरूद्धार योजना को अनुमोदित किया था। सरकार के अनुमोदन के आधार पर प्रचालन एजेंसी आईडीबीआई द्वारा अप्रैल, 2003 में एक पुनरूद्धार प्रस्ताव बीआईएफआर को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, सेल की वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमताओं तथा इस्को की क्षमता की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस्को का सेल के साथ विलय करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। बाद में वर्ष 2005–06 में इस्को का सेल के साथ विलय कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने सेल की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए फरवरी, 2000 में इसके लिए एक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज अनुमोदित किया था। तथापि, सेल द्वारा किए गए समग्र परिवर्तन तथा क्षमता के विस्तार के लिए भावी योजना को ध्यान में रखते हुए एएसपी, एसएसपी, वीआईएसएल, आरएफपी और

भिलाई ऑक्सीजन संयंत्र की स्वत्वहरण प्रक्रिया को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

वी.एस.एस. मुआवजे का भुगतान

2689. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री य. बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपदान एवं अनुग्रह राशि के उद्देश्य से तीस वर्ष या इससे अधिक की सेवा कर चुके हिन्दुस्तान फर्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया एवं पाईराइट्स फास्फेट्स एवं केमिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को वालेंटरी सेपेरेशन स्कीम (वी. एस.एस.) के अंतर्गत अनुग्रह मुआवजे का भुगतान करने पर सरकार अंतिम रूप से सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भुगतान करने के लिए धनराशि जारी कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रभावित भूतपूर्व कर्मचारियों को कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) धनराशि उपलब्ध न होने के कारण, सरकार के निर्णय का अब तक कार्यान्वयन नहीं किया गया है। विभाग बजटीय सहायता की मांग कर रहा है ताकि हकदारी के अनुसार मुआवजा दिया जा सके।

सुरक्षित पेयजल

2690. श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेयजल के संदूषण में वृद्धि हो रही है और अद्यतन प्रौद्योगिकी के अभाव में राज्य सरकारें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने जल शुद्धिकरण की पुरानी प्रौद्योगिकी को सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय तरीके से अद्यतन बनाने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी अभिकरणों/स्रोतों से प्रौद्योगिकीय/वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने यह सूचित किया है कि राज्य सरकारों द्वारा यथासूचित जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की संख्या 1.4.2005 को संकलित किए अनुसार 2,16,968 और 1.4.2006 के अनुसार 1,95,813 है। डीडीडब्ल्यूएस के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की असमर्थता का कारण अद्यतन प्रौद्योगिकियों की कमी नहीं है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग ने यह सूचित किया है कि राज्यों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है क्योंकि ग्रामीण जल आपूर्ति एक राज्य विषय है। जल गुणवत्ता की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी की पसंद राज्य सरकार का एक विशेषाधिकार है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग ने यह भी सूचित किया है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विदेशी वित्तपोषण के संबंध में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राजस्थान तथा कर्नाटक से प्राप्त अवधारणात्मक कागजात आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिए गए हैं।

[हिन्दी]

बांधों का स्थानांतरण

2691. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं के अन्दर स्थित बांधों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में वनों का विकास

2692. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सरकार द्वारा वनों और पर्यावरण के विकास हेतु कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) क्या सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो वे प्रस्ताव कब स्वीकृत किए गए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (घ) वन विकास अभिकरणों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने वाले 33 प्रस्ताव राजस्थान सरकार को वनों और पर्यावरण के विकास के लिए भेजे गए थे और सभी प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है। पिछले छः वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया है।

विवरण

क्र. सं.	वन विकास अभिकरण (एफ डी एज)	अनुमोदन की तारीख
1	2	3
1.	उदयपुर (सी)	25.07.2001
2.	जयपुर (सी)	17.09.2002
3.	प्रतापगढ़	01.10.2002
4.	डूंगरपुर	20.11.2002
5.	झालावाड़	18.11.2002
6.	कोटा	26.12.2002
7.	बारा	09.01.2003
8.	करोली	07.07.2003
9.	बूंदी	17.10.2003
10.	बांसवाडा	29.03.2003
11.	सीकर	30.10.2003
12.	पाली	19.11.2003
13.	धौलपुर	24.02.2004
14.	झुंझनु	03.03.2005
15.	भरतपुर	31.03.2005
16.	हनुमानगढ़	31.03.2005
17.	सिरोही	17.08.2005
18.	श्री गंगानगर	09.11.2005
19.	सवाई माधोपुर	11.11.2005
20.	जालौर	07.12.2005
21.	जैसलमेर	07.12.2005
22.	जोधपुर	09.12.2005
23.	भीलवाड़ा	09.12.2005
24.	चुरु	20.12.2005
25.	राजसमन्द	20.12.2005
26.	अजमेर	20.12.2005
27.	चित्तौड़गढ़	20.12.2005
28.	नागौर	20.12.2005
29.	टौंक	20.12.2005
30.	छत्तरगढ़	29.12.2005
31.	बाड़मेर	22.02.2006
32.	दौसा	07.03.2006
33.	अलवर	20.03.2006

पेंच प्रोजेक्ट

2693. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :
श्री अशोक अर्गल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंच प्रोजेक्ट को सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रोजेक्ट को अन्य देशों द्वारा वित्तपोषित संगठन, भारत–जर्मन द्विपक्षीय विकास निगम से सहायता मिलती रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण

यादव) : (क) जी, हां। योजना आयोग ने 10 अप्रैल, 2006 के अपने पत्र के माध्यम से राज्य योजना में निवेश के लिए पेंच डाइवर्जन परियोजना को स्वीकृत किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों हेतु कार्यक्रम

2694. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में, दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा किसानों हेतु कोई कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इन प्रसारणों में कृषि उत्पाद के खुदरा मूल्य प्रसारित हों?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कृषि संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 30 मिनट की अवधि के लिए सप्ताह में छः दिन सोमवार से शनिवार प्रातः 6.30 बजे किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 18 राज्यों में कृषि संबंधी विशेष कार्यक्रम सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार 30 मिनट की अवधि के लिए प्रसारित किए जा रहे हैं। तथा देश भर में 36 नैरोकास्टिंग केंद्रों से क्षेत्र विशेष के कृषि संबंधी कार्यक्रम 'नेरोकास्ट मोड' में प्रसारित किए जा रहे हैं। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, आकाशवाणी के लगभग सभी स्टेशन किसानों के लिए रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। कृषि पर आधारित कार्यक्रमों की औसत प्रसारण अवधि 60 से 100 मिनट प्रतिदिन है। कृषि मंत्रालय के सहयोग से 'किसानवाणी' शीर्षक की एक अनन्य परियोजना शुरू की गई है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों का मूल्य 'मंडी भाव बुलेटिनों' के माध्यम से सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर और 18 राज्यों को कवर करते हुए 18 क्षेत्रीय चैनलों के जरिए तथा इन राज्यों के संबंध में नैरोकास्टिंग केन्द्रों से भी प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि संबंधी उपयोगी वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) भी राष्ट्रीय चैनल और क्षेत्रीय चैनलों तथा सभी नैरोकास्टिंग केन्द्रों से बार-बार प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी पर कृषि उत्पादों पर खुदरा मूल्य प्रसारित किया जा रहा है और इन्हें समाचार बुलेटिनों में भी प्रसारित किया जाता है।

[अनुवाद]

टूना मछली

2695. श्री एल. राजगोपाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मत्स्यन सर्वेक्षण विभाग (एफ.एस.आई.) आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर टूना मछली की उपस्थिति का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय जापान और अन्य देशों में टूना मछली का निर्यात करने हेतु वाणिज्य मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) मत्स्य दृष्टि तथा यांत्रिकृत मत्स्यन यान ब्लू मर्लिन नामक दो जलयान क्रमशः मोनोफिलामेंट लांग लाइन तथा मल्टीफिलामेंट ... लाइन गियरों का इस्तेमाल करके ट्यूना संसाधनों के लिए आंध्र प्रदेश के तट पर सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि इस क्षेत्र में आधिपत्य प्रजातियों के पूर्व यलो फिन ट्यूना की पुनरावृत्ति हो रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। कृषि मंत्रालय जापान और अन्य देशों को ट्यूना मछली सहित मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के स्तर से आवधित रूप से अथवा आवश्यकतानुसार अंतर कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

गन्ने की उत्पादकता में गिरावट

2696. श्री दारोगा प्रसाद सरोज : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दशक के दौरान समुचित प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं की कमी की वजह से देश में गन्ने से चीनी की औसत उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार चीनी की उत्पादकता

बढ़ाने हेतु विकसित तकनीकी और अनुसंधान प्रणाली लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) शर्करा निदेशालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में प्रति हैक्टेयर चीनी की उत्पादकता 1985 से 1994 तक के वर्षों की तुलना में 1995 से 2004 तक वर्षों के दौरान 27.13% बढ़ी है। भारत में प्रति हैक्टेयर चीनी की उत्पादकता में औसत बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता आस्ट्रेलिया (5.45%), मेक्सिको (12.75%), दक्षिणी अफ्रीका (2.49%), और थाईलैंड (9.32%) से बेहतर है जबकि अर्जेंटीना (40. 39%) और ब्राजील (57.2%) जैसे कुछ अन्य देशों में यह भारत से बेहतर है।

निधियों का अन्यत्र उपयोग

2697. श्री ब्रजेश पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु आबंटित निधियों का अन्यत्र उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने यह उल्लेख किया है कि कुछ राज्यों ने निधियां ऐसे क्रियाकलापों के लिए डाइवर्ट कर दी है जोकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से जुड़े हुए नहीं हैं। राज्य–वार ब्यौरे विवरण–I के रूप में संलग्न हैं। इस संबंध में प्रशासनिक कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। एआईबीपी मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय ऋण सहायता केवल तभी प्रदान की जाती है जबकि राज्य सरकारों से, प्रदान की गई पिछली किस्त के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाता है। इस कार्यक्रम के अधीन राज्यों को दी जाने वाली ऋण सहायता भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के मानदंडों में लिए अनुसार ब्याज सहित किस्तों में वसूल की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	राशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.87
2.	बिहार	30.55
3.	छत्तीसगढ़	1.60
4.	गुजरात	8.23
5.	हरियाणा	44.74
6.	जम्मू और कश्मीर	29.15
7.	कर्नाटक	22.08
8.	केरल	0.36
9.	मध्य प्रदेश	195.37
10.	महाराष्ट्र	366.97
11.	उड़ीसा	3.94
12.	पंजाब	0.50
13.	राजस्थान	27.19
14.	उत्तर प्रदेश	7.54
15.	पश्चिम बंगाल	1.25
	कुल	741.34

दिल्ली में घटता जल स्तर

2698. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने दिल्ली शहर के घटते भूजल स्रोत पर दबाव डाले बिना दिल्ली की जल आपूर्ति में अतिरिक्त 30 एम.जी.डी. जल की आपूर्ति करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और दिल्ली में जल आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में कुछेक अन्य शहरों में भी जल की अत्यधिक कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने इन शहरों में भी पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए एक इसी प्रकार के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने यमुना

बाढ़ मैदान में 100 नलकूपों के निर्माण के माध्यम से शहर के लिए जल आपूर्ति 30 एमजीडी (मिलियन गैलन्स/दिन) बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवस्थिति	खोदे जाने के लिए प्रस्तावित नलकूपों की संख्या	जल का अनुमानित उत्पादन
पल्ला वेल फील्ड, उत्तर पश्चिम जिला	25	10 एमजीडी
अक्षरधाम मन्दिर क्षेत्र, पूर्वी जिला	25	06 एमजीडी
मयूर विहार क्षेत्र में एनएच-24 के दक्षिण, पूर्वी जिला	25	06 एमजीडी
जैतपुर बाढ़ मैदान क्षेत्र, दक्षिणी जिला	25	08 एमजीडी
कुल	100	30 एमजीडी

यदि प्रस्तावित योजना, कार्यान्वित की गई तो दिल्ली की जल आपूर्ति में वृद्धि होगी, और कमी 18 प्रतिशत घटेगी। बाढ़ मैदान क्षेत्र में नलकूपों की संस्थापना से भूजल क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अनुवर्ती मानसून अवधि में इन क्षेत्रों में जलभृत्तों का पुनर्भरण आसानी से हो जाता है।

(ग) और (घ) सीजीडब्ल्यूबी में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चेन्नई और हैदराबाद जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं। कुछ अन्य प्रमुख शहरों में जल आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(एमजीडी)

शहर का नाम	मांग	आपूर्ति	कमी
चेन्नई	380	230	150
कोलकाता	400	390	10
मुम्बई	770	740	30
बंगलौर	280	235	45
हैदराबाद	490	310	180

(ङ) और (च) इन शहरों में जल आपूर्ति के संवर्धन के लिए अभी तक सीजीडब्ल्यूबी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर सीजीडब्ल्यूबी भूजल वाले क्षेत्रों की पहचान करने में तकनीकी सहायता देता है। सीजीडब्ल्यूबी अपने अन्वेषण कार्यक्रम के तहत भूजल के विकास की संभावनाओं वाले क्षमता जलभृत्तों को पहचान करने के लिए अन्वेषणात्मक कुओं का निर्माण करता है। इस प्रकार से तैयार किए गए वैज्ञानिक आंकड़ों का संबंधित राज्य अभिकरणों द्वारा भूजल के विकास की आयोजना के लिए उपयोग किया जाता है।

बाल श्रम का शोषण

2699. श्री रामदास आठवले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए व्यापक स्तर पर बाल श्रम का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी केन्द्र सरकार का ध्यान इस संबंध में आकृष्ट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम के शोषण और श्रम कानूनों के उल्लंघन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने हेतु तथा श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कठोर कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) सरकार, देश में बाल श्रमिकों के शोषण के मुद्दे पर सतर्क है तथा ऐसे बच्चों को उनके पुनर्वास हेतु कार्य से हटाने और चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ अभियोजन चलाए जाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जोखिमकारी व्यावसायों/प्रक्रियाओं में बच्चों को नियोजित करने के संबंध में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अभियोजन दायर किये जा सकते हैं। राज्य सरकारें इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित सरकार है। वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान बाल श्रमिकों के संबंध में श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए नियोजकों के विरुद्ध चलाए गए अभियोजन से संबंधित आंकड़े निम्नवत् हैं:

वर्ष	चलाये गए अभियोजनों की संख्या
2002-03	8390
2003-04	2650
2004-05	8246*

* अनंतिम

(च) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में इस अधिनियम में पहले ही पर्याप्त निवारक उपबंध किए गये हैं। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी बालक को नियोजित करता है, वह कम से कम तीन माह से अधिकतम एक वर्ष तक के कारावास अथवा कम से कम 10,000/- रुपये से अधिकतम 20,000/- रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों के ही दण्ड का भागी है। इनका कड़ाई से प्रवर्तन करने हेतु राज्य सरकारों के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किये जाते हैं।

[अनुवाद]

वर्षा जल संचयन

2700. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षा जल संचयन पर कैंडी, श्रीलंका में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच भूमिगत जल संचयनों के संरक्षण के संबंध में कोई सहमति बनी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बहुमूल्य भूमिगत जल संसाधनों को समृद्ध करने, उनका उपयोग करने, उन्हें बढ़ाने तथा संरक्षित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक कदम उठाने तथा एक व्यावहारिक नीति तैयार करने के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। शहरी विकास एवं जल आपूर्ति मंत्रालय श्रीलंका के वर्षा जल संचयन सचिवालय द्वारा 27 से 29 सितम्बर, 2006 के दौरान कैंडी, श्रीलंका में वर्षा जल संचयन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के उद्देश्य निम्नलिखित थे:-

(i) दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।

(ii) वर्षा जल संचयन को अपनाने हेतु बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और अनुभव के प्रभावी रूप से आदान-प्रदान करने को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त नेटवर्क प्रारंभ करना और उसका प्रबंध करना।

(iii) वर्षा जल संचयन को लम्बे समय तक जारी रखने के लिए नीति और प्रक्रिया स्थापित करने को बढ़ावा देना।

(ग) से (ङ) भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के जिन मंत्रियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया था उन्होंने गरीबी, मानव, अन्य प्राणियों की जल संबंधी आवश्यकताओं और पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन के लिए हर संभव प्रणाली का उपयोग करने की संयुक्त कार्रवाई को प्रारंभ करने और अपने अनुभवों, ज्ञान और जानकारी का आदान-प्रदान करने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों की कम हो रही खेती

2701. श्री रशीद मसूद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन क्षेत्रों के घटने की वजह से औषीधीय पौधे लुप्त होने के कागार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) वन क्षेत्रों के घटने की वजह से औषधीय पौधों के लुप्त होने के कगार पर पहुंचने के संबंध में भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ एस आई) द्वारा प्रकाशित गत तीन वन स्थिति रिपोर्ट देश में वन क्षेत्र के बढ़ते रुझान को दर्शाती हैं।

(वर्ग किमी.)

एस एफ आर (1999)	एस एफ आर (2001)	एस एफ आर (2003)
765,253	768,436	774,740

इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 और इनके तहत बनाए गए नियमों और दिशा–निर्देशों को सख्ती से लागू करना।

(ii) अनुमोदित कार्य योजनाओं, वन विकास अभिकरणों और संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अनुसार वनों की कार्य प्रणाली जैसे प्रबंधन उपाय।

(iii) वित्तीय उपाय जैसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत राजसहायता प्रदान करना।

(ग) औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) संकटापन्न औषधीय पौधों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में मान्यता प्रदान करना ताकि इन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके।

(ii) कुछ विशिष्ट औषधीय पौधों और औषधीय पौधा संरक्षण वृक्षों (एम पी सी ए) जो मुख्यता वन क्षेत्रों में है, के संरक्षण के लिए कई परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना।

(iii) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि–विकास बोर्ड (एन ए ई बी) के तहत अवक्रमित वन भूमियों में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना।

(iv) राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (एन एम पी बी) के माध्यम से औषधीय पौधों के संरक्षण और खेती के लिए प्रोत्साहनात्मक, वाणिज्यिक और ठेकेदारी पर खेती संबंधी स्कीमों का क्रियान्वयन करना।

[अनुवाद]

जटरोफा की खेती में वृद्धि

2702. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले तीन वर्षों के दौरान देश में जटरोफा की खेती में होने वाली वृद्धि के संबध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितने भू–भाग पर जटरोफा की खेती किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या गैर–वन–बंजरभूमि पर जटरोफा की खेती हेतु राजसहायता मुहैय्या कराए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्ष 2006–2012 के दौरान "राष्ट्रीय जैव–ईंधन मिशन" के प्रस्तावित प्रदर्शन चरण के तहत सार्वजनिक एजेंसियों (वन भूमि, सड़क, रेल और नहर बांध सहित विभागीय भूमि, पंचायतों की सामान्य भूमि) से संबंधित बंजर, अवक्रमित और मार्जिनल भूमि और मार्जिनल वैयक्तिक निजी भूमि, फील्ड बांध आदि के तीन लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जटरोफा और करन्ज के रोपण पर विचार किया गया है। इसके अलावा, 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र पर जटरोफा और करन्ज का माडल रोपण राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (एनओवीओडी) बोर्ड द्वारा पहले से ही किया गया है।

(ग) और (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग एनओवीओडी के जरिए किसानों/व्यक्तियों को राजसहायता से जुड़ी 30% बैंक–एन्डेड ऋण सहायता प्रदान करता है ताकि गैर–वन बंजर भूमि पर जटरोफा का वाणिज्यिक रोपण किया जा सके।

आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु सहायता

2703. श्री एम. शिवन्ना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सहायता कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने मागडी, गुदावी, बोनाल और हिदकल–घाटप्रभा नामक चार आर्द्रभूमियों के लिए वित्तीय सहायता मांगी है।

(ग) केन्द्र सरकार ने मागडी, गुदावी और बोनाल आर्द्रभूमियों के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों के अंतर्गत यथा स्वीकार्य सहायता स्वीकृत और जारी की है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित मानकों और संबंधित स्कीम के अंतर्गत बजटीय आबंटन के अनुसार जांच की जाती है। यह बताना संभव नहीं है कि चौथे प्रस्ताव को कितने समय में स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र हेतु सार्वभौमिक योजना

2704. श्री जसुभाई धानाभाई बारड : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिए एक सार्वभौमिक योजना शुरू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस दिशा में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एन सी ई यू एस) से परामर्श करके विधान अधिनियमित करने तथा सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

सूखे और बाढ़ हेतु खाद्यान्न

2705. श्री विजय कृष्ण : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से उक्त राज्यों में सूखे और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के अंतर्गत कुल आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य ने खाद्यान्न की कितनी मात्रा की मांग की है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) बाढ़ और सूखा राहत के लिए आबंटन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य की आवश्यकता का हिस्सा नहीं होता है। परन्तु गृह मंत्रालय जो कि आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है, की सिफारिश तथा राज्य सरकारों से समय-समय पर प्राप्त अनुरोधों की दृष्टि में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को सूखा तथा बाढ़ राहत के लिए किए गए अतिरिक्त आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष	राज्य का नाम	प्रयोजन	चावल (टन में)	गेहूं (टन में)	मोटे अनाज (टन में)
2004-05	कर्नाटक	सूखा	15841	–	–
	बिहार	बाढ़	50000	50000	–
2005-06	गुजरात	बाढ़	910	–	–
	महाराष्ट्र	बाढ़	10000	10000	–
2006-07	गुजरात	बाढ़	4000	2000	500
	महाराष्ट्र	बाढ़	2500	–	5000
	आंध्र प्रदेश	बाढ़	5000	–	–
	कर्नाटक	बाढ़	2500	2500	–
	राजस्थान	बाढ़	2000	–	–
	मध्य प्रदेश	बाढ़	2000	–	–

[अनुवाद]

झील और तालाबों का रख-रखाव

2706. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल की भारी समस्या से निपटने के लिए तालाबों का जल निकायों के रूप में रख-रखाव करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए राज्यवार कितनी राशि निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। पेयजल आपूर्ति का प्रावधान एक राज्य विषय है और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार

केवल पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम उत्पादकता

270∴. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत एवं अन्य विकासशील देशों में समग्र उत्पादकता की तुलना में प्रति घंटा रोजगार प्राप्त प्रति व्यक्ति के संबंध में कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता के मूल्यांकन की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या विकसित देशों की उत्पादकता की तुलना में हमारे देश में श्रम उत्पादकता कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) वर्ष 2003 के दौरान भारत तथा विश्व के अन्य देशों की प्रति व्यक्ति प्रति घंटा (अमेरिकी डालर में) सकल घरेलू उत्पाद (क्रय शक्ति सादृश्य) के संदर्भ में मापी गई श्रम उत्पादकता निम्न प्रकार थी:

देश	क्रय क्षमता (अमेरिकी डालर में)
भारत	3.05
चीन	4.39
इंडोनेशिया	3.64
फिलीपीन्स	4.80
मलेशिया	11.58
कोरिया	16.56
सिंगापुर	24.21
ताइवान	25.02
हांगकांग	24.38

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) श्रम उत्पादकता में अन्तर अधिकांशतः प्रौद्योगिकी, कौशल शिक्षा तथा संबंधित देशों के आर्थिक विकास के स्तर से संबंधित कारकों के कारण है। भारत में समग्र आर्थिक विकास उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्र विशिष्ट उपायों के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा तथा कौशल विकास के माध्यम से श्रम बल की श्रम उत्पादकता बढ़ाने पर बुनियादी बल दिया गया है।

जैव-कृषि को बढ़ावा देना

2708. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव कृषि के माध्यम से उत्पादित खाद्यान्न का महत्व रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की सहायता से उत्पादित खाद्यान्न से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कुल कितने क्षेत्र में जैव–कृषि की जाती है और गत तीन वर्षों के दौरान इसमें कितनी वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में जैव–कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस प्रयोजनार्थ आबंटन में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार और कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) द्वारा देश में जैव–कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जैविक खेती के जरिए उत्पादित खाद्यान्न को स्वस्थ्यकर खाद्य के रूप में समझा जाता है और इसकी बाजार में अधिक कीमत होती है।

(ख) देश में वर्तमान में जैविक खेती के तहत कुल प्रमाणित क्षेत्र 1,73,682.5 हैक्टेयर है जबकि वर्ष 2003 एवं 2004 में यह क्रमशः 37,000 हैक्टेयर और 76,000 हैक्टेयर था।

(ग) और (घ) वर्तमान में "जैविक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना दसवीं योजना अवधि के दौरान 57.05 करोड़ रु. के वास्तविक आबंटन के अन्दर कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय जैविक उत्पादन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) कार्यान्वित कर रहा है जिसमें शामिल हैं:

(i) जैविक उत्पादन और प्रमाणीकरण स्कीम के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करना।

(ii) प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रक्रिया तैयार करना।

(iii) प्रमाणन एजेंसियों का प्रत्यायन।

(iv) एनपीओपी दस्तावेज को अद्यतन बनाना।

(v) प्रशिक्षण के जरिए समूह प्रमाणन, जागरुकता कार्यक्रम की शुरूआत।

मिड वैतरणा परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

2709. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिड–वैतरणा परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने की स्थिति क्या है; और

(ख) वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना हेतु कितने वृक्ष काटे जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) मिड–वैतरणा परियोजना को 16 अक्टूबर, 2006 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।

(ख) इस परियोजना के लिए लगभग 2.50 लाख वृक्ष काटे जाने होंगे।

थोक मूल्य सूचकांक

2710. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थोक मूल्य सूचकांक की निगरानी हेतु किन–किन वस्तुओं को शामिल किया गया है और सूचकांक में ये वस्तुएं अंतिम बार किस वर्ष में शामिल की गई है;

(ख) क्या गत कुछ महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में परिनिर्धारण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत छह महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान मार्च, 2006 तक कितनी कमी दर्ज की गई है; और

(ङ) थोक मूल्य सूचकांक की गणना की पद्धति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) आधार वर्ष 1993–94 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक की चालू श्रृंखला की वस्तुओं में शामिल मदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) थोक मूल्य सूचकांक में उतार–चढ़ाव इस प्रकार रहा :–

सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1993–94=100)

महीना	सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक
अक्तूबर, 05	197.8
नवम्बर, 05	198.2
दिसम्बर, 05	197.2
जनवरी, 06	196.3
फरवरी, 06	196.4
मार्च, 06	196.8
अप्रैल, 06	199.0
मई, 06	201.3
जून, 06	203.1
जुलाई, 06	204.0
अगस्त, 06	205.3
सितम्बर, 06	206.7
अक्तूबर, 06	208.2

टिप्पणी : सितम्बर, 2006 और अक्तूबर, 2006 के थोक मूल्य सूचकांक अनंतिम हैं।

(ङ) सरकार ने संकलन की पद्धति थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2003 में एक कार्यदल का गठन किया था।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक की चालू श्रृंखला की वस्तुओं में शामिल मदों की सूची
(आधार वर्ष 1993–94=100)

वस्तुएं

समस्त वस्तुएं

1. **प्रारंभिक वस्तुएं**

क. खाद्यान्न (अनाज+दालें)

क1. अनाज

क2. दालें

ख. फल व सब्जियां

ख1. सब्जियां

ख2. फल

ग. दूध

घ. अण्डे, गोश्त व मछली

ङ. मसाले

च. अन्य वस्तुएं

(ख) गैर खाद्य वस्तुएं

क. तंतु

ख. खाद्य तेल

ग. अन्य गैर खाद्य वस्तुएं

(ग) खनिज

क. धात्विक खनिज

ख. अन्य खनिज

II. ईंधन, विद्युत, प्रकाश और स्नेहक

क. कोयला खनन

ख. खनिज तेल

ग. बिजली

III. विनिर्मित उत्पाद

(क) खाद्य उत्पाद

क. डेयरी उत्पाद

ख. मछलियों को डिब्बाबंद करना, उनका परिरक्षण और प्रसंस्करण करना।

ग. अनाज मिल उत्पाद

घ. बेकरी उत्पाद

ङ. चीनी, खाण्डसारी और गुड़

च. सामान्य नमक का निर्माण

छ. कोका, चाकलेट और चीनी कन्फैक्शनरी

ज. खाद्य तेल

झ. तेल की खली

ञ. चाय और काफी प्रसंस्करण

ट. अन्य खाद्य उत्पाद एन ओ सी

(ख) बेवरेज, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद

क. शराब उद्योग

ख. माल्ट लिकर

ग. मृदु पेय और कार्बनीकृत जल

घ. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू और जर्दे का विनिर्माण

(ग) वस्त्र

क. सूती वस्त्र

क1. सूती धागा

क2. सूती कपड़ा (मिल का)

ख. मानव निर्मित कपड़ा

ग. ऊनी वस्त्र

घ. जूट हैम्प और मेस्टा वस्त्र

ङ अन्य विविध वस्त्र

(घ) काष्ठ और काष्ठ उत्पाद

(ङ) कागज और कागज उत्पाद

क. कागज और लुगदी

ख. गत्तों का विनिर्माण

ग. समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि का मुद्रण और प्रकाशन

(च) चमड़ा और चमड़ा उत्पाद

(छ) रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद

क. टायर और ट्यूब

क1. टायर

क2. ट्यूब

ख. प्लास्टिक उत्पाद

ग. अन्य रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद

(ज) रसायन और रासायनिक उत्पाद

क. मौलिक भारी अजैव रसायन

ख. मौलिक भारी जैव रसायन

ग. उर्वरक और कीटनाशक

क1. उर्वरक

क2. कीटनाशक

घ. रंग वार्निश और लेकर

ङ. डायस्टफ और इन्डिगो

च. औषधि और दवाइयां

छ. परफ्यूम, सिंगार प्रसाधन और साबुन आदि

ज. टर्पनटाइन, सिंथेटिक रेजिन, प्लास्टिक सामग्री आदि

झ. माचिस, विस्फोटक तथा अन्य सामान एन. ओ. सी.

(झ) गैर धातु खनिज उत्पाद

क. स्ट्रक्चरल मृदा उत्पाद

ख. शीशा, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन और उनके उत्पाद

ग. सीमेंट

घ. सीमेंट स्लेट और ग्रेफाइट उत्पाद

(ञ) बुनियादी धातु मिश्रण और धातु उत्पाद

क. बुनियादी धातुएं और मिश्र धातु

क1. लौहा और इस्पात

क2. फोरजिंग और स्ट्रक्चरल्स की ढलाई के लिए सांचे

क3. पाइप वायर्स ड्राइंग और अन्य

क4. लौह मिश्र

ख. गैर लौह धातुएं

ख1. एल्यूमिनियम

ख2. अन्य गैर लौह धातुएं

ग. मैटल उत्पाद

(ट) मशीनरी और मशीन औजार

क. गैर विद्युत मशीनरी और कलपुर्जे

क1. भारी मशीनरी और कलपुर्जे

क2. वस्त्र आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी

क3. रेफ्रिजरेशन तथा अन्य गैर विद्युत मशीनरी

ख. विद्युत मशीनरी

ख1. विद्युत औद्योगिक मशीनरी,

ख2. तारें और केबल

ख3. शुष्क और गीली बैटरी

ख4. विद्युत उपकरण और उपस्कर

(ठ) परिवहन उपकरण और कलपुर्जे

क. लोकोमोटिव रेलवे डिब्बे और कलपुर्जे

ख. मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर, बाइसिकल्स, तथा कलपुर्जे

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कटौती

2711. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कृषि संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कदम के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य कमजोर वर्ग सहित लाभार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि, पशुपालन, डेयरी और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में चालू कल्याण योजनाओं का पृथक–पृथक ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, हां। जीरो बेस्ड बजटिंग के तहत विस्तृत कार्यों का निष्पादन करते हुए और केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्र क्षेत्रीय स्कीमों के बीच सामिरूपता लाने के विचार से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम कर दिया गया था। स्कीमों की इस पुनः संरचना से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रमों के वित्तपोषण में कोई कमी लक्षित नहीं हुई।

वर्तमान में नौ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों यथा – (1) वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) (2) समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम, मक्का स्कीम (आइसोपाम) (3) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) (4) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (5) सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन (6) सूक्ष्म सिंचाई (7) विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन (8) कृषि सांख्यिकी का सुधार (9) कृषि क्षेत्र में

कृषि संगणना कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त दो नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें यथा राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी एवं व्यापार मिशन और पटसन प्रौद्योगिकी मिशन को कार्यान्वयन के लिए अभी हाल ही में अनुमोदित कर दिया गया है।

पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी क्षेत्र में वर्तमान में 8 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें यथा – (1) पशु एवं भैंस पालन के लिए राष्ट्रीय परियोजना (2) कुक्कुट एवं छोटे पशुओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय परियोजना (3) गहन डेयरी विकास परियोजना और गुणवत्ता एवं स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण (4) अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि विकास (5) समुद्री मात्स्यिकी अवसंरचना एवं कटाई पश्चात् कार्यों का विकास (6) मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम और मानव संसाधन विकास सहित प्रशिक्षण एवं विस्तार (7) पशुधन स्वास्थ्य और (8) पशुधन बीमा कार्यान्वयनाधीन हैं।

कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में वर्तमान में कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम विद्यमान नहीं है तथापि कई अन्य स्कीमें हैं जिसके तहत कृषि अनुसंधान को वित्तपोषित किया जाता है और बढ़ावा दिया जाता है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गरीबी हटाओ कार्यक्रम

2712. श्री अधीर चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश में 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम को नये रूप में प्रचारित–प्रसारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम को प्रचारित–प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न हेतु लाभप्रद मूल्य

2713. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य देने की पेशकश करने वाले निजी व्यापारियों द्वारा अधिक खरीद कर लेने के कारण खाद्यान्न के भंडार में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को उच्च लाभप्रद मूल्य का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गरीब किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सरकारी एजेंसियां खाद्यान्नों को किसानों से प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं। तथापि किसानों के पास अपने उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्यों पर निजी व्यापारियों को बेचने का विकल्प है।

रबी विपणन मौसम (आर.एम.एस.) 2006–07 में, 650 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिए जाने के बावजूद, गेहूं का प्रापण ऊंचे खुले बाजार मूल्यों तथा अधिक निजी हस्तक्षेप के कारण रबी विपणन मौसम 2005–06 में 147.85 लाख टन की तुलना में, केवल 92.26 लाख टन था। रबी विपणन मौसम 2006–07 में कम प्रापण के कारण, केन्द्रीय पूल मे गेहूं का भण्डार 110 लाख टन के बफर नार्म के स्थान पर 1 अक्तूबर, 2006 को 64.12 लाख टन था। तथापि खरीफ विपणन मौसम (के.एम.एस.) 2005–06 में चावल के रिकार्ड प्रापण के कारण केन्द्रीय पूल में चावल का भंडार 52 लाख टन के बफर नार्म के स्थान पर 1 अक्तूबर, 2006 को 59.7 लाख टन था।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) तथा कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चावल की समुचित मात्रा का प्रापण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 40 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस, सामान्य किस्म के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 580 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड–ए किस्म के लिए 610 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर के.एम.एस. 2006–07 (31.3.2007 तक) के लिए किसानों को दिया गया है।

[हिन्दी]

पत्रकारों का कल्याण

2714. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों से मान्यताप्राप्त पत्रकारों के कल्याण हेतु क्या योजनाएं और सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु पत्रकारों को प्रदान की जा रही सुविधाओं को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) भारत सरकार, पत्रकार कल्याण निधि के नियमों के अध्यधीन स्थायी रूप से विकलांग प्रत्यायित पत्रकारों और ऐसे मृतक पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायित पत्रकारों को सरकार आवास, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम, रेल भाड़े में छूट के साथ–साथ व्यावसायिक उपस्करों के आयात हेतु सीमा–शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विज्ञापनों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए जाने के विरूद्ध व्यापक कानून

2715. श्री एल. राजगोपाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई उत्पादों के विज्ञापन में बढ़ा–चढ़ा कर बातें दिखायी जाती हैं जिससे उन उत्पादों की वास्तविक क्षमता का पता नहीं चल पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापनों के विरूद्ध एक व्यापक कानून लाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में फिक्की, एसोचैम, सी.आई.आई. इत्यादि के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं।

जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संबंध है, केबल सेवा के जरिए प्रसारित या पुनः प्रसारित उपग्रह टी.वी. चैनलों के सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों की जांच करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने ऐसे किसी उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति स्व–प्रेरणा से या शिकायतें प्राप्त होने पर संहिता के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और यदि समिति द्वारा ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उससे सरकार को अवगत करा दिया जाता है और तत्पश्चात् टीवी चैनल के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

भारत में प्रेस सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। भारतीय प्रेस परिषद (पी सी आई) भारत में प्रेस के मानकों को बरकरार रखने और उनमें सुधार लाने के लिए स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है। भारतीय प्रेस परिषद (पी सी आई), जो कि प्रेस के एक स्व–विनियामक निकाय के स्वरूप की है, ने पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानक तैयार किए हैं जिनमें पत्रकारिता से संबंधित सिद्धांत एवं आचरण संहिता शामिल हैं जिनमें इस बात का उल्लेख है कि संपादकों को विज्ञापनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने में अंतिम राय देने के अपने अधिकार पर जोर देना चाहिए। तथापि, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी परामर्शी पत्रों में केवल नैतिक बल निहित होता है और वे किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।

कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को आकृष्ट करने के उद्देश्य से जारी भ्रामक विज्ञापन एकाधिकार एवं प्रतिबंधनात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम (एम आर टी पी एक्ट) की धारा 36 'क' के तहत अनुचित व्यापार पद्धतियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। शिकायत प्राप्त होने पर एम आर टी पी आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

प्रभावित/क्षुब्ध उपभोक्ताओं के पास ऐसी अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरूद्ध उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता मंच से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने का विकल्प है। अधिनियम के तहत केन्द्र या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसी अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरूद्ध या तो व्यक्तिगत क्षमता में या सामान्यतया उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधि के रूप में उपभोक्ता मंच में समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की भी शक्ति प्रदान की गई है।

(ख) से (घ) उपभोक्ता मामले विभाग के पास राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने संबंधी एक प्रस्ताव है जो कि अन्य बातों के साथ–साथ किसी उपभोक्ता–वर्ग को प्रभावित करने वाले भ्रामक/अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों पर निर्णय लेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण

2716. श्री ब्रजेश पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने श्री भूरे लाल की अध्यक्षता में दिनांक 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं.का. आ. 93(अ) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक प्राधिकरण नामशः, पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया है। यह प्राधिकरण निम्नलिखित के संबंध में किसी प्राधिकरण द्वारा किसी आदेश के उल्लंघन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत शक्तियों का उपयोग करेगा:–

(i) पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में गुणवत्ता मानक;

(ii) विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या बहिस्राव के लिए मानक;

(iii) उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध जिनमें किसी उद्योग, प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों अथवा प्रसंस्करणों की श्रेणी का प्रचालन नहीं किया जाएगा या कुछ सुरक्षात्मक उपायों के तहत किया जाएगा;

(iv) ऐसी दुर्घटनाएं जिन से पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकता है उनकी रोकथाम के लिए प्रक्रियाएं और रक्षोपाय तथा ऐसी दुर्घटनाओं के लिए निवारक उपाय;

(v) खतरनाक पदार्थों के हथालन के लिए प्रक्रियाएं और रक्षोपाय;

2. प्राधिकरण, वाहनों द्वारा विशिष्ट उत्सर्जन मानक जिनमें वहनीय प्रदूषण के लिए उपकरण की उपयुक्त कैलिबरेशन, ईंधन गुणवत्ता मानक, मानीटरी ट्रैफिक नियोजन और प्रबंधान के लिए समन्वयकारी कार्रवाई तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानकों को बनाए रखा जाना शामिल है, का अनुपालन सुनिश्चित होगा।

3. प्राधिकरण का कार्यकाल समय–समय पर बढ़ाया गया है। प्राधिकरण का वर्तमान कार्यकाल 28.1.2007 तक है।

[अनुवाद]

गेहूं की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र

2717. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादकता को बढ़ाकर भारत को एक गेहूं निर्यातक देश बनाने की योजना सुझायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने हेतु क्या रणनीति तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) "खाद्य सुरक्षा और गरीबी में कमी हेतु नीतियों के पुनः सक्रियकरण" के बारे में एक अध्ययन पर कार्य कर रहा है। इस अध्ययन के तीन अन्तर–संबंधी घटक हैं। (i) कृषि का विविधिकरण ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग किया जा सके; (ii) अनाज प्रबंधन जिसमें सम्पूर्ण प्रणाली को और अधिक लागत प्रभावी बनाया जा सके और विश्व अर्थव्यवस्था में इसका बेहतर समेकन हो सके; और (iii) इस प्रणाली को और अधिक कुशल तथा लागत प्रभावी बनाने के लिए मूल्यों और आदान आपूर्ति एजेन्सियों का संगतीकरण।

(ग) भारत सरकार ने 138 चिन्हित जिलों में गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष तीन वर्षीय योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत बीज वितरण, प्रदर्शन, सूक्ष्म पोषकों, उन्नत फार्म उपकरणों और डीजल के लिए राजसहायता हेतु सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। गेहूं की उन्नत किस्म के गुणवत्ता प्राप्त 48,000 क्विंटल बीजों का आबंटन विभिन्न गेहूं उत्पादक राज्यों को फील्ड प्रदर्शनों के आयोजन के लिए किया गया है जिसमें से 43,750 क्विंटल बीज की आपूर्ति लक्षित राज्यों को की गई है।

कृषि समन्वय समिति

2718. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि समन्वय समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कार्य–करण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कृषि समन्वय समिति का गठन किया गया है ताकि कृषि से संबंधित मुद्दों पर नीति निरूपण के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके तथा नियोजन और क्रियान्वयन में अंतःक्षेत्रीय तथा अंतःविभागीय समन्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। समिति को सौंपे गये कार्य निम्नलिखित हैं:–

(i) खासकर अंतःक्षेत्रीय स्वरूप की नई नीतिगत पहलों की आवश्यकता वाले मुख्य क्षेत्रों की पहचान करना।

(ii) ऐसी अनुवर्ती कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करना जिसकी अभिज्ञात नीतिगत पहलों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यकता है।

(iii) नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र की पहचान करना।

(iv) मुख्य नीतिगत पहलों को मानिटर करना।

(v) राष्ट्रीय किसान आयोग की उन सिफारिशों जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रियान्वयन का सर्वेक्षण और समन्वयन करना।

युवाओं को रोजगार सहायता

2719. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वीपीय क्षेत्रों में विशेषतः सुनामी विनाश के पश्चात् कितने बेरोजगार स्नातक युवा अब तक रोजगार सहायता हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) इन बेरोजगार युवाओं को सहायता अनुदान देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक एवं उससे अधिक शिक्षित रोजगार चाहने वालों की संख्या 2918 थी।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार बेरोजगार युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता अनुदान प्रदान नहीं करती है। फिर भी, अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने तथा मूलभूत अवसंरचना का पुनःनिर्माण करने के साथ-साथ कृषि, मत्स्यपालन, उद्योगों, पशु पालन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए सहायता पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं। सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में लोक निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध स्थानीय व्यक्तियों को कार्य पर रखने के लिए अंडमान एवं निकोबार सरकार द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

चीनी जारी करने हेतु तंत्र

2720. **श्री जी. एम. सिद्दीश्वर** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी जारी करने संबंधी तंत्र को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जमाखोरी के कारण चीनी की कीमतों पर इस प्रस्ताव के संभावित प्रभाव का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने अभी तक मुक्त बिक्री चीनी के रिलीज तंत्र को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं किया है। मुक्त बिक्री चीनी के लिए रिलीज तंत्र के बारे में उचित समय पर निर्णय करते समय उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर चीनी की उपलब्धता सहित सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

2721. **श्री जोवाकिम बखला** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं की जांच के दौरान यदि अधिनियम का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो प्रतिपूरक वनीकरण की मानक शर्त के अतिरिक्त उस पर परियोजना लागत पर प्रतिपूरक वनीकरण की दण्डात्मक शर्त लगाकर कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को देखते हुए जिन परियोजनाओं पर प्रतिपूरक वनीकरण का दण्ड लगाया गया उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के कारण पिछले तीन वर्षों (1.1.2004 से 30.11.2006 तक) के दौरान जिन परियोजनाओं पर दण्डस्वरूप लगाया गया प्रतिपूरक वनीकरण का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला/संघ शासित प्रदेश	वनेतर तक (हैक्टेयर)
1	2	3	4
1	मैसर्स वी एस लाड एंड संस को एस एम ब्लॉक, कर्नाटक सन्दुर रेंज में खनन पट्टा सं 1524 (ओल्ड) 2290 (न्यू)	कर्नाटक	15.077
2	स्वच्छ जल टैपिंग के लिए रुतलैंड में चेन नाला में 0.019 है. वन भूमि का वनेतर	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.02
3	मैसर्स सिंगारिनी कैलोरी कं. लि. के पत्र में गोधामी खानी औ सी पी खनन पट्टा (चरण I)	आंध्र प्रदेश	261.31
4	मैसर्स चाणक्य सीमेंट के पत्र में कम्पार्टमेंट नं. 29 पासुपुलाबोदु ब्लॉक के नालगौंडा वन का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	162.56
5	बी आर टी एफ द्वारा डाइटी-डायमी माइनिंग रोड	अरुणाचल प्रदेश	152.00
6	नमपिक-नामफुक कोल फील्ड्स में कोयला खनन के लिए ए पी एम डी टी सी एल का खनन पट्टा	अरुणाचल प्रदेश	39.02
7	गन क्षेत्र में आब्लीगेटरी प्वाइंट को जोड़ने के लिए थोड़ी लम्बाई के निर्माण के लिए वनभूमि के वनेतर प्रयोग के लिए सिद्धांतरूप रूप से कार्योत्तर मंजूरी	अरुणाचल प्रदेश	7.35
8	ढडमिन एरिया में शर्टलैंथ रोड के निर्माण के लिए वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए सिद्धांत रूप से कार्योत्तर अनुमोदन	अरुणाचल प्रदेश	9.62
9	गांव राजा डेरा के निकट राजाडेरा टैंक स्कीम	छत्तीसगढ़	194.08
10	गन्याटी टैंक का निर्माण	छत्तीसगढ़	81.86
11	सिया दीही टैंक का निर्माण	छत्तीसगढ़	23.28
12	एस ई सी एल के पक्ष में चिरमिरी कैलोरी के अन्तर्गत कम्पार्टमेंट नं. 531 पी से 538 पी, 540 पी से 541 पी में भूमिठान खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	989.40
13	एस ई सी एल के पक्ष में चिरमिरी क्षेत्र में नाथ चिरमिरी कैलोरी के कम्पार्टमेंट नं. 469, 517, 518, 519, 497, 501 में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	550.00
14	एस ई सी एल (चिरमिरी क्षेत्र बैकंठपुर) के पक्ष में कोरिया वन डिवीजन में कम्पार्टमेंट नं. 501-पी से 503-पी, 513-पी से 516-पी में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	1253.91
15	मैसर्स एस ई सी एल के पक्ष में कटकोमा कैलौरी के खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	549.94

1	2	3	4
16	एस ई सी के पक्ष में चिरीमिरी क्षेत्र के अन्तर्गत कम्पार्टमेंट संख्या 493–पी से 499–पी तक भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	232.34
17	एस ई सी के पक्ष में चिरीमिरी क्षेत्र के अन्तर्गत पश्चिमी चिरामीरी कैलारी के कम्पार्टमेंट संख्या 500–पी से 502–पी तक भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	170.35
18	एस ई सी के पक्ष में चिरीमिरी क्षेत्र के अन्तर्गत कम्पार्टमेंट संख्या 517–पी, 522–पी, 523–पी तथा डोमालडीन कोलारी के 530–पी के भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	205.89
19	मैसर्स एस ई सी एल के पक्ष में राजगामेर भूमिगत खनन परियोजना	चण्डीगढ	461.80
20	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पक्ष में माजिकपुर ओपनकास्ट खनन का नवीकरण	चण्डीगढ	181.18
21	मैसर्स साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पक्ष में दीपिका एक्सटेंशन ओपन कास्ट खनन परियोजना (एसईसीएल)	चण्डीगढ	206.64
22	एस ई सी एल के पक्ष में काटघोरा वन प्रभाग में दिपिका एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइन परियोजना	चण्डीगढ	148.87
23	मैसस साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पक्ष में गेवरा ओपन कास्ट खनन परियोजना	चण्डीगढ	192.05
24	मैसर्स एस ई सी एल के पक्ष में कारगोरा वन प्रभाव के अन्तर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोल माइनिंग	चण्डीगढ	564.88
25	मैसर्स साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एस ई सी एल) के पक्ष में गेवरा ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना	चण्डीगढ	46.20
26	गांव वारवसपुर में आयरन ओर के खनन के लिए श्री जीवन लाल के पक्ष में खनन पट्टा	चण्डीगढ	14.71
27	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के धारणगाधारा ब्रांच केनाल का निर्माण	गुजरात	73.53
28	मैसर्स गुजरात मिनरल्स डिवैलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बेस मैटल के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	गुजरात	171.43
29	नूना मर्जा से रोहतक तक 220 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	हरियाणा	0.30
30	अम्बाला दिल्ली रोड पर गांव वनकाना पर एसार आइल लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट तक पहुंच मार्ग	हरियाणा	0.03
31	लाजपत रोड चौक सेक्टर 4/7 से रेलवे स्टेशन तक सड़क को चौड़ा करना	हरियाणा	2.41
32	पटौदी चौक से सेक्टर 10, 10ए कि.मी. 0.2, 115 के जंक्शन तक मास्टर रोड़ को चौड़ा करना	हरियाणा	2.12

1	2	3	4
33	राजीव चौक से बादशाहपुर–गुड़गांव रोड तक सड़क चौड़ी करना	हरियाणा	12.81
34	स्लेट्स के उत्खनन के लिए भौजा भादूर पर मैसर्स ज्ञान चंद के पक्ष में वन भूमि का उपयोग	हिमाचल प्रदेश	0.16
35	शिमला में हाई कोर्ट के नजदीक सुलभ शौचालय का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.01
36	सपनगती कांधा से सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	4.79
37	मूवीसेरी से छापारहम तक मोर्टेबल रोड़ का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	4.96
38	वाशला–अंतापु–सारीधर सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	4.85
39	पहलोग से माकरोग तक निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.33
40	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को धोरी खास भूमिगत खनन पट्टा	झारखण्ड	172.20
41	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के पक्ष में नई चयनित धोरी भूमिगत परियोजना	झारखण्ड	70.57
42	मैसर्स सी सी एल को खास महल ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	174.48
43	धोरी ओपन कास्ट परियोजना मैसर्स सी सी एल को	झारखण्ड	69.18
44	मैसर्स सी सी एल को सिरका ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	50.80
45	मैसर्स सी सी एल को टोपा ओपनकास्ट परियोजना	झारखण्ड	77.00
46	मैसर्स सी सी एल को गिड्डी सी ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	237.30
47	मैसर्स सी सी एल रेलीगेरा ओसी माइन्स परियोजना को खननपट्टा	झारखण्ड	135.66
48	मैसर्स सी सी एल की उरीमारी ओपन कास्ट परियोजना	झारखण्ड	91.04
49	मैसर्स सी सी एल को गिड्डी खनन पट्टा	झारखण्ड	232.42
50	मैसर्स सी सी एल द्वारा ओ सी पी खानों को खनन पट्टा	झारखण्ड	166.90
51	मैसर्स सी सी एल का लाइयो भूमिगत खनन पट्टा	झारखण्ड	78.59
52	मैसर्स सी सी एल के पक्ष में सायल डी परियोजना	झारखण्ड	192.32
53	कोडला ओ सी पी के लिए मैसर्स सी सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	168.50
54	कुजु परियोजना के लिए मैसर्स सी सी एल का खनन पट्टा	झारखण्ड	115.00
55	मैसर्स सी सी एल की पुन्डी ओपन कास्ट परियोजना	झारखण्ड	52.97
56	मैसस सी सी एल का आरगदा भूमिगत खनन पट्टा	झारखण्ड	90.10
57	करमा ओपनकास्ट खनन परियोजना के लिए मैसर्स सी सी एल का खनन पट्टा	झारखण्ड	132.28
58	मैसर्स सी सी एल का राजरापा ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	510.82

1	2	3	4
59	मैसर्स सी सी एल के पक्ष में तपिन नोर्थ ओपनकास्ट परियोजना	झारखण्ड	55.69
60	सरादावन प्रभाग के अजीता पुरू में देविका वेलजी के आयरन और मैगनीज ओर खनन पट्टे का नवीकरण	झारखण्ड	15.57
61	रा.रा. मार्ग 2 को चार लेन का करने के लिए वन भूमि का वनेतर	झारखण्ड	1.30
62	दामोदर घाटी के बोकारो बी थर्मल पावर स्टेशन के एश निपटान सिस्टम के लिए वनेतर	झारखण्ड	65.00
63	नीलांचल आयरन एण्ड पावर लि. द्वारा 33 केवी ट्रांसमिशन लेन के लिए वनभूमि का वनेतर	झारखण्ड	0.52
64	उदूथोराहाल्ला जलाशय परियोजना का निर्माण	कर्नाटक	183.60
65	कोलार जल आपूर्ति वृद्धि स्कीम (वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र शामिल)	मध्य प्रदेश	15.39
66	अपर–चन्डिया सिंचाई परियोजना का निर्माण	मध्य प्रदेश	149.29
67	तह. काटंगी में मैसर्स मैग्नीशिस ओर (इन्डिया) लि. के पक्ष में मैग्नीशिस खनन के लिए सीतापरोसिया खनन पट्टा के संबंध में कार्य की अस्थायी अनुमति	मध्य प्रदेश	48.09
68	म.प्र. राज्य खनन निगम के पक्ष में गांव कचलहारा में खनन	मध्य प्रदेश	37.70
69	निमगांव एम आई पी	महाराष्ट्र	141.62
70	तीमघर सिंचाई परियोजना का निर्माण	महाराष्ट्र	4.50
71	मैसर्स वेर्स्टन कोलफील्ड लि. के पक्ष में दुर्गापुर ओपनकास्ट खनन पट्टा का नवीकरण	महाराष्ट्र	136.54
72	डब्ल्यू सी एल लि. द्वारा दुर्गापुर ओपन रेयावारी कोलारी (अंडर ग्राउण्ड) कोल खान का एक्स्ट्रेक्शन	महाराष्ट्र	462.43
73	श्री मोतीराम सोमला राथीड़ के पक्ष में प्राइवेट पाइपलाइन बिछाना	महाराष्ट्र	0.03
74	मैसर्स महानदी कोल फील्ड्स लि. के पक्ष में अनंत एक्सटेंशन ओपनकास्ट परियोजना	उड़ीसा	62.67
75	श्री पी.एन. साहु द्वारा क्वांट्ज एण्ड क्वांट्इज खनन	उड़ीसा	3.09
76	मैसर्स टिस्को लि. के पक्ष में गांव कमरजोंदा, जोदा, बनसपानी, बिछाकुन्डी द्वारा बेतरणी आरक्षित वन में खनन पट्टा का नवीकरण	उड़ीसा	463.68
77	एस प्रधान के पक्ष में इगंनीझरन आयरन एंड एम एन खानें	उड़ीसा	15.32
78	गांव टोन्टो के निकट आरक्षित वन सिद्धमठ में मैसर्स मिडईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील्स के पक्ष में रोयडा. आयरन ओर खान	उड़ीसा	51.99
79	मैसर्स रूंगटा एस (प्रा.) लि. के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	52.74
80	पी एम जी एस वाई के अंतर्गत नालम तालापाडा रोड़	उड़ीसा	0.40

1	2	3	4
81	आई बी सी एल के रिटेल आऊट लैट के लिए पहुंच मार्ग	पंजाब	0.02
82	आई ओ सी एल के रिटेल आऊटलैट के लिए पहुंच मार्ग	पंजाब	0.02
83	गांव बटाला के आई ओ सी एल के रिटेल आऊटलैट के लिए पहुंच मार्ग	पंजाब	0.00
84	राजासांसी में आई ओ सी एल के रिटेल आऊटलैट के लिए पहुंच मार्ग	पंजाब	0.02
85	आई ओ सी एल के रिटेल आऊटलैट के लिए पहुंध मार्ग	पंजाब	0.01
86	गांव तलवाड़ा गुजरां के एस्सार आयल के रिटेल आऊटलैट के लिए पहुंच मार्ग	पंजाब	0.09
87	लुधियाना–फिरोजपुर रोड़ पर मैगा माल/मल्टीप्लैक्स एण्ड फाइव स्टार होटल का पहुंच मार्ग	पंजाब	0.05
88	लाल कलां के सलूजा कोटैक्स (प्रा.) लि. द्वारा कॉटन स्पिनिंग मिल्स की पहुंच सड़क	पंजाब	0.01
89	मैसर्स अचल पेपर इण्डस्ट्रिज लि. की भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि	पंजाब	0.01
90	ककराल में एच पी सी लि. के रिटेल आऊटलैट के लिए पहुंच सड़क	पंजाब	0.01
91	बी पी सी एल के रिटेल आऊटलैट के लिए पहुंच सड़क	पंजाब	0.01
92	एच पी सी एल के रिटेल आऊटलैट के लिए पहुंच सड़क	पंजाब	0.08
93	गांव धर्मपुरा में वडाला चौक से कारपोरेशन के लिए सड़क को चौड़ा करना	पंजाब	1.46
94	भाइसा सिंह सिंचाई परियोजना का निर्माण	राजस्थान	83.44
95	राजस्थान सिंचाई विभाग के पक्ष में बिसालपुर पेयजल एवं सिंचाई परियोजना	राजस्थान	367.60
96	वडाकु पछार जलाशय स्कीम	तमिलनाडु	191.60
97	रामाकृष्णापुरम आरक्षित वन मऊजा में नए रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	त्रिपुरा	2.22
98	23.60 कि.मी. पर रेलवे ओवर की दोनों ओर पहुंच सड़क का निर्माण	त्रिपुरा	0.30
99	लछुरा बांध का आधुनिकीकरण	उत्तर प्रदेश	48.21
100	निम्बुचुर मवाकोट कण्डवाशराम मोटर रोड का निर्माण	उत्तरांचल	1.80
101	लाट नं. 8 पर लप्पु फिशिंग हार्बर	पश्चिम बंगाल	10.00

सब्जियों की खेती

2722. श्री विजय कृष्ण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल कितने भू–भाग पर सब्जियों की खेती की जाती है तथा राज्य–वार और कितने भू–भाग पर सब्जियों की खेती किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) देश में विशेषतः गुजरात में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में सब्जी की खेती के तहत आबंटित क्षेत्र 2004–05 के दौरान 6.76 मिलियन हैक्टेयर है। सब्जी की खेती के तहत क्षेत्र का राज्य–वार

ब्यौरा विवरण में दिया गया है। विभिन्न राज्यों में सब्जी की खेती के तहत और अधिक भू-क्षेत्र को लाने के लिए कोई आकलन नहीं कराया गया है।

(ख) वर्ष 2005-06 से क्रियान्वित की जा रही 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत सब्जियों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करने हेतु सहायता दी जा रही है। इस स्कीम को गुजरात सहित 18 राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी कार्यक्रम में उन्नत बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति और बीज अवसंरचना की स्थापना शामिल हैं। अन्य क्रियाकलापों में जैविक खेती के संवर्द्धन के अलावा समेकित पोषक तत्व प्रबन्ध एवं समेकित कीट प्रबंध अपनाना शामिल है। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य बागवानी मिशन, गुजरात को 300 हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जी बीज का उत्पादन करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान सब्जी की खेती के तहत क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा

(क्षेत्र '000 है. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल
1	2	3
1	अंडमान और निकोबार	7.1
2	आंध्र प्रदेश	258.4
3	अरुणाचल प्रदेश	20.4
4	असम	194.5
5	बिहार	816.6
6	चण्डीगढ़	0.1
7	छत्तीसगढ़	125.1
8	दादर और नगर हवेली	1.5
9	दमन और दीव	0.1
10	दिल्ली	43.7
11	गोवा	7.8
12	गुजरात	331.5
13	हरियाणा	207.8
14	हिमाचल प्रदेश	59.1
15	जम्मू और कश्मीर	52.1
16	झारखण्ड	223.6
17	कर्नाटक	367.2
18	केरल	107.6
19	लक्षद्वीप	0.2
20	मध्य प्रदेश	184.4
21	महाराष्ट्र	372.2
22	मणिपुर	13.4
23	मेघालय	32.7
24	मिजोरम	5.7
25	नागालैण्ड	11.9
26	उड़ीसा	655.9
27	पाण्डिचेरी	4.5
28	पंजाब	158.6
29	राजस्थान	124.1
30	सिक्किम	17.0
31	तमिलनाडु	215.3
32	त्रिपुरा	32.7
33	उत्तर प्रदेश	840.9
34	उत्तरांचल	72.8
35	पश्चिम बंगाल	1189.0
	कुल	6755.6

एनपीसीबीबी के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि का दुरुपयोग

2723. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल

प्रोजेक्ट फार कैटल एंड बफैलो ब्रीडिंग (एनपीसीबीबी) के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों को उपलब्ध करायी गई धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

नाभिकीय परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

2724. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कितनी नाभिकीय परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(ख) ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने सभी शर्तों का अनुपालन किया है तथा सरकार द्वारा लागू किए गए सभी सुरक्षोपायों का कार्यान्वयन किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 17 नाभिकीय ऊर्जा और संबंधित परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है।

(ख) इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई मॉनीटरिंग के अनुसार 6 परियोजनाओं के संबंध में अनुबद्ध शर्तों का अनुपालन संतोषजनक है और शेष परियोजनाओं में स्थितियां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

2725. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की निगरानी हेतु शामिल वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा इस सूचकांक में किस वर्ष अन्तिम वस्तुएं शामिल की गयी थीं;

(ख) क्या गत कुछ महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कुछ कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत छह माह के दौरान प्रत्येक माह मार्च, 2006 तक कितनी कमी दर्ज की गयी है; और

(ङ) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) सरकार के अनुमोदन से श्रम ब्यूरो द्वारा आधार 2001=100 पर औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई – आई डब्ल्यू) की नई श्रृंखला माह जनवरी, 2006 से संबंधित सूचकांक 9 मार्च, 2006 को जारी कर दी गई है। 1999–2000 की अवधि के दौरान आयोजित नए परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण के आधार पर आवास के अलावा अनाज और उत्पाद; दलहन और उत्पाद; तेल और वसा; दुग्ध और उत्पाद; मांस, मछली और अण्डे; मसाले, सब्जियां और फल; अन्य खाद्य सामग्री, पान, सुपारी, तम्बाकू और नशीले पदार्थ; ईंधन और प्रकाश; वस्त्र, बिछौने और जूते चप्पल; चिकित्सा देखरेख; शिक्षा, मनोरंजन, परिवहन और संचार; व्यक्तिगत देखरेख और सामान और अन्य से संबंधित लगभग 370 मदें सी पी आई–आई डब्ल्यू (आधार 2001=100) श्रृंखला में शामिल किए गए हैं।

(ख) से (घ) अक्तूबर, 2005 से मार्च, 2006 की अवधि के दौरान औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे दी गयी तालिका में दर्शाए गए हैं:–

औद्योगिक कामकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार 1982=100	आधार 2001=100
अक्तूबर, 2005 – 548	जनवरी, 2006 – 119
नवम्बर, 2005 – 553	फरवरी, 2006 – 119
दिसम्बर, 2005 – 550	मार्च, 2006 – 119

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि आधार 1982=100 पर औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई – आई डब्ल्यू) में दिसम्बर, 2005 में 3 अंक की कमी दर्ज की गई है, जो मुख्य रूप से अधिकांश केन्द्रों में सर्दियों के महीनों में सामान्य रूप से सब्जियों और फलों के मूल्यों में कमी के कारण है।

(ङ) सरकार ने हाल ही में 17.11.2006 को प्रो.जी.के. चड्ढा की अध्यक्षता में औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए सरकार को सलाह देने के लिए एक सूचकांक समीक्षा समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

वन भूमि को मंजूरी

2726. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना की मुख्य नहर के प्रथम चरण तथा मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर परियोजना का निर्माण कार्य हेतु वन भूमि की मंजूरी से संबंधित प्रस्ताव सरकार के पास काफी लंबे समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके त्वरित निपटान के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्रों का कंप्यूटरीकरण

2728. श्री ब्रजेश पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आकाशवाणी केन्द्रों को कंप्यूटरीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र के कंप्यूटरीकरण पर अनुमानतः आने वाली लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आकाशवाणी स्टेशनों/कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 10वीं योजना में दो स्कीमें हैं अर्थात् स्कीम (I) – उन 38 आकाशवाणी स्टेशनों का कम्प्यूटरीकरण जहां कम्प्यूटर नहीं हैं जिसमें 41.00 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर बाह्य उपकरणों सहित 68 डेस्कटॉप कम्प्यूटरों का प्रावधान है। यह स्कीम पहले ही कार्यान्वित कर दी गई है। स्कीम (II) – 188 आकाशवाणी स्टेशनों/कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण जिसमें 390.00 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर बाह्य उपकरणों और नेटवर्किंग सहित 414 डेस्कटॉप कम्प्यूटरों का प्रावधान है। इस स्कीम को वर्ष 2006–07 के दौरान कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पर्यावरण के बारे में जागरूकता

2729. श्री रामदास आठवले :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण के बारे में जागरूकता हेतु किसी अभियान की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार इसके लिए आबंटित राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में पर्यावरण क्लब (ईको–क्लब्स) बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के बारे में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान नामक एक राष्ट्र व्यापी अभियान शुरु किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत जागरूकता पैदा करने वाले कार्यों को आयोजित करने के लिए देश के सभी भागों के विभिन्न संगठनों को नाममात्र वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2005–06 के दौरान 9566 भागीदारी संगठनों को राज्यवार जारी धनराशि का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2001–02 में शुरु किए गए राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम के अंतर्गत देश में पारि–क्लबों को सहायता दी जा रही है।

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति जिला अधिकतम 250 पारि–क्लबों की शर्त पर 2500/– रु. प्रति पारि–क्लब प्रति वर्ष सहायता अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में पारि–क्लबों को दी गई सहायता का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2005–06 के दौरान राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत भागीदार संगठनों को जारी वित्तीय सहायता

जिले/संघशासित क्षेत्र	रुपयों में जारी वित्तीय सहायता
1	2
आंध्र प्रदेश	3929000
अंडमान और निकोबार	57000
अरुणाचल प्रदेश	220000
असम	2550000
बिहार	4313000

1	2
छत्तीसगढ़	741000
दादर और नगर हवेली	10000
दमन और दीव	30000
दिल्ली	808000
गोवा	37000
गुजरात	1919000
हरियाणा और चण्डीगढ़	1078000
हिमाचल प्रदेश	1130500
जम्मू और कश्मीर	1824000
झारखण्ड	1425000
कर्नाटक	1652000
केरल	1366000
लक्षद्वीप	9000
मध्य प्रदेश	4140000
महाराष्ट्र	3939000
मणिपुर	2400000
मिजोरम	240000
नागालैण्ड	1002000
उड़ीसा	2748500
पाण्डिचेरी	156000
पंजाब	688000
राजस्थान	1517000
तमिलनाडु	2813000
त्रिपुरा	1262000
उत्तर प्रदेश	5744000
उत्तरांचल	770000
पश्चिम बंगाल	1766000
कुल	52284000

विवरण-II

2005-06 के दौरान जिन पारि-क्लबों को सहायता प्रदान की गई

जिले/संघशासित क्षेत्र	पारि क्लबों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3900
बिहार	5266
चण्डीगढ़	110
छत्तीसगढ़	2373
दिल्ली	1500
गोवा	441
गुजरात	3750
हरियाणा	2850
हिमाचल प्रदेश	1800
महाराष्ट्र	5400
मिजोरम	1200
मध्य प्रदेश	7200
नागालैण्ड	800
उड़ीसा	4500
पाण्डिचेरी	513
पंजाब	2550
राजस्थान	4800
सिक्किम	540
तमिलनाडु	4500
त्रिपुरा	600
उत्तर प्रदेश	10500
पश्चिम बंगाल	2850
कुल	67943

जैव-उर्वरकों का उत्पादन

2730. श्री रघुनाथ झा :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में कम्पनीवार तथा राज्यवार जैव–उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) क्या देश में जैव–उर्वरकों की मांग इसके पोषक मूल्य तथा पर्यावरण अनुकूलता के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो देश में किसानों द्वारा जैव उर्वरकों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा इसके प्रचार–प्रसार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में 2005–06 के दौरान, जैव उर्वरकों का कुल उत्पादन 10,764.42 मीटरी टन रहा है। कम्पनीवार और राज्य–वार उत्पादन का ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) जैव उर्वरक पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक होते हैं इसलिए इनकी मांग बढ़ती जा रही है। देश में जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना और वर्ष 2002–03 के दौरान 'जैव उर्वरकों' के विकास एवं प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' के अंतर्गत जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए 20.00 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से वित्तीय सहायता दे रही है। कृषक समुदाय में जैव उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और क्षेत्र प्रदर्शनों/किसान मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। अक्तूबर, 2004 में इस योजना को "राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना" नामक एक नई केन्द्र क्षेत्रीय योजना में मिला दिया गया है। इस नई योजना के अंतर्गत जैव उर्वरकों के उत्पाद ईकाइयों की स्थापना के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी अधिकतम 20.00 लाख रुपये प्रति यूनिट तक की परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर से तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के माध्यम से दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत भी जैव उर्वरकों समेत जैविक आदानों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, क्षेत्र प्रदर्शन, किसान मेलों, प्रदर्शनियों और सेमिनारों का आयोजन किया जाता है तथा प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा प्रचार–प्रसार भी किया जाता है।

विवरण

2005–2006 के दौरान भारत में जैव उर्वरकों के राज्यवार और यूनिटवार उत्पादन

(मी. टन में)

राज्य	संगठन का नाम	क्षमता	भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित	एजैड ओटीओ	एजैड ओएसबी	एसीई टीओ	आरएच आईजैड	पीएसबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	मि. कृशन राव, कृशना एग्रो बिप्रोडक्ट्स वृक्सामता 9/1/ए–1 रोड़ नं. 16 आईडीए, नचारम हैदराबाद	75	नहीं	0	0	0	0	2153.00	2153.00
आंध्र प्रदेश	बायोफर्टिलाइजर प्रोजेक्ट यूनिट, तिरुचिरापल्ली	75	जी.ओ.आई.	0	9.55	0	0	10.31	19.86
आंध्र प्रदेश	रोमर बायोटै., विजयवाड़ा	75		0	3.10	0	0.15	5.00	8.25
आंध्र प्रदेश	रोमर बायोटै., विजयवाड़ा			3.33	6.85	0	1.48	7.34	19.00
आंध्र प्रदेश	आरएसटीएल, हैदराबाद			0.02	0.11	0	32.55	13.64	46.32
आंध्र प्रदेश कुल		225		3.35	19.61	0	34.18	2189.29	2246.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	एनई ग्रीन टै. प्रा. पी. एच.वाई	150	नहीं	0	0	0	0	53.80	53.80
असम	निदेशक कृषि खानापारा			0	0	0	0	53.80	53.80
असम कुल		150		0	0	0	0	107.60	107.60
दिल्ली	आईएआईआई, नई दिल्ली	1		0.49	0.06	0	0.18	0.50	1.23
दिल्ली कुल		1		0.49	0.06	0	0.18	0.50	1.23
गुजरात	गुजरात स्टेट कॉपरेटिव मार्केटिंग फै. लि.	125	जी.ओ.आई.	0	76.31	0	16.55	99.78	192.64
गुजरात	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लि.	475	जी.ओ.आई.	139.36	23.88	31.42	32.90	206.49	434.05
गुजरात	क्रिमको–हाजिरा, सूरत	325	जी.ओ.आई.	96.34	5.00	48.77	57.98	331.13	539.22
गुजरात	कौर्डिट कलोल			58.80	14.78	0	18.75	113.36	205.69
गुजरात कुल		925		294.50	119.97	80.19	126.18	750.76	1371.60
हरियाणा	सीसीएसएचयू, हिसार	75	जी.ओ.आई.	6.85	0	0.19	6.46	9.98	23.48
हरियाणा कुल		75		6.85	0	0.19	6.46	9.98	23.48
हिमाचल प्रदेश	सी.एनालिटिकल कैमिस्ट लबोरेटी	75	जी.ओ.आई.	4.29	0	0	5.30	0	9.59
हिमाचल प्रदेश कुल		75		4.29	0	0	5.30	0	9.59
कर्नाटक	रिजोबियम कल्चर लै. धारवाड़	50	नहीं	98.45	117.35	1.00	206.60	121.30	544.70
कर्नाटक	रिजोबियम कल्चर लै. हेब्बल	75	जी.ओ.आई.	2.38	0	0	2.52	3.10	8.00
कर्नाटक	वैस्ट कोस्ट हरबो कैमि. लि.	20	जी.ओ.आई.				3.81	35.01	38.82
कर्नाटक	सुनाराया कम्पोस्ट, बैंग	150	जी.ओ.आई.						
कर्नाटक	सम्राट बायोटैक्नीकल लि.	150	जी.ओ.आई.	1.50	4.50	0	7.38	7.10	20.48
कर्नाटक कुल		445		102.33	121.85	1.00	220.31	166.51	612.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	फर्टिलाइजन एण्ड कैमिकल ट्रैवनकोर लि.	150	जी.ओ.आई.	0	4.89	0	0.64	2.81	8.34
केरल कुल		150		0	4.89	0	0.64	2.81	8.34
मध्य प्रदेश	नेफेड बायोफर्टिलाइजर इंदौर	200	जी.ओ.आई.	53.59	0	0	124.91	47.07	225.57
मध्य प्रदेश	एनएफएल–विजयपुर	100	नहीं	45.85	0	0	17.55	111.70	175.10
मध्य प्रदेश	एग्री–बिजनेस एण्ड देव कॉं. बी.पी.एल.			4.16	0.51	0	8.69	26.00	39.36
मध्य प्रदेश	एम.पी. स्टेट एग्रो इ.देव को., भोपाल	450	जी.ओ.आई.	33.35	0	0	101.02	248.67	383.04
मध्य प्रदेश कुल		750		136.95	0.51	0	252.17	433.44	823.07
महाराष्ट्र	मै. निकू बायो रि. स्टे. 613, नानापथ, पुणे	150	जी.ओ.आई.	5.55	0	0	1.71	3.00	10.26
महाराष्ट्र	माइक्रोप्लेक्स इंडिया, 36 मोहाता मा.मेन रोड़ वर्धा	150	नहीं	42.14	0	0	0.89	68.79	111.82
महाराष्ट्र	कुमार ऋषि मित्र बायो प्रो. (इ.) प्रा. लि. 917/17,12, गनेश वादी फेरगूसन रोड नि. वैशाली होटल, ब्रिटिश कॉउंसिल ला. लेन, पुणे	216	नहीं	719.03	0	0	0	180.20	899.23
महाराष्ट्र	एग्रीकल्चर वैक्टे, सैक्सन कौल ऐग्री	50	नहीं	4.178	2.362	0	0.725	2.18	9.44
महाराष्ट्र	चौधरी एग्रो जी.वी. जलाखेड़ा, नागपुर	10	नहीं	4.00	0	0	6.00	12.50	22.50
महाराष्ट्र	वैभव लक्ष्मी बॉं. लै.	20	नहीं	6.50	0	0	7.00	13.00	26.50
महाराष्ट्र	आविष्कार बायोफार्म प्रा.लि. पो. प्रावनगर, तहसील रहट अहमदनगर	50	नहीं	20.00	9.15	0	1.99	62.02	93.16
महाराष्ट्र	अरूण बायोफर्टिलाइजर एमएसईबी के पास पावर हा. कुरुन्डवाड़, त. सिरोल कोल्हापुर	150	जी.ओ.आई.	25.00	10.00	0	5.00	85.00	125.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	निर्मल सीड्स प्रा.लि. भादेगांव रोड, पचोरा–424201	150	जी.ओ.आई.	61.00	0	0	19.00	80.00	160.00
महाराष्ट्र	नोमैन एग्री. बायो प्रो., 6, गंर्धर्म अपार्टमेंट्स, एसएन 38 एरन्डावना मेहन्दली गैरेज के पास होटल अभिषेक के सामने	0	0	0	0	0	0	1.55	1.55
महाराष्ट्र	नीलायंम बायो फा. प्रो. यूनिट प्लाट नं. 46/40, महद कालोनी आई.टी.आई. वर्धा के पास	150	जी.ओ.आई.	10.20	0	0	20.30	17.00	47.50
महाराष्ट्र	किसान एग्रो. टैक	240	नहीं	0	0	0	5.00	0	5.00
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र एलोरा बायो टैक	0	0	17.00	0	0	3.00	6.00	26.00
महाराष्ट्र	के–फर्टिलाइजर लै. 25 प्रथम तल, गुरुनानक मार्केट, नांदेड	150	जी.ओ.आई.	15.00	5.00	0	24.75	34.25	79.00
महाराष्ट्र	इनोरा रैसर्कान कैम्पस, 43/1 कार्व	150	जी.ओ.आई.	19.50	1.00	0	2.25	35.50	58.25
महाराष्ट्र	बसंत दादा सुगर इन्स्टीट्यूट	500	जी.ओ.आई.	43.30	0.49	0	0.36	58.61	102.76
महाराष्ट्र	एसएमएसएमपी पाटिल आकलूंज	150	0	0	0	0	0	77.63	77.63
महाराष्ट्र	साईनाथ	75	0						
महाराष्ट्र	एमआरडीसी. सोलापुर	0	जी.ओ.आई.	4.11	0	0	1.77	23.38	29.26
महाराष्ट्र	बीएआईएफ डिव्लैपमेंट रिजे. फां. फाउंडेशन	250	जी.ओ.आई.	0.50	0	0	0.50	5.00	6.00
महाराष्ट्र	इनविरोनमॉटल प्रो. रिजि. फां. सांगली	150		8.00	0	0	1.25	8.00	17.25
महाराष्ट्र	बायोरा रामटेक, नागपुर			8.00	0	0	13.00	20.00	41.00
महाराष्ट्र	गोविन्द एग्रो कैट आग्राम देवी मन्दिर के पास बस स्टैन्ड रोड़, नागपुर	50	0	12.00	0	0	7.00	22.00	41.00
महाराष्ट्र	जैन बायोटैक, नागपुर	10	0	1.00	0	0	3.50	1.50	6.00
महाराष्ट्र	कृषि जेवारो अनुभाग कृषि विश्वविद्यालय, पुणे	50	0	4.18	2.36	0	0.73	2.18	9.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	के.एन.एस. बायो टैक, नांदेड	10	0	1.50	1.00	0	1.00	1.50	5.00
महाराष्ट्र	ओम एग्रो आर्ग. यवतमाल	50	0	18.00	0	0	8.00	22.00	48.00
महाराष्ट्र	कृषक भारती कॉ. लि. लन्जा	50	0	15.03	6.00	0.85	16.53	0	38.41
महाराष्ट्र	कृषि विज्ञान केन्द्र जिन्तूर रोड़, परमणी	10		10	0	0	1.19	0.70	1.99
महाराष्ट्र कुल		2991.00		1064.82	37.36	0.85	152.45	843.49	2098.96
नागालैण्ड	बायोफर्ट लै. मेडजीफेमा	75	जी.ओ.आई.	3.39	2.17	0	3.30	8.17	17.03
नागालैण्ड कुल		75		3.39	2.17	0	3.30	8.17	17.03
उड़ीसा	उड़ीसा एआईसी लि. बीबीएसआर	75	फन्डेड	4.98	4.00	0	9.99	17.00	35.97
उड़ीसा	उप निदेशक कृषि बीबीएसआर	150	फन्डेड	300	3.00	0	15.00	9.00	30.00
उड़ीसा	माकनक बॉयोफर्टिलाइजर, बीबीएसआर	200	प्रा.	0	0.00	0	0	0.00	0.00
उड़ीसा कुल		425		798	7.00	0	24.99	26.00	65.97
पश्चिम बंगाल	बीसीकेबी कल्याणी	100	फन्डेड	5.75	6.25	0	9.00	11.00	32.00
पश्चिम बंगाल	नाइट्रोफिक्स ले.	150	फन्डेड	10.00	9.746	0	20.524	40.00	80.27
पश्चिम बंगाल	विवेकानंद इन्टी. ऑफ बायो टा.	150	फन्डेड	0.107	0.07	0	0.076	0.086	0.33
पश्चिम बंगाल	इक्सल बायोटेक प्रा.लि.	80	प्रा.	17.00	18.00	0	0	17.00	52.00
पश्चिम बंगाल	लीला एग्रो टैक	100	प्रा.	3.00	2.50	0	85	16.00	30.00
पश्चिम बंगाल कुल		580		35.857	36.561	0	38.1	84.086	194.60
झारखण्ड	बिरसा एग्री. यू. रांची	20	प्रा.	1.5	0.98	0	1.00	5.52	9.00
झारखण्ड	स्वर्णरेखा इं. रांची	200	प्रा.	0	0.00	0	0	0.00	0.00
झारखण्ड कुल		220		1.5	0.98	0	1	5.52	9.00
बिहार	एसोसिएशन फार सोशल ई. ट्रांसफारमेशन, बिहार	150	प्रा.	9.00	8.00	0	5.5	1.85	41.00
बिहार कुल		150		9.00	8.00	0	5.5	18.5	41.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	बायो फर्टिलाइजर प्रोडे. यू. लुधियाना	2	जी.ओ.आई.	0	0	0	1.08	0	1.08
पंजाब	पीएयू, लुधियाना	1.5	नहीं	0	0	0	1.19	0	1.19
पंजाब कुल		3.5		0	0	0	2.27	0	2.27
राजस्थान	वास्ता महावीर लै.			0.80	0	0	1.1	1.10	3.00
राजस्थान	सिसोदिया स्कीम एग्री. लि.	50	नहीं	10.00	0	10.11	15.00	15.00	50.11
राजस्थान	नेफेड बॉयो फर्टिलाइजर भरतपुर	75	जी.ओ.आई.	31.98	0	73.29	83.47	188.74	377. 48
राजस्थान कुल		125		42.78	0	83.40	99.57	204.84	430.59
तमिलनाडु	बायो फर्टि. प्रो. यू., टिर्ची	10	नहीं	0	104.22	0	43.85	67.13	215.20
तमिलनाडु	बायो फर्टि. प्रो. यू. कुडालोर	10	नहीं	0	117.86	0	56.46	65.69	240.01
तमिलनाडु	बायो फर्टि. प्रो. यू. कुडुमियामलाई	250	नहीं	0	116.93	0	33.29	74.40	224.62
तमिलनाडु	बायो फर्टि. प्रो. यू. सलेम	75	जी.ओ.आई.	0	118.22	0	68.06	113.41	299.69
तमिलनाडु	एसपीआईसी	250	जी.ओ.आई.	0.25	0.50	0	0.02	0.31	1.08
तमिलनाडु	एस्पीन एडवांस टै. लि.	100	जी.ओ.आई.	6.62	0	0.06	0.10	7.75	14.53
तमिलनाडु	मद्रास फर्टि. लि., मनाली	150	नहीं	0	114.74	0	3.80	116.74	235.28
तमिलनाडु	टी. स्टेंस एण्ड कम्पनी लि. कोयम्बटूर	75	नहीं	2.00	36.50	0	4.10	191.00	233.60
तमिलनाडु	मार्डन नर्सरी डिविजन	10	नहीं	2.00	36.50	0	4.10	191.00	233.60
तमिलनाडु	बीएफ प्रोड. यू. रामनाड			0	148.89	0	22.55	92.71	264.15
तमिलनाडु	बीएफ प्रोड. यू सकोटाई			0	133.45	0	28.63	81.03	243.11
तमिलनाडु	एसआईएमए कॉटन	75	जी.ओ.आई.	0	1.35	0	0	1.35	2.70
तमिलनाडु कुल		1005		10.87	929.16	0.06	264.96	1002.52	2207.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार		जी.ओ.आई.	10.00	0	0	50.00	65.00	125.00
उत्तर प्रदेश	कृषक भारती कॉपरेटिव लि. वाराणसी		जी.ओ.आई.	57.74	0	6.02	0.54	71.58	135.88
उत्तर प्रदेश	इफको, फूलपुर	75	जी.ओ.आई.	100.47	0.08	9.80	0.01	115.06	225.42
उत्तर प्रदेश कुल		75		168.21	0.08	15.82	50.55	251.64	486.30
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी एग्रो, सर्विस एण्ड इन्ड कारपो., थट्टनचावड़ी	250		0	1.98	0	3.77	2.03	7.78
पाण्डिचेरी कुल		250		0	1.98	0	3.77	2.03	7.78
	सकल योग	8695.50		1893.17	1290.18	181.51	1291.88	6107.68	10764.42

लघु सिंचाई

2731. **श्री अबलराव पाटील शिवाजीराव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने देश में मुख्य शुष्क कृषि भूमि की सिंचाई के लिए लघु सिंचाई की एक नई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इस योजना की शुरूआत से राज्यवार कुल कितनी हेक्टेयर भूमि लाभान्वित हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने जनवरी, 2006 में सूक्ष्म सिंचाई संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की शुरूआत की है। इस स्कीम के तहत प्रणाली की लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जिसमें से 40% केन्द्र सरकार द्वारा तथा 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। शेष 50% का लाभानुभोगी द्वारा या तो अपने निजी संसाधनों से या वित्तीय संस्थाओं से उदार ऋण के जरिये, वहन किया जाता है।

ड्रिप सिंचाई के तहत सब्सिडी आबंटन के लिए राज्यों को तीन वर्गों यथा – "क", "ख" और "ग" में विभाजित किया गया है तथा विभिन्न इकाई लागत निर्धारित की गई है। राज्यों के वर्गीकरण का ब्यौरा निम्नलिखित है–

वर्ग	राज्य	औसत इकाई लागत (रु. प्रति हैक्टे.)
क	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु	40,000
ख	उत्तर पूर्व के सभी राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल एवं पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला	45,000
ग	बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि	50,000

स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए 15000 रु. प्रति हैक्टेयर की समान दर पर इकाई लागत का निर्धारण किया गया है।

(ग) राज्यों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के आधार पर इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए कोष का आबंटन किया गया है। आबंटित कोष का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इस स्कीम की शुरुआत से अब तक अनुमोदित भू-क्षेत्र का हैक्टेयर में ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। चूंकि इस स्कीम की शुरुआत इसी वर्ष हुई है, अतः राज्यों को पूर्णता के लिए कुछ समय देना होगा।

विवरण-I

कोष का राज्यवार आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07
1	आंध्र प्रदेश	6129.22	19519.36
2	बिहार	–	4964.20
3	छत्तीसगढ़	–	6065.80
4	दिल्ली	–	31.42
5	गोवा	–	24.27
6	गुजरात	2182.00	–
7	हरियाणा	–	587.78
8	झारखण्ड	–	459.85
9	कर्नाटक	3584.11	4085.92
10	केरल	3200.00	636.30
11	मध्य प्रदेश	580.33	981.60
12	महाराष्ट्र	4808.06	12756.35
13	उड़ीसा	–	708.52
14	पंजाब	566.13	–
15	राजस्थान	1048.00	2866.68
16	तमिलनाडु	4290.96	2401.28
17	उत्तर प्रदेश	1241.74	–
18	पश्चिम बंगाल	–	391.34
	कुल	27630.55	56180.67

विवरण-II

सूक्ष्म सिंचाई के तहत इसकी शुरुआत से अब तक अनुमोदित क्षेत्र

(लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07	
		ड्रिप	स्प्रिंकलर	ड्रिप	स्प्रिंकलर
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	34370	11150	52543	98427
2	बिहार	–	–	27215	1601
3	छत्तीसगढ़	–	–	7436	21312
4	दिल्ली	–	–	50	50
5	गोवा	–	–	53	75
6	गुजरात	10680	6040	–	–
7	हरियाणा	–	–	1704	3039
8	झारखण्ड	–	–	1216	1890
9	कर्नाटक	20927	4776	124	7256
10	केरल	18542	6666	3282	2100
11	मध्य प्रदेश	3122	376	5246	1303
12	महाराष्ट्र	23856	18000	33012	24622
13	उड़ीसा	–	–	1353	1141
14	पंजाब	3540	640	3540	640
15	राजस्थान	3000	10000	3	23646
16	तमिलनाडु	32450	400	5402	–
17	उत्तर प्रदेश	8510	400	–	–
18	पश्चिम बंगाल	–	–	960	889
	कुल	158997	58448	143139	187991
	सकल योग	217445		331130	

नदी घाटी परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

2732. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कितनी नदी घाटी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाओं ने सरकार द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों तथा सुरक्षोपायों को पूरा किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 58 (अठावन) नदी घाटी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी।

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं। इसलिए सभी शर्तों के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्र

2733. श्री ब्रजेश पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार तथा स्थानवार कितने क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों के कार्यसमय की तुलना में केन्द्रवार दैनिक तथा साप्ताहिक प्रसारण समयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन दूरदर्शन केन्द्रों के नाम क्या हैं जो कार्यक्रम का प्रसारण कमीशन या रायल्टी के आधार पर करते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

दूरदर्शन केंद्रों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्र	छोटे केन्द्र/पी जी एफ
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	विजयवाड़ा वारांगल
2.	असम	गुवाहाटी पीसीसी (पूर्वोत्तर)**	डिब्रूगढ़
3.	अंडमान और निकोबार	–	सिलचर
4.	अरुणाचल प्रदेश	–	ईटानगर
5.	बिहार	पटना	मुजफ्फरपुर
6.	चण्डीगढ़	–	चण्डीगढ़
7.	छत्तीसगढ़	रायपुर	जगदलपुर
8.	दिल्ली	दिल्ली सीपीसी* दिल्ली	–
9.	गुजरात	अहमदाबाद	राजकोट
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	–
11.	हरियाणा		हिसार
12.	गोवा	–	पणजी
13.	जम्मू – कश्मीर	श्रीनगर	जम्मू
14.	झारखण्ड	रांची	डाल्टनगंज
15.	कर्नाटक	बंगलौर	गुलबर्गा
16.	केरल	तिरूवनंतपुरम	त्रिचूर
17.	महाराष्ट्र	मुम्बई	पुणे
18.	मध्य प्रदेश	भोपाल	इंदौर
19.	मेघालय	शिलांग	तुरा
20.	मिजोरम	एजवाल	–
21.	मणिपुर	इम्फाल	–
22.	नागालैण्ड	कोहिमा	–
23.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	सम्बलपुर भवानीपटना
24.	पंजाब	जालंधर	पटियाला
25.	पाण्डिचेरी	–	पाण्डिचेरी
26.	राजस्थान	जयपुर	–
27.	तमिलनाडु	चेन्नई	मदुरई कोयम्बटूर

1	2	3	4
28. त्रिपुरा		अगरतला	–
29. उत्तर प्रदेश		लखनऊ	इलाहाबाद गोरखपुर मथुरा मऊ वाराणसी बरेली
30. उत्तरांचल		–	देहरादून
31. पश्चिम बंगाल		कोलकाता	शांति निकेतन जलपाइगुड़ी
32. सिक्किम		गंगटोक	–

* केन्द्रीय निर्माण केंद्र

** कार्यक्रम निर्माण केंद्र

विवरण-II

क्र. सं.	केन्द्र	प्रसारण समय का ब्यौरा	चालू किए गए कार्यक्रम	रॉयल्टी कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	अगरतला	सोमवार से शुक्रवार सायं 5.30 से 8.00 बजे शनिवार – दोपहर 3.00 बजे से सायं 8.00 बजे	हां	शून्य
2.	अहमदाबाद	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थलीय दोपहर 3 बजे से सायं 8 बजे प्रतिदिन)	शून्य	शून्य
3.	इलाहाबाद	सायं 6.30 से 7.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
4.	एजवाल	सायं 5.30 से 8.00 बजे प्रतिदिन	हां	शून्य
5.	भुवनेश्वर	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थलीय समय) प्रातः 6.00 से 9.00 बजे दोपहर 3.00 से सायं 8.00 बजे	केवल भारतीय श्रेण्य श्रेणी	शून्य
6.	बंगलौर	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थानीय समय) प्रातः 6.00 से 9.00 बजे दोपहर 3.00 से सायं 8.00 बजे	शून्य	शून्य
7.	भोपाल	अपराह्न 4.00 से सायं 8.00 बजे (सोमवार से शनिवार) सायं 6.30 से 8.00 बजे रविवार	शून्य	शून्य
8	बरेली	सायं 6.00 से 7.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
9.	भवानीपटना	सोमवार और गुरूवार सायं 5.30 से 6.30 बजे मंगलवार/बुधवार/शुक्रवार सायं 6.00 से 6.30 बजे	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
10.	चेन्नई	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थलीय – 18 घंटे)	शून्य	शून्य
11.	चण्डीगढ़	सायं 5.00 से 7.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
12.	देहरादून	सायं 6.00 से 7.00 बजे सोमवार से शुक्रवार सायं 6.30 से 7.00 बजे शनिवार/रविवार	शून्य	शून्य
13.	दिल्ली	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थानीय 18 घंटे) प्रातः 6.00 से 12.00 बजे	शून्य	शून्य
14.	डिब्रूगढ़	सायं 5.30 से 8.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	हां	शून्य
15.	डाल्टन गंज	सायं 6.00 से 6.30 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
16.	गुवाहाटी	24 घंटे (आर एल एस एस पूर्वोत्तर सेवा) (स्थलीय) शुक्रवार से सायं 5.00 से 8.00 बजे शनिवार, रविवार – अपराह्न 3.00 से सायं 8.00 बजे	हां	शून्य
17.	गुलबर्गा	सायं 6.00 से 7.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
18.	गंगटोक	सायं 5.30 से 6.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
19.	हैदराबाद	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थलीय समय) प्रातः 6.00 से 9.00 बजे अपराह्न 3.00 से 8.00 बजे	शून्य	शून्य
20.	हिसार	सोमवार से शुक्रवार सायं 5.00 से 7.30 बजे शनिवार से रविवार सायं 7.00 से 7.15 बजे	शून्य	शून्य
21.	इम्फाल	अपराह्न 3.00 से 8.00 बजे सोमवार से शुक्रवार सायं 5.30 से 8.00 बजे शनिवार/रविवार	हां	शून्य
22.	इंदौर	सायं 6.00 से 6.30 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
23.	ईटानगर	सायं 5.30 से 8.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	हां	शून्य

1	2	3	4	5
24.	जयपुर	सायं 4.00 से 8.00 सोमवार से शनिवार रविवार – सायं 6.30 और 8.00 बजे	शून्य	शून्य
25.	जालंधर	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थलीय समय) प्रतिदिन 1500 बजे से 2000 बजे सोम से शनिवार रविवार को 1830 बजे से 2000 बजे	शून्य	शून्य
26.	जम्मू	प्रतिदिन अपराह्न 4.00 से सायं 8.00 बजे	हां	हां
27.	जगदलपुर	सायं 5.00 से 5.30 बजे मंगलवार/बुधवार/गुरुवार सायं 7.30 से 8.00 बजे सोमवार/मंगलवार/गुरुवार/शुक्रवार	शून्य	शून्य
28.	जलपाईगुड़ी	सायं 6.00 से 6.30 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
29.	कोहिमा	सायं 5.30 से 8.00 बजे प्रतिदिन	हां	शून्य
30.	कोलकाता	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थलीय सायं 3 से 8 बजे)	शून्य	शून्य
31.	लेह	सायं 6.00 से 7.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	हां
32.	लखनऊ	सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से 10.30 बजे सोमवार से शनिवार अपराह्न 4.00 बजे से सायं 8.00 बजे	शून्य	शून्य
33.	मुम्बई	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थलीय अपराह्न 3 से सायं 8 बजे)	शून्य	शून्य
34.	मऊ	सायं 5.30 से 6.30 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
35.	मुजफ्फरपुर	सायं 5.30 से 6.30 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
36.	नागपुर	6.30 से 7.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
37.	पटना	सोमवार से शुक्रवार अपराह्न 4.00 से 8.00 बजे रविवार – सायं 6.30 से 8.00 बजे	शून्य	शून्य
38.	पणजी	सायं 6.00 से 7.00 बजे सोमवार से शुक्रवार सायं 7.15 से 7.30 बजे सोमवार से गुरुवार सायं 7.15 से 8.00 बजे प्रतिदिन	शून्य	शून्य
39.	पोर्टब्लेयर	सायं 6.00 से 7.30 बजे सोम से शुक्रवार	शून्य	शून्य
40.	पाण्डिचेरी	सायं 6.00 से 7.00 बजे सोम से शुक्रवार	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
41.	रायपुर	अपराह्न 4.00 से 8.00 बजे सोमवार से शनिवार रविवार – सायं 6.30 से 8.00 बजे	शून्य	शून्य
42.	रांची	सायं 5.30 से 8.00 बजे सोमवार से शुक्रवार सायं 5.30 से 7.15 शनिवार/रविवार	शून्य	शून्य
43.	राजकोट	सायं 5.30 से 6.30 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
44.	सम्बलपुर	सायं 6.00 से 6.30 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
45.	शिमला	सायं 5.00 से 8.00 बजे	शून्य	शून्य
46.	शांतिनिकेतन	सायं 5.30 से 6.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	शून्य	शून्य
47.	सिलचर	सायं 5.30 से 8.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	हां	शून्य
48.	शिलांग	सायं 5.30 से 8.00 बजे सोमवार से शुक्रवार अपराह्न 3.00 से 8.00 बजे शनिवार/रविवार	हां	शून्य
49.	श्रीनगर	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थलीय समय) अपराह्न 4.00 से सायं 8.00 बजे प्रतिदिन	हां	शून्य
50.	तुरा	सायं 5.30 से 8.00 बजे सोमवार से शुक्रवार	हां	शून्य
51.	तिरुवनंतपुरम	24 घंटे (आर एल एस एस) (स्थलीय समय) प्रातः 6.00 से 9.00 बजे अपराह्न 3.00 से 8.00 बजे	शून्य	शून्य
52.	वाराणसी	सायं 5.00 से 6.30 बजे सोमवार से शुक्रवार सायं 5.00 से 7.00 बजे मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार	शून्य	शून्य

नोट : सभी केन्द्रों के लिए कार्यालय का कार्य समय समान रूप से प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक है।
स्टूडियो में कार्यकारी स्टाफ और पालियों में प्रसारण कार्य प्रत्येक केन्द्र/पी.जी.एफ. में जनशक्ति की उपलब्धता और प्रसारण समय पर निर्भर करता है।

आर.एल.एस.एस. – क्षेत्रीय भाषायी उपग्रह सेवा

[अनुवाद]

मृदा संरक्षण हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

2734. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में अवक्रमित भूमि में उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इस योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर भूमि शामिल की गई/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने तीसरी पंचवर्षीय योजना से नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अपरदित भूमि की उत्पादकता संवर्धन हेतु मृदा संरक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना (आर वी पी एण्ड एफ पी आर) शुरू की है। इस समय, इस योजना को बृहद् कृषि प्रबंधन (एम एम ए) योजना में मिला दिया गया है और इसे देश के 27 राज्यों के 53 स्रवरण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसे बृहद् कृषि प्रबंधन में मिला दिये जाने के बाद से राज्य सरकारों को इस बात की स्वतंत्रता मिल गई है कि वे बृहद् कृषि प्रबंधन के लिए आबंटित केन्द्रीय धन में से वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए धन का आबंटन अपनी आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार कर सकें।

पिछले तीन वर्षों (2003–06) में 5.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के सुधार के लिए 416.23 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे और 2006–07 के दौरान 206.90 करोड़ रुपये के आबंटन से 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किये जाने का विचार है। इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम (आर वी पी एवं एफ पी आर) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2003–06) में आबंटित धन और उपचारित क्षेत्र तथा 2006–07 के लिए आबंटन और लक्षित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

(आबंटन लाख रुपये में और क्षेत्र हजार हैक्ट. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोष का आबंटन और उपचारित क्षेत्र (2003–06)		2006–07 के आबंटन और लक्षित क्षेत्र	
		आबंटन	उपचारित क्षेत्र	आबंटन	उपचारित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1952.02	20.32	602.38	8.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	103.83	0.87	126.50	0.90
3.	असम	190.00	2.50	150.00	1.50
4.	बिहार	161.37	0.01	90.00	2.00
5.	छत्तीसगढ़	641.22	10.12	789.05	5.18
6.	गुजरात	2568.44	38.28	1055.55	14.96
7.	हरियाणा	450.00	11.95	180.00	4.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2084.03	12.90	1179.48	7.55
9.	झारखण्ड	0.00	0.00	362.20	5.58

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू और कश्मीर	1522.65	8.09	521.70	4.82
11.	कर्नाटक	3174.68	71.69	1500.00	30.00
12.	केरल	850.00	8.08	413.62	4.44
13.	मध्य प्रदेश	2932.46	46.08	1284.99	24.80
14.	महाराष्ट्र	2800.00	47.97	1300.00	18.60
15.	मणिपुर	0.00	0.00	150.79	1.00
16.	मेघालय	20.00	0.00	34.78	0.40
17.	मिजोरम	466.78	3.63	336.00	3.32
18.	नागालैण्ड	210.00	4.84	300.00	3.00
19.	उड़ीसा	250.00	4.26	200.00	3.08
20.	पंजाब	120.78	2.12	106.70	1.80
21.	राजस्थान	5000.55	75.71	2026.85	24.10
22.	सिक्किम	180.00	1.79	100.00	0.67
23.	तमिलनाडु	2000.00	17.19	900.00	7.70
24.	त्रिपुरा	154.85	1.16	50.58	0.49
25.	उत्तर प्रदेश	5121.59	104.86	1923.00	24.78
26.	उत्तरांचल	764.00	7.95	450.00	3.54
27.	पश्चिम बंगाल	780.80	8.77	108.35	3.00
	डी वी सी	1891.00	24.84	1000.00	7.00
	उपयोग	36391.05	535.95	17242.52	216.64
	जे.एंड के. को प्रधानमंत्री जी से पैकेज	5232.00	39.03	3447.78	34.09
	कुल योग	41623.05	574.98	20690.30	250.73

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में विशेषित उपचार (स्पेशियलाइस्ड ट्रीटमेंट)

2735. **श्री किसनभाई वी. पटेल :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में विशेषित उपचार (स्पेशियलाइस्ड ट्रीटमेंट) की सुविधा का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अपने लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल में भेज देते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्मचारी राज्य बीमा सरकारी अस्पतालों में उपचार पर अनुमानित व्यय की पूरी अदायगी करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विभिन्न सरकारी अस्पतालों को की गई अग्रिम अदायगी का ब्यौरा क्या है;

(च) इन विभिन्न अस्पतालों के अग्रिमों में से समायोजन हेतु अभी भी लंबित असमायोजित अतिरिक्त अदायगी का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा त्वरित रूप से अधिशेष का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित प्रतिमानकों और मानकों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल सभी मूलभूत विशेषज्ञताओं में इलाज प्रदान करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को विख्यात सरकारी/गैर-सरकारी संस्थानों के साथ अनुबंधित व्यवस्थाओं के माध्यम से अति विशिष्ट इलाज प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा के लाभार्थियों को कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के साथ अनुबंधित व्यवस्थाएं रखने वाले सरकारी अस्पतालों और अन्य गैर-सरकारी अस्पतालों में भेजा जाता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज पर व्यय किए जाने वाले पूर्ण खर्च को अस्पतालों/कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को अदा किया जाता है।

(ङ) से (छ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

किसानों की आत्महत्या पर डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट

2736. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री उदय सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) ने देश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बढ़ती संख्या पर टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में डब्ल्यू एच ओ के अंतर्गत गठित एक बोर्ड ने हाल ही में देश का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारत में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में डब्ल्यू.एच.ओ. की चिन्ता के संबंध में मीडिया रिपोर्ट हुई है। तथापि, डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ समझौता ज्ञापन

2737. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भारत में अधिक उपज वाली किस्म के चावल के उत्पादन के लिए चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की अधिक उपज वाली किस्म के बीजों का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करने की योजना भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रौद्योगिकी का कब तक विकास किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि अनुसंधान के विभिन्न विषयों में अनुसंधान और प्रशिक्षण की प्रगति को तेजी से बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चीनी कृषि विज्ञान अकादमी (चाईनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) चावल को सम्मिलित करते हुए विभिन्न फसलों की अधिक उपज वाली किस्मों/संकर किस्मों के बीजों का स्वदेशी विकास करना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इस कार्य को फसल आधारित संस्थानों/निदेशालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों तथा अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से नियमित रूप से किया जा रहा है। बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी सहित प्रजनक बीज उत्पादन के विकास और परिकरण पर भी नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भूजल के दोहन पर प्रभार

2738. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के भूजल के दोहन पर उपकर लगाने पर सहमति बनाने के लिए कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को संबंधित एजेन्सियों को परिचालित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त प्रस्ताव पर राज्यों तथा संबद्ध एजेन्सियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या भू–जल नीति पर सिफारिशें देने तथा भू–जल को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस दल की सिफारिशें कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में भूजल स्वामित्व के मामले की पुनरीक्षा करने के लिए सदस्य, (ऊर्जा एवं जल) योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। इस विशेषज्ञ दल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:–

(i) भूजल की उपलब्धता, वर्तमान उपयोग और प्रक्षेपित मांग के संबंध में देश में भूजल की स्थिति की जांच करना;

(ii) देश के कुछ भागों में भूजल स्तरों में गिरावट के कारणों का पता लगाना;

(iii) अब तक कार्यान्वित की गई भूजल पुनर्भरण स्कीमों की क्षमता की समीक्षा करना;

(iv) जहां यह कानून लागू किया गया है, वहां उसकी प्रभावकारिता का अध्ययन करना;

(v) भूजल स्वामित्व की वर्तमान कानूनी स्थिति की समीक्षा करना और अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधनों का सुझाव देना;

(vi) भूजल प्रबंध की समस्याओं का समाधान करने के लिए अन्य उपायों का सुझाव देना;

(vii) ऐसा कोई मुद्दा जिसे दल सुसंगत समझता है;

(ज) इस दल की सिफारिशें अभी योजना आयोग से प्राप्त नहीं हुई हैं।

समुद्री प्रजातियों की संख्या में कमी

2739. श्रीमती नीता पटैरिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणविदों ने हाल में समुद्री प्रजातियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2050 के अंत तक समुद्री जीवन के समाप्त हो जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या निवारणात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई यू सी एन) ने वैज्ञानिक प्रकाशनों के आधार पर समुद्री प्रजातियों की मौजूदा स्थिति का एक वैश्विक मूल्यांकन किया है।

(ख) और (ग) आई यू सी एन ने समुद्री जीवों के खतरे और कुछ प्रमुख प्रजातियों की संख्या में कमी की दर की पहचान की है जिसके आधार पर इनकी संभाव्य उत्तरजीविता समयावधि दर्शाई गई है। तथापि, यह अध्ययन ऐसी स्थिति को रोकने के लिए समुद्रवर्ती देशों द्वारा अपेक्षाओं और गतिविधियों की ओर इंगित करता है। अत्यधिक मत्स्यन, भूमि आधारित प्रदूषण को समुद्र में छोड़ना, प्रवालभित्ति खनन, अवसादन, वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए दुर्लभ और संकटापन्न समुद्री प्राणिजात का दोहन और वैश्विक जलवायु परिवर्तनों को समुद्री विविधता में गिरावट का प्रमुख कारण बताया गया है।

(घ) इस अध्ययन में सुझाए गए निवारक उपाय निम्नानुसार हैं:–

(i) एक वैश्विक और राष्ट्रीय समुद्र संरक्षण नीति और कार्य योजना का प्रतिपादन।

(ii) समुद्री सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क सृजित करना।

(iii) समुद्री पर्यावरण को भूमि आधारित प्रभावों से बचाना।

(iv) मरीन हैबिटेड एण्ड रिसोर्स साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा संकटग्रस्त और संकटापन्न समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात का सम्यक मूल्यांकन।

भारतीय संदर्भ में, यह उल्लेख है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठनों/कन्वेंशनों का सदस्य है और समुद्री सुरक्षित क्षेत्र पहले से ही विद्यमान हैं। समुद्री पर्यावरण के रक्षापायों हेतु आवश्क कानूनी प्रावधान पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत पहले से ही मौजूद हैं। संकटग्रस्त समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात का मूल्यांकन भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय मत्स्यन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। कई समुद्री प्रजातियां जैसे मूंगा, इलास्मोब्रांक्स, मोलास्कम, हालोथूरिएन्स आदि को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल करके इन्हें उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

नदी के कटाव को रोकना

2740. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल में फरक्का और गंगा नदी के तटों पर कटाव को रोकने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन दो नदियों के तटों के कटाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस कार्य में अब तक कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गंगा नदी पर, विशेषकर मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में कटाव की जांच करने के उद्देश्य से जल संसाधन मंत्रालय के अधीन फरक्का बराज परियोजना के क्षेत्राधिकार को 2005 में फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह में 40 कि.मी. और अनुप्रवाह में 80 कि.मी. तक बढ़ाया गया था। फरक्का बराज परियोजना ने गंगा नदी के तटों के साथ-साथ 2005-06 और 2006-07 में बढ़ाए गए क्षेत्राधिकार में कटाव रोधी कार्य प्रारंभ किए हैं, जो सफलतापूर्वक निष्पादित किए गए हैं। फरक्का बराज परियोजना ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार गंभीर पहुंचों में गंगा नदी पर कटाव-रोधी कार्य पूरे कर लिए हैं:-

(क) मालदा जिला

(i) पंचनंदपुर के निकट खसरवोल गांव : 9.3 कि.मी.

(ii) सिमुलतला/बीरनगर गांव : 5.0 कि.मी.

(ख) मुर्शिदाबाद जिला

(i) राम रामपुर/खोढ़ा बंदपुर/धूलियां/ अन्य पहुंचें : 9.185 कि.मी.

(ii) मोया : 2 कि.मी.

बाघ रिजर्व

2741. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाघ रिजर्वों से गांववासियों को दूसरे स्थान पर बसाने के लिए क्षतिपूर्ति पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्रस्तावित क्षतिपूर्ति पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) अट्ठाईस बाघ रिजर्वों के अंदर और आस-पास स्थित कितने गांवों को खाली कराया जाना है/क्षतिपूर्ति दी जानी है;

(घ) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी हाल की बैठक में सैकड़ों गांवों को दूसरे स्थान पर बसाने के बारे में चर्चा की है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिए गए; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) एक पेशेवर अभिकरण के माध्यम से एक आदर्श इनवोलेन्टरी ग्राम पुनः बसाव/पुनर्वास पैकेज विकसित करने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है, जो राष्ट्रीय राहत और पुनर्वास नीति की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। इसके साथ-साथ, भारतीय वन्यजीव संस्थान को एक समय सीमा के भीतर देश के अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ उन बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्रों को मूल्यांकन करने का निदेश दिया है जहां गांव को दूसरे स्थान पर बसाया जाना है।

(घ) से (च) गांव को दूसरे स्थान पर बसाने के मुद्दे पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की प्रथम बैठक में विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि दूसरे स्थान पर बसाए जाने वाले गांवों की अंतिम लिस्ट के आधार पर ऐसे गांवों को दूसरे स्थान पर बसाने और धन आबंटित करने के लिए राज्य के साथ कार्य करने हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी।

वन को राजस्व भूमि में बदलना

2742. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से अंडमान और निकोबार द्वीपों में सुनामी से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु वनभूमि को राजस्व भूमि में बदलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या द्वीप में राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवास स्थलों की कमी के कारण लोगों को विस्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बेघर हुए सुनामी प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई अपील दायर नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) द्वीप समूहों में जनसंख्या पर सुनामी के बाद और भूकम्प के प्रभावों को माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाने के लिए मुद्दों को अभिनिर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में जल-स्तर

2743. श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में जल की आपूर्ति अधिकांशतः भू-जल स्रोतों से होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में भू-जल का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है;

(ग) क्या 'वापको' अथवा किसी अन्य एजेन्सी के सहयोग से दिल्ली में जल-स्तर को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक भू-जल का स्तर बढ़ाने हेतु आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनमें कितनी सफलता मिली है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। दिल्ली के निवासियों को अधिकांशतः जल की आपूर्ति सतही जल स्रोतों से की जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, शहर को 100 एमजीडी जल की आपूर्ति भूजल से की जाती है।

(ख) हाल ही में सीजीडब्ल्यूबी और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भूजल संसाधन आकलन के अनुसार, दिल्ली के नौ जिलों में से सात अतिदोहित हैं और भूजल स्तर में 20 सेमी./वर्ष से अधिक की उल्लेखनीय गिरावट दर्शाई गई है। ये जिले हैं – दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, पूर्व और उत्तर-पूर्व।

(ग) से (ङ) दिल्ली में जल स्तर के पुनर्भरण के लिए वाप्कोस अथवा किसी अन्य अभिकरण के सहयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए, विगत वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्यों में जल स्तर के पुनर्भरण के वास्ते उपाय करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

(i) नौवीं योजना के दौरान, सीजीडब्ल्यू ने देश में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" के वास्ते केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, उपरोक्त स्कीम के तहत 16 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं। इन परियोजनाओं के प्रभाव आकलन अध्ययन में कुछ क्षेत्रों में जल स्तरों में वृद्धि सहित उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ii) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण का गठन। प्राधिकरण ने देश में भूजल संसाधनों के विकास को विनियमित करने के लिए 20 'अतिदोहित' और 'गम्भीर' क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 3 क्षेत्र शामिल हैं।

(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1970 में माडल बिल का परिचालन, जिसे 1992 में परिचालित किया गया तथा दोबारा 1996 में ताकि भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून अधिनियमित कर सके। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक संशोधित माडल बिल, 2005 परिचालित किया गया है। अब तक आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप,

पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश ने माडल बिल की तर्ज पर कानून अधिनियमित किए हैं।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल/दिशानिर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों की गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(v) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर जनजागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(vi) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भवनों में जल संचयन संरचनाएं मुहैया करायें। इसके अतिक्ति, केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूर संचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राज मार्ग प्राधिकरण विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबधी संरचनाएं उपलब्ध करायें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात्, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय और दमन और दीव से उत्तर सकारात्मक रहे हैं।

(vii) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य सरकार के अभिकरणों, शैक्षिक संस्थानों, निजी उद्यमियों तथा व्यक्तियों सहित 2500 से अधिक अभिकरणों को वर्षा जल संचयन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराया है।

(viii) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन उपनियम, 1983 में संशोधन किया है जिसमें दिल्ली में 100 वर्गमीटर अथवा इससे अधिक के प्लाटों पर बने सभी नये भवनों में वर्षा जल सहित सतही जल के भंडारण के माध्यम से वर्षा जल का प्रावधान करना अनिवार्य कर दिया है। इसी प्रकार से, भवन उपनियमों में संशोधन करते हुए विशेष मामलों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, जयपुर और लुधियाना नगर निगम ने छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है।

(ix) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने "भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण की मास्टर योजना" शीर्षक से एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से 36453 घन मीटर की अधिशेष मानसून वर्षा के पुनर्भरण की योजना है।

(x) दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जहां, भूजल स्तर, भूस्तर से 8 मीटर नीचे हैं, में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थानों, होटलों, उद्योगों, फार्म हाउसों, आदि को निर्देश जारी किए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भूजल पुनर्भरण के संवर्द्धन के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए दिसम्बर, 2002 में 'जल भागीदारी' स्कीम शुरू की है जिसके अंतर्गत पंजीकृत रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों/स्कूलों/शैक्षिक संस्थाओं तथा गैर सरकारी भवनों को 50,000 रुपए अथवा परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत की सीमा तक वित्तीय सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

उर्दू चैनल

2744. श्री एल. राजगोपाल :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने हाल ही में खास उर्दू चैनल की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो इस चैनल को कितनी प्रसारण अवधि आबंटित की गई है;

(ग) इस चैनल में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिकांश केबल ऑपरेटर उर्दू चैनल नहीं दिखा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार सभी केबल ऑपरेटरों के लिए इस चैनल का प्रसारण अनिवार्य बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने हाल ही में एक अलग उर्दू चैनल शुरू किया है जिसमें संस्कृति, विरासत, मनोरंजन, सूचना और शिक्षा आदि से संबंधित कार्यक्रम शामिल है। इस चैनल को आबंटित प्रसारण समय निम्नानुसार है:

(i) प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक।

(ii) दोपहर 12.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक।

(iii) शाम 7.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक।

(घ) से (च) आज तक की स्थिति के अनुसार उर्दू चैनल को केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क में उनके द्वारा अनिवार्य प्रसारण हेतु अधिसूचित नहीं किया गया है। सभी केबल ऑपरेटरों के लिए उर्दू चैनल का प्रसारण अनिवार्य बनाने का सुझाव है। तथापि, कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्में

2745. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित किए गए अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अन्य विकसित देशों की तुलना में अधिक पैदावार देने वाले बीजों की केवल कुछेक किस्में विकसित कर पायी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में बीजों की क्वालिटी को सुधारने के लिए अनुसंधान संबंधी कार्यों को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान कुल 151 अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित की गई हैं। इन किस्मों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैविक और अजैविक दबावों के प्रतिरोधी और अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, विभिन्न फसलों की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और नेटवर्क परियोजनाओं के पास अनुसंधान कार्यक्रम हैं।

भारत सरकार ने बीजों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

प्रजनक बीज उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का अधिदेश है जिसे वर्ष 1979-80 से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-एनएसपी (फसलें) को प्रारम्भ करके निष्पादित किया गया। दसवीं योजना अवधि में यह परियोजना देशभर के विभिन्न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के 35 प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्रों (बीएसपी) और 23 बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्रों (एसटीआर) में कुल 37.0389 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से चल रही है।

निम्नलिखित नए कदम भी उठाए गए हैं:-

I. राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसलें) को समस्त अनुसंधान परियोजनाओं का समन्वय करने और साथ ही फील्ड फसलों के बीज कार्यक्रमों वाली परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए प्रोन्नत करके बीज अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है।

II. 198.90 करोड़ रु. के परिव्यय से "कृषि फसलों और मात्स्यिकी में बीज उत्पादन" के संबंध में एक नई परियोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों (2005-2006 से 2006-2007) के लिए स्वीकृत की गई है। यह परियोजना निजी क्षेत्र सहित समस्त एजेन्सियों को पैतृक वंशों के गुणवत्ता वाले बेसिक/प्रजनक बीज, खुली परागित किस्में और रोपण सामग्री की आपूर्ति को बढ़ाएगी। इसके अलावा, देश में मत्स्य बीज की आपूर्ति के लिए कोई भी एजेन्सी नहीं है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मात्स्यिकी में उच्च वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने और देश में किसानों को मत्स्य बीज आपूर्ति के लिए अपने प्रयासों को सुदृढ़ किया है।

III. परियोजना के प्रस्तावों के आधार पर कृषि उत्पाद उपकर निधि से गुणवत्ता प्रजनक बीज उत्पादन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और निजी क्षेत्र आदि को परिक्रामी निधि (रिवोल्विंग फंड) प्रदान किया जाता है।

विवरण

क्रम सं.	फसल समूह	फसल	संख्या	किस्में
1	2	3	4	5
क.	**फील्ड फसलें**			
	खाद्य एवं चारा फसलें	चावल	11	सुगंधमती, पूसा, सुगंध-5, सुरूचि (संकर), राजेन्द्र, स्वेता, लुनालीनाफोड, भोगवती, कादम्बा, पंत संकर धान-3, पंत सुगंधा धान-17, एनडीआर-2026
		गेहूं	16	एचडी-2864, एमएसीएस-6145, एसकेडब्ल्यू-196, पीडीडब्ल्यू-291, एचआई-8627, एनडीबी-1173,

1	2	3	4	5
				के–9423 (उन्नत हलना), एचडी–2851 (पूसा विशेष), डब्ल्यूआर–544 (पूसा गोल्ड), पीबीडब्ल्यू–509, राज–6560 (ड्यूरम गेहूं), राज–4037, वीएल–746 (कैलाश), एचएस–342 (मानसरोवर), एसडब्ल्यूएल–8 (सिंगचेन), एनडब्ल्यू–1067, वीएल–802
		जौ	3	एनबीएल–4 (नुरबू), एनबीएल–11 (सिंधु), वीएल जी–56
		मक्का	11	प्रताप मिश्रित मक्का–4, पूसा अगेती संकर–5, प्रगति डक्कन संकर–115, पीआरओ–345, जेकेएमएच–6802, बीआईओ–9682, प्रताप मक्का, संकर–1, मिश्रित विवेक मक्का–1, मिश्रित गिरिजा, मिश्रित श्रद्धामणि।
		मडुंआ	1	जीपीयू–48
		कंगनी	1	टीएनए–186
		दाना चौलाई	1	बीजी–8–2
		कूटू	2	शिमला बी–1, सांगला–बी–1
	चारा फसलें	लोबिया	3	यूपीसी–618, अंजन घास : बुंदेल अंजन–3
		बरसीम	1	बीएल–180
		जई	3	बुंदेल जई–2001–03, बुंदेल जई–99–01, आरओ–19
	तिलहनी फसलें	सूरजमुखी	1	डीआरएसएच–1
		कुसुम	5	जेएसएस–99, एनएआरआई–एच–16, पीबीएनएस–12, एमआरएसए–121, पीबीएनएस–40
		अरण्डी	2	डीसीएच–519, सागर–शक्ति
		मूंगफली	3	जीजी 8 (जे–53), जीजी–16, टीजी–38बी
		तिल	3	सीएसटी–2001–3, पी के डी एस – 11, ओ एस सी–24-95-2-13
		रामतिल	3	जेएनएस–26 जेएनएस–18, आईजीपीएन–9628
		सोयाबीन	3	पूसा–98–14, जेएस–95–60, आरकेएस–18 (प्रताप सोया–2)
		अलसी	2	शारदा (एलएमएस–4–27), एलएमएस–9–2के
		तोरिया एवं सरसों	4	एनआरसीडीआर–2, एलईटी–17, आरजीएन–73, जीएससी–6 (ओसीएन–3)
दलहनी फसलें		चना	3	पूसा–547, राजास (फूले जी–9425–9) बीजीडी–128
		अरहर	3	एनडीए–99–6, पूसा–2002–2, जेकेएम–189
		मूंग	2	एचयूएम–16, एनडीएम–97–1
		मसूर	1	वीएल मसूर–507
		मटर	1	आईपीएफडी–1–10
		लोबिया	1	सीओ (सीपी) 7
		कुलथी	1	प्रताप कुलथी 1
		मोठ	1	सीएजेडआरआई मोठ 3

1	2	3	4	5
वाणिज्यिक फसलें		कपास	4	एकेए-8, एकेएच-8828, सीआईएसए-310 और सीएसएचएच-238
		पटसन एवं संबद्ध रेशे	1	मेस्ता किस्म जीआर-27
		गन्ना	1	सीओसी 01061
		तम्बाकू	6	कांठी, हेमाद्री, सिरी. अबीरामी कावेरी और भाई रवी
ख	बागवानी फसलें			
		सब्जी फसलें	बैंगन	1 एचएबीएल-1
		प्याज	2	एल-28, एचओएस-1
		खरबूजा	1	आईवीएमएम-3
		पेठा	2	पीएजी-72, आईवीएजी-90
		घीयतोरी	1	केएसजी-14
		गाजर	1	एसकेएयूसी-50
		आलू	3	कुफरी सूर्या, कुफरी चिसोना, कुफरी हिमालिन
	कंदवर्गीय फसलें	कसावा	3	श्री जया, श्री विजया, श्री प्रकाश
		शकरकंदी	3	आईजीएसपी-4, आईजीएसपी-17, आरएनएसपी-3
		तारो	5	पीकेएस-1, आरएनसीए-1, बीके कोल-2, सोनाजुली, झांकरी
		बुंदा	2	एनडीबी-21, एनडीबी-03
		जिमीकंद	1	एनडीए-9
	खुम्बी	संकर बटन खुम्बी	1	अगेरिकस बाईस्पोरस
	फल	केला	1	उद्यम
	रोपण फसलें	सुपारी	1	बीटीएल-12
		काजू	1	भास्कर
		तेलताड़	2	पलोड-1, पलोड-2
	मसाला फसलें	जीरा	3	आरजैड-23, गुजरात क्यूमिन-4, आरजैड-341
		मेथी	3	गुजरात मेथी-2, आरएमटी-351, आरएमटी-305
		धनिया	4	सुधा, हिसार सुरभि, आरसीआर-480, डीएच-246
		सौंफ	1	आरएफ-178
		कालीमिर्च	3	आईआईएसआर थेवम, आईआईएसआर, गिरिमुंडा, आईआईएसआर मालाबार एक्सेल
		हल्दी	2	आईआईएसआर एलेप्पी, सुप्रीम, आईआईएसआर केदारम

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रातः एक विषय उठाया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बाद में समय देंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5288/06]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2006 जो 3 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 459(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5289/06]

(3) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 31 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5290/06]

4. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5291/06]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1914(अ) जो 8 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित व्यापार को अभिहित व्यापार के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5292/06]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5293/06]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5294/06]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं, मेरे सहयोगी श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5295/06]

(ख) (एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5296/06]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5297/06]

(ख) (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5298/06]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : मैं, मेरे सहयोगी श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध को हटाया जाना) (संशोधन) आदेश, 2006 जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1373(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5299/06]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : मैं दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या अड़तालीस तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5300/06]

2. विवरण संख्या सैंतीस ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5301/06]

3. विवरण संख्या सोलह पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5302/06]

ग्यारहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या बत्तीस तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5303/06]

बारहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या बत्तीस तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5304/06]

तेरहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या छत्तीस दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5305/06]

7. विवरण संख्या सैंतीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5306/06]

8. विवरण संख्या तीस पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5307/06]

9. विवरण संख्या चालीस छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5308/06]

10. विवरण संख्या अट्ठाइस सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5309/06]

11. विवरण संख्या पच्चीस आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5310/06]

12. विवरण संख्या तेईस नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5311/06]

13. विवरण संख्या बीस दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5312/06]

14. विवरण संख्या अठारह ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5313/06]

15. विवरण संख्या सोलह बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5314/06]

16. विवरण संख्या तेरह तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5315/06]

17. विवरण संख्या बारह चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5316/06]

चौदहवीं लोक सभा

18. विवरण संख्या दस दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5317/06]

19. विवरण संख्या आठ तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5318/06]

20. विवरण संख्या छह चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5319/06]

21. विवरण संख्या पांच पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5320/06]

22. विवरण संख्या चार छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5321/06]

23. विवरण संख्या तीन सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5322/06]

24. विवरण संख्या एक आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5323/06]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5324/06]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2006 जो 7 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2006 जो 19 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1569(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5325/06]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 1639(अ) जो 29 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 671(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) 2–टी ऑयल (पूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5326/06]

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 1533 (अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें निदेश दिया गया था कि 14 सितम्बर, 2006 से नई परियोजनाओं का अपेक्षित निर्माण अथवा कार्यकलाप या विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार अथवा आधुनिकीकरण या उसमें उल्लिखित कार्यकलापों को केन्द्रीय सरकार अथवा उक्त अधिनियम के अधीन गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण की पूर्व पर्यावरण संबंधी अनुमति के पश्चात् ही भारत के किसी भाग में शुरू किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5327/06]

(5) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1402 (अ) जो 4 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 4 सितम्बर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5328/06]

(6) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1403 (अ) जो 4 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो अधिसूचना में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर 4 सितम्बर, 2006 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बनेगा, का गठन किया गया है तथा जो उसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5329/06]

(7) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (वेतन, भत्ते और नियुक्ति की अन्य शर्तें) नियम, 2006 जो 25 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 661(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों अथवा व्यावसायिक सदस्यों की योग्यता और अनुभव) नियम, 2006 जो 25 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5330/06]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5331/06]

(ख) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5332/06]

(ग) (एक) भारत रिफ्रैक्टरिज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रैक्टरिज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखारीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5333/06]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक 2006 को, जिसे लोक सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 2006 को, जिसे लोक सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.03¼ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : 'हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की कार्य स्थिति' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2006–2007) के बारे में समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की भावनाओं को व्यक्त किया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रधानमंत्री जी को यहां आकर अपनी बात पर माफी मांगनी चाहिए और मुसलमानों को ...*(व्यवधान)* यह देश के गरीबों के साथ अन्याय है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने देश को बर्बाद करने वाली बात कही है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03¾ बजे

(इस समय श्री सोमभाई जी. पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री बालासाहिब विखे पाटील पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, हम लोग सुबह से आग्रह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एन.डी.सी. की मीटिंग में जो वक्तव्य दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि सभी सदस्य एक साथ बोलेंगे तो कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 2.0½ बजे

(इस समय श्री सोमभाई जी. पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभा कल, 12 दिसम्बर, 2006 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2006/21 अग्रहायण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री सुनिल कुमार महतो	262
2.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री हरिकेवल प्रसाद	263
3.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री ई. पोन्नुस्वामी	264
4.	श्री गणेश सिंह	265
5.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	266
6.	श्री राकेश सिंह श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	267
7.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	268
8.	श्री अवतार सिंह भडाना डा. राजेश मिश्रा	269
9.	श्री एस. अजय कुमार श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	270
10.	श्री थावरचन्द गेहलोत	271
11.	श्रीमती नीता पटैरिया श्री वीरेन्द्र कुमार	272
12.	श्री रघुराज सिंह शाक्य	273
13.	श्री अधीर चौधरी श्री जी. एम. सिद्दीश्वर	274
14.	श्री रघुनाथ झा	275
15.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	276
16.	श्री निखिल कुमार श्री नवीन जिन्दल	277
17.	श्री किन्जरपु येरननायडु	278
18.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	279
19.	श्री रामदास आठवले	280
20.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	281

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2632, 2700, 2723, 2745
2.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	2627, 2647, 2694
3.	अर्गल, श्री अशोक	2693
4.	आठवले, श्री रामदास	2610, 2699, 2729, 2743
5.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	2730
6.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2605, 2654, 2687, 2704
7.	बर्मन, श्री हितेन	2621
8.	बर्मन, श्री रनेन	2607
9.	बखला, श्री जोवाकिम	2620, 2683, 2721
10.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2684
11.	भक्त, श्री मनोरंजन	2626, 2702, 2719, 2742
12.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2623, 2676, 2692
13.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2601, 2707
14.	चारेनामे, श्री मणि	2665
15.	चौरे, श्री बापू हरी	2602, 2640, 2691
16.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2648, 2680
17.	चिन्ता मोहन, डा.	2686, 2738
18.	चौधरी, श्री अधीर	2677, 2690, 2712
19.	धोत्रे, श्री संजय	2640
20.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2687

1	2	3
21.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2669, 2737
22.	गमांग, श्री गिरिधर	2622
23.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2640, 2691
24.	गोहेन, श्री राजेन	2642
25.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	2634
26.	हसन, चौधरी मुनव्वर	2655
27.	झा, श्री रघुनाथ	2670, 2684, 2713, 2730
28.	जिन्दल, श्री नवीन	2603, 2673
29.	जोगी, श्री अजीत	2641
30.	करूणाकरन, श्री पी.	2639
31.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2616, 2682, 2714
32.	खां, श्री सुनील	2638, 2689
33.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2645
34.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2604, 2672, 2675
35.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2614
36.	कृष्ण, श्री विजय	2661, 2705, 2722
37.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2633
38.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2637
39.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2686
40.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	2630
41.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2654, 2687
42.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2660
43.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2680
44.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2688
45.	महताब, श्री भर्तृहरि	2668
46.	महतो, श्री टेक लाल	2636

1	2	3
47.	माने, श्रीमती निवेदिता	2669, 2737
48.	मनोज, डा. के.एस.	2667
49.	मसूद, श्री रशीद	2625, 2701
50.	मेघवाल, श्री कैलाश	2612
51.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2643, 2693
52.	मोहिते, श्री सुबोध	2609
53.	मूर्ति, श्री ए.के.	2608
54.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2642
55.	नायक, श्रीमती अर्चना	2656
56.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	2662, 2666
57.	ओराम, श्री जुएल	2653
58.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2671, 2708
59.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2675
60.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2628, 2740
61.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2607, 2685
62.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2624, 2676, 2710, 2725, 2735
63.	पटैरिया, श्रीमती नीता	2681, 2739
64.	पाठक, श्री ब्रजेश	2651, 2697, 2716, 2728, 2733
65.	पटले, श्री शिशुपाल	2640
66.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2674, 2709, 2724, 2732
67.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2617
68.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2679
69.	प्रसाद, श्री लालमणि	2664
70.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2651
71.	राजगोपाल, श्री एल.	2611, 2695, 2715, 2727, 2744

1	2	3
72.	रामदास, प्रो. एम.	2686
73.	राणा, श्री काशीराम	2648
74.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2662, 2706
75.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2619
76.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2606, 2658
77.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2627, 2640
78.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2631
79.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2646, 2062
80.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	2650, 2696
81.	सत्पथी, श्री तथागत	2618
82.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2629, 2717
83.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2690, 2698
84.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2688, 2711, 2726
85.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2632, 2663, 2731, 2734, 2741
86.	शिवन्ना, श्री एम.	2652, 2703
87.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2640, 2657
88.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2613, 2647, 2672, 2720
89.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2679
90.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2736
91.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2615
92.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2670
93.	सिंह, श्री रेवती रमन	2630
94.	सिंह, श्री सुग्रीव	2624, 2649, 2678, 2710, 2725
95.	सिंह, श्री उदय	2690, 2736
96.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2718
97.	सुमन, श्री रामजीलाल	2738
98.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2687, 2729
99.	तुम्मर, श्री वी.के.	2627, 2647
100.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2659
101.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2690
102.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2654, 2687
103.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2606
104.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2632, 2663, 2700, 2723
105.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2635
106.	यादव, श्री गिरिधारी	2635, 2694
107.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2657
108.	यादव, श्री मित्रसेन	2644

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि		263, 265, 267, 279, 280
रसायन और उर्वरक		
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		269, 271, 275, 276
पर्यावरण और वन		268, 270, 272, 277
सूचना और प्रौद्योगिकी		266
श्रम और रोजगार		273, 281
संसदीय कार्य		
इस्पात	:	264
जल संसाधन	:	262, 274, 278

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि		2602, 2603, 2606, 2609, 2613, 2619, 2645, 2649, 2652, 2656, 2657, 2659, 2664, 2673, 2675, 2681, 2695, 2702, 2708, 2711, 2713, 2717, 2718, 2722, 2723, 2730, 2731, 2734, 2736, 2737, 2745
रसायन और उर्वरक		2611, 2636, 2655, 2677, 2689
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		2604, 2610, 2614, 2616, 2624, 2634, 2640, 2641, 2644, 2650, 2653, 2658, 2668, 2683, 2696, 2705, 2710, 2720
पर्यावरण और वन	:	2605, 2607, 2608, 2615, 2617, 2618, 2620, 2621, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2633, 2643, 2661, 2662, 2665, 2669, 2670, 2674, 2679, 2684, 2692, 2701, 2703, 2709, 2716, 2721, 2724, 2726, 2729, 2732, 2739, 2741, 2742
सूचना और प्रसारण	:	2612, 2635, 2646, 2663, 2680, 2694, 2712, 2714, 2715, 2727, 2728, 2733, 2744

श्रम और रोजगार		2601, 2623, 2632, 2637, 2638, 2639, 2647, 2648, 2651, 2654, 2667, 2672, 2676, 2685 2687, 2699, 2704, 2707, 2719, 2725, 2735
संसदीय कार्य		
इस्पात	:	2678, 2688
जल संसाधन		2622, 2631, 2642, 2660, 2666, 2671, 2682, 2686, 2690, 2691, 2693, 2697, 2698, 2700, 2706, 2738, 2740, 2743

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/24/14/ 2006 (एन.)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रव
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।